वर्ष : 10, अंक : 03

जुलाई-सितम्बर 2025

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

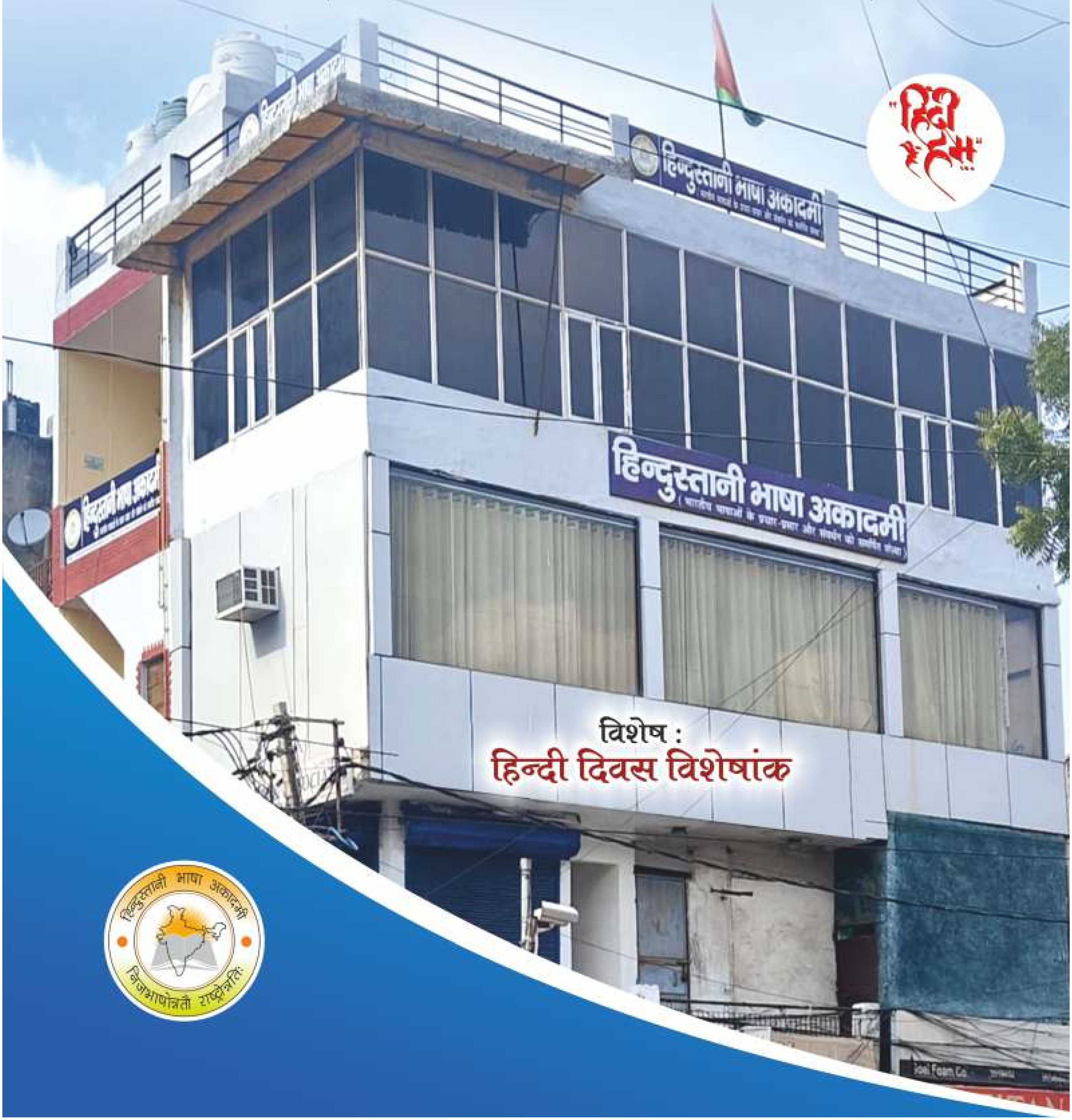

"हिंदी हैं हम"

विशेष :

हिन्दी दिवस विशेषांक

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

निजभाषोन्नति राष्ट्रोन्नतिः

'भारतीय भाषा उत्सव' : झलकियाँ

वर्ष : 10, अंक : 03 जुलाई-सितम्बर 2025

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

मूल्य : 30 रुपये

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

सम्पादक
सुधाकर बाबू पाठक

प्रबन्ध सम्पादक : विजय कुमार शर्मा
संयुक्त सम्पादक : राजकुमार श्रेष्ठ
सह सम्पादक : विनोद कुमार शर्मा
उप सम्पादक : संदीप कुमार
: सुषमा भण्डारी
: बिनीत पाण्डेय
: डॉ. वनीता शर्मा
सम्पादकीय सलाहकार : सुरेखा शर्मा
: सरोज शर्मा
: डॉ. सोनिया अरोड़ा
: शशि प्रकाश पाठक
: गरिमा संजय

कार्यालय :
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
म.नं. 3675, राजा पार्क, शकूरबस्ती, दिल्ली-110034
ई-मेल : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com
सम्पर्क सूत्र : 09873556781, 09968097816

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं। प्रकाशक का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सभी विवादों का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा।

सम्पादन एवं संचालन पूर्णतः अवैतनिक और अव्यावसायिक है।

प्रकाशक, सम्पादक व मुद्रक सुधाकर बाबू पाठक द्वारा स्वामी हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट, 3675, राजा पार्क, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के लिए प्रकाशित और सन्नी प्रिन्टर्स, बी-234, नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110028 से मुद्रित।

विषय सूची

सम्पादकीय : राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान हैं हमारी भाषाएँ ! — 04

साक्षात्कारः राहुल देव, शिक्षाविद्, वरिष्ठ पत्रकार — 06

रिपोर्ट : श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में 'हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान परिचर्चा -राजकुमार श्रेष्ठ — 13

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी -प्रो. शरद नारायण खरे — 15

आठवीं अनुसूची में हिन्दी के स्थान का प्रश्न -रचना चतुर्वेदी — 17

रिपोर्टः कविता के बहाने : परिचर्चा, काव्यपाठ एवं पुस्तक लोकार्पण -डॉ. वनीता शर्मा — 20

रिपोर्टः डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का अवलोकन -सुषमा भण्डारी — 22

रिपोर्टः हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान परिचर्चा -डॉ. सोनिया अरोड़ा — 25

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी-एक अनवरत यात्रा -विनोद पाराशर — 28

रिपोर्टः कालिंदी महाविद्यालय में राजभाषा पखवाड़ा समारोह -सरोज शर्मा — 33

भाषा शिक्षण पर शिक्षकों का नजरिया -रजनी द्विवेदी एवं शोभा शंकर नागदा — 34

हिन्दी मीडिया की भाषा -श्रीमती संतोष बंसल — 38

रिपोर्टः किरोड़ीमल महाविद्यालय में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी -गरिमा संजय — 41

हिन्दी की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता — 42

हिन्दी बनेगी विश्व भाषा -दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश' — 45

हिन्दी : उपनिवेशी सोच और निकृष्ट राजनीति के पंजों में -प्रो. ऋषभदेव शर्मा — 47

सम्पादकीय

राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान हैं हमारी भाषाएँ !

सुधाकर पाठक
सम्पादक एवं अध्यक्ष,
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र भाषा से बंधा हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय भावनात्मक रूप से अपनी भाषा से जुड़ा होता है । साधारण-से-साधारण मनुष्य के लिए भी भाषा केवल भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि उसका सर्वांगीण अस्तित्व है । भाषाई अध्ययन बताते हैं कि मनुष्य अपनी भाषा को लेकर बहुत संवेदनशील होता है । मनुष्य के मस्तिष्क में उसकी मातृभाषा की छाप इतनी गहरी पैठ बना चुकी होती है कि मनुष्य जीवनपर्यंत उससे भिन्न नहीं रह सकता । भले ही मनुष्य सूचनाओं के संग्रहण के लिए, अपनी आजीविका के लिए, शोध और अध्ययन के लिए अन्य भाषा की शरण में जाए, किन्तु अपनी संवेदनात्मक और भावनात्मक अभिव्यक्ति वो अपनी मातृभाषा में ही सहज रूप से संप्रेषित करता है । मातृभाषा ही उसे अपनी जाति, धर्म, आस्था, विश्वास, समाज, संस्कृति, पर्व, त्योहार, परंपरा, परिवार और भूगोल से जोड़ती है । मातृभाषा ही उसके जीने का श्रेष्ठ माध्यम है । यदि मनुष्य की मातृभाषा को छीन लिया जाए तो सोचिए क्या होगा ? वो अपने जड़ (मूल समाज) से कट जाएगा । आजकल भारतीय परिवारों में बच्चों को अपने जड़ों से काटने का काम किया जा रहा है। आधुनिकता के नाम पर बच्चों को बोलियों से दूर किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के नाम पर, कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार के नाम पर, विदेश पलायन के नाम पर, सामाजिक प्रतिष्ठा और उच्च ओहदे के नाम पर बच्चों को मातृभाषाओं/बोलियों से विमुख किया जा रहा है ।

आँकड़ें बताते हैं कि भारत में 1600 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं । सूचना क्रांति के इस युग में उन बोलियों की वास्तविक स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है । क्या उन बोलियों का अगले पीढ़ी में हस्तांतरण हो रहा है ? क्या बोलियाँ अपने पारंपरिक स्वरूप में जीवित हैं ? मातृभाषाओं के कितने मूल शब्द प्रचलन से बाहर हो चुके हैं ? वर्तमान शब्दावलियों में से वे कौन-कौन से शब्द हैं जिसे हम बहुत जल्द खोने वाले हैं ? मातृभाषा को लेकर परिवार में कैसा वातावरण है ? हमारे बच्चे किस भाषा संस्कार में बड़े हो रहे हैं ? महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं में अपनी भाषा को लेकर कैसी धारणा विकसित हो रही है ? ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिन्हें लेकर हमें गंभीर और सजग होना चाहिए । किसी भाषा में एक भी शब्द का मरना उस भाषाई समाज के लिए बहुत दुखद घटना है । शब्दों के बनने-बुनने में, प्रचलन में आने में और मानक स्वरूप प्राप्त करने में कई वर्षों का अथक अभ्यास जुड़ा होता है । शब्दावली किसी भी भाषा की प्राण होती है । एक-एक शब्द का निर्माण कई वर्षों के अंतराल के बाद होता है और समाज में उसकी स्वीकार्यता और मानकीकरण में भी वर्षों का श्रम लगता है ।

विश्व की अनेक भाषाओं में से सबसे अधिक शब्द भण्डार भारतीय भाषाओं में हैं । किन्तु, इस विषय को लेकर हम अधिक दिन तक खुश नहीं रह सकते । हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों, क्रियाकलापों, हमारे व्यवहार और आम बोलचाल की भाषा से हजारों शब्द प्रचलन से बाहर हो रहे हैं । उनकी जगह हम विदेशी शब्दावलियों का अन्धानुकरण कर रहे हैं । इस तरह हम अपनी भाषा की हत्या कर रहे हैं । हम अपने घरों में, परिवारों में और विद्यालयों में बच्चो को अपनी शब्दावलियों से विमुख कर विदेशी शब्दावलियां सिखा रहे हैं । यदि हिन्दी भाषा की ही बात करें, तो बच्चो को हिन्दी के कई शब्दावलियों का ज्ञान ही नहीं है । वे हिन्दी के सरल शब्दार्थों से अनभिज्ञ हैं । उदहारण के लिए हम सिखा रहे हैं ख्र ओके, सॉरी, वेलकम, प्लीज, थैंक्यू, कॉन्ग्राचुलेशन, स्पीच, एग्जाम, क्वेश्चन, आंसर, हार्ड, सिंपल, होमवर्क, रेस्ट, कम्फर्टेबल, डिस्टिंक्शन, एवरेज, क्यू, सीरिज, वेल डॉन, आल द बेस्ट, टीचर, क्लासरूम, लाइट, फैन, टेबल, चेयर, डिसिप्लिन आदि । जबकि हिन्दी में इनके आसान शब्द उपलब्ध हैं जैसे ठीक है, माफ कीजिए, स्वागतम, कृपया, धन्यवाद/आभार, बधाई, वक्तव्य, परीक्षा, प्रश्न, उत्तर, कठीन, सरल/आसान, गृहकार्य, आराम, आरामदायक, अव्वल, औसत, पंक्ति, श्रेणी, शाबास, शुभकामनाएं, शिक्षक, कक्षा, बिजली, पंखा, मेज, कुर्सी, अनुशासन आदि । यह कुछ ही विदेशी शब्द हैं जो हर घरों में और विद्यालयों में बच्चे सीख रहे हैं/बोल रहे हैं । यह केवल हिन्दी भाषा के साथ नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के साथ हो रहा है । यह तो कुछ ही शब्दावलियाँ हैं जो आंशिक रूप में समाज में, पुस्तकों में और विभिन्न दस्तावेजों में सुरक्षित हैं, किन्तु यही क्रम चलता रहा तो भविष्य में यह भी विलुप्त हो जाएँगी । ऐसे कई

शब्द हैं जो हम विगत में खो चुके हैं और कुछ खोने के क्रम में हैं। भाषाएँ इसी तरह विलुप्त होती हैं । पहले शब्द बदल दिए जाते हैं फिर वाक्यांश बदल दिए जाते हैं और अंत में उसकी लिपि बदल दी जाती है । इसी तरह हिंगलिश और रोमनीकरण के प्रभाव ने भाषा की मौलिकता को नष्ट करने का काम किया है । दक्षिण अफ्रीका की भाषा में रोमन लिपि का अधिक प्रभाव है । रोमन लिपि के प्रभाव में अपनी भाषा को खोने वाले देशों में वियतनाम भी एक देश है । कम्बोडिया में विद्यालयों के पाठ्यक्रम तक रोमन लिपि में लिखा जाने लगा था । बाद में कम्बोडिया की सरकार ने अपनी लिपि का संरक्षण करके अपनी भाषा को इस खतरे से उबार लिया ।

भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उन्नयन के लिए हमें अब गंभीर होना होगा । हमारी भाषाओं की चिंता हमें ही करनी होगी । हमें भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए बच्चों को भारतीय शब्दावलियों से जोड़ना होगा । हिंगलिश और रोमनीकरण के प्रभाव से भाषाओं को बचाना होगा । पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी स्तर पर बच्चों को अपनी भाषा पर गर्व करने और उसे अपने आचरण में अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा । बच्चों को बताना होगा कि आप चाहे कोई भी विदेशी भाषा सीखें या बोलें, किन्तु आपकी विद्वता भाषा के अनुप्रयोग से नहीं, बल्कि आपके मौलिक चिंतन से मापा जाता है । हम विश्व की किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किन्तु उस भाषा में कतई सोच नहीं सकते । हम अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अपनी मातृभाषा में ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं । मनुष्य का चिंतन और रचनात्मकता उसकी मातृभाषा में ही झलकता है । 'लोक कवि रत्न' के नाम से परिचित हलधर नाग को ही लीजिए, जिन्होंने कोसली भाषा में उच्चस्तरीय कविताएँ लिखी और साहित्य के क्षेत्र में एक मानक बन गए । वे तीसरी कक्षा के बाद कभी विद्यालय नहीं गए, किन्तु अपने मौलिक चिंतन और सृजनशीलता के कारण उन्हें एक प्रेरक व्यक्तिव के रूप में जाना जाता है । आज लोग उनकी रचनाओं पर पीएचडी कर रहे हैं । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उन्हें कोसली भाषा के संरक्षण में किए गए कार्यो के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था । इन सभी बातों का सार यह है कि हमारे मूल चिंतन और व्यक्तित्व का निर्माण मातृभाषा में ही होता है ।

भाषा को लेकर किए गए अनेक शोध भी यही बताते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए । मातृभाषा से सुलभ और सरल माध्यम भला अन्य भाषा कैसे हो सकती है ? माँ और मातृभाषा कोई विकल्प ही नहीं है । भारतीय समाज अंग्रेजी मानसिकता से पीड़ित है । जितनी जल्दी हम अंग्रेजी मानसिकता से बाहर आएँगे, भारतीय भाषाओं के लिए यह उतना ही हितकर सिद्ध होगा । एक भाषाई परिवार के रूप में अंग्रेजी का अपना सम्मान है । आज के समय में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु अंग्रेजी के बलबूते ही विकास के कार्य हो सकते हैं अथवा देश निर्माण के सभी पूर्वाधार अंग्रेजी में ही सिद्ध होते हैं, ऐसा कतई नहीं है । चीन, जापान, रूस, इजराइल, फ्रांस, कोरिया आदि ऐसे अनेक देश हैं, जिन्होंने अपनी भाषा के दम पर आज विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी भाषा को एक अतिरिक्त कौशल के रूप में देखा जाता है । भारतीय समाज में अंग्रेजी को मेधा और प्रतिभा से जोड़ दिया गया है । जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो उसे बौद्धिक माना जाने लगा । अंग्रेजी बोलने वाले को प्रकाण्ड विद्वान के रूप में देखा जाने लगा । समाज के हर वर्ग तक इस धारणा को स्थापित किया गया कि अंग्रेजी ही प्रतिष्ठा और सम्पन्नता की निशानी है । सामान्य रूप से सतही तौर पर यह धारणा सही लगती हो, किन्तु इसकी गहराई में जाएँ तो यह अनर्थक प्रतीत होती है । एक सामान्य नागरिक के पास भी भाषा कौशल होना आवश्यक है । यदि आप एक से अधिक भाषाएँ जानते हों, तो यह आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है । भाषा चाहे कोई भी हो, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो किसी व्यक्ति को प्रतिभा सम्पन्न बना सके, बल्कि भाषा में निहित ज्ञान ही व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करता है ।

भारतीय भाषाओं में अथाह ज्ञान भरा हुआ है । उस ज्ञान को पाने के लिए उस भाषाई संस्कार का होना आवश्यक है । आइए, हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित करें । उन्हें भारतीय ज्ञान, परंपरा, अध्यात्म, दर्शन और विविध सांस्कृतिक चौतन्यता से जोड़ने का उपक्रम करें । इस भाषाई उत्सव में आप और हम मिलकर भारतीय भाषाओं के उन्नयन में एक सार्थक कदम बढ़ाएँ। इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ आप सभी भाषा प्रेमियों, भाषा मर्मज्ञों, शिक्षकों और बच्चों को हिन्दी दिवस की अशेष शुभकामनाएँ !

साक्षात्कार : राहुल देव, शिक्षाविद्, वरिष्ठ पत्रकार

हिन्दी को राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा बनाने की बात मृगतृष्णा जैसी है...

राहुल देव

वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव का नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है । लखनऊ के 'दि पायोनियर' अंग्रेजी समाचार-पत्र से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत की । हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर गहरी पकड़ रखने वाले श्री राहुल देव ने ४० वर्ष से भी अधिक समय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में बिताया है । दि इलस्ट्रेटेड वीकली, करेंट, दि-वीक, प्रोब, माया, जनसत्ता और आज समाज में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के अलावा उन्होंने न्यूज चौनल आज तक, दूरदर्शन, जी न्यूज, जनमत और सीएनईबी में प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई हैं । सकारात्मक पत्रकारिता के लिए उन्हें देश में हिन्दी के सर्वोच्च पुरस्कार 'गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार' तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 2017 में और 2019 में पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । 2015 से 2019 के बीच माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा गठित संसदीय शोध कदम, लोकसभा में मानद सलाहकार के पद पर कार्यरत रहे। सम्प्रति वह एसजीटी विश्वविद्यालय, गुरुग्राम में सलाहकार हैं। वह केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्य रहे हैं। अभी केन्द्रीय गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। वह सम्यक् न्यास के प्रबंध न्यासी हैं। न्यास भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, विकास, मीडिया प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

प्रश्न : आप काफी लम्बे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं । भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं और संसद में भी कार्यरत रहे हैं। आप हमारे पाठकों को अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ बताएँ ।

उत्तर : मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी सारी शिक्षा वहीं हुई है। मैं स्नात्कोत्तर करते समय ही पत्रकार बन गया था। मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा और पहले अंग्रेजी का ही पत्रकार बना। मैंने 1979 में अंग्रेजी दैनिक 'दि पॉयनियर' से अपनी पत्रकारिता शुरू की। वहाँ पहले प्रशिक्षु बना, फिर उपसंपादक और तब संवाददाता। उसके बाद कई अंग्रेजी पत्रिकाओं में कार्य किया। तकरीबन 9 साल मैंने अंग्रेजी पत्रकारिता की। पायनियर के बाद साप्ताहिक करंट, इलस्ट्रेड वीकली, दि वीक, सूर्या इंडिया में रहा। जब मैं मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद की अंग्रेजी पत्रिका प्रोब इंडिया में मुख्य राजनीतिक संवाददाता था तो उनकी लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका पाक्षिक 'माया' के दिल्ली ब्यूरो प्रमुख बीमार पड़े और लम्बी छुट्टी पर गए तो माया के संपादकों ने मुझसे कहा कि आप हमारे लिए एक आवरण कथा लिख दीजिए। मैंने बड़े ही सहज रूप से उनके लिए आवरण कथा लिख दी। वह कथा उनको पसंद आई और उन्होंने कहा कि अब आप माया का दिल्ली ब्यूरो संभालिए । इस तरह से सहज ही मैं अंग्रेजी से हिन्दी में आ गया। तब से हिन्दी में ही हूँ।

'माया' के बाद मुझे प्रभाष जी ने बुलाया और 'मुम्बई जनसत्ता' का स्थानीय संपादक बनाकर वहाँ भेजा। मुम्बई में मैं तकरीबन साढ़े छह साल रहा। वहाँ खूब काम किया। वह मेरी पत्रकारिता का स्वर्णकाल रहा है । मुम्बई से मैंने हिन्दी की पहली नगर पत्रिका 'सबरंग' शुरू की, मुम्बई का सांध्य दैनिक 'संझा जनसत्ता' शुरू किया। वह इतने कम समय में एक दैनिक अखबार की शुरुआत का कीर्तिमान बन गया। विचार आने से लेकर अखबार शुरू होने तक की प्रक्रिया केवल 11 दिन में पूरी हुई। बारहवें दिन अखबार बाजार में आ गया। यह काम इतने कम समय में होता नहीं है लेकिन हो गया क्योंकि अखबार की संकल्पना, प्रारूप, डिजाइन और संपादकीय टीम के अलावा सारा ढांचा वहाँ मौजूद था।

इसके अलावा वहाँ पर एक प्रमुख काम और हुआ, मुम्बई में हिन्दी भाषियों की सामाजिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। उनके पास कोई अच्छा, बड़ा और सक्षम सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्व नहीं था। उनका संख्या बल तो बहुत था लेकिन वे बड़े बिखरे हुए और आपस में बड़े असंगठित, उपेक्षित और अपमानित-सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनको सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से सक्रिय और संगठित करने की हमने कोशिश की । उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता को थोड़ा सुदृढ़ करने की कोशिश की। मुम्बई में उस समय 100 से ज्यादा रामलीलाएँ होती थीं। वह सबसे बड़ा मौका होता था जब मुम्बई का सारा हिन्दी समाज एक साथ जुड़ता था। हमने उनके प्रमुख लोगों को साथ बैठाकर एक रामलीला महासंघ बनाया। प्रमुख स्थानीय लोगों, आयोजकों और संस्थाओं को जोड़कर एक संस्था बनाई और 'जनसत्ता रामलीला पुरस्कार' स्थापित किए। इसमें हम सर्वश्रेष्ठ रामलीला मंचन और उनकी संस्थाओं को पुरस्कृत करते थे ।

हिन्दी पत्रकार संघ का गठन किया। निखिल वागले और उनके दफ्तर पर शिवसेना के हमलों का हम लोगों ने सक्रिय विरोध किया, प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। शिवसेना के लोगों की गालियाँ, धमकियाँ, ईंट-पत्थर खाए। प्रभाष जी ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। शिवसेना के इतिहास में पहली और आखिरी बार शिवसेना के दफ्तर के ठीक सामने हम लोगों ने पूरे दिन का धरना दिया जिसमें देश भर से आए प्रमुख राष्ट्रीय संपादकों और पत्रकारों ने हिस्सा लिया । ये सब काफी रोमांचक क्षण थे जिन्हें सोच कर आज भी काफी अच्छा लगता है ।

मेरे पत्रकारीय जीवन का यह सबसे गौरवपूर्ण अध्याय था । प्रेस की आजादी के लिए, प्रेस की एकता के लिए और प्रेस की आजादी पर हमला करने वालों के खिलाफ हमने लाठियाँ खाईं, पत्थर खाए, संघर्ष किया, सड़कों पर उतरे । मुझे मिलने वाली धमकियों, पत्नी को अश्लील फोनों, धमकियों को देखते हुए मुम्बई पुलिस ने कई महीने चौबीस घंटे की सुरक्षा प्रदान की। वे जो पत्थर पड़े मैं मानता हूँ कि वे मेरे सबसे गौरवपूर्ण मुकुट हैं।

उसके बाद मुझे प्रभाष जी की सेवा-निवृत्ति के बाद दिल्ली आकर जनसत्ता का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। जनसत्ता के बाद मुझे 'आज तक' का नेतृत्व करने का निमन्त्रण मिला । उसके बाद दूरदर्शन, जी न्यूज, जनमत, सी.एन.ई.बी. चैनलों में काम किया। अंत में प्रधान संपादक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहा। उसके बाद दो साल दैनिक आज समाज तथा साप्ताहिक इंडिया न्यूज का प्रधान संपादक रहा।

अब मैं स्वतंत्र कार्य कर रहा हूँ। पिछले साल जुलाई तक संसद में कार्यरत रहा। 16वीं लोकसभा की माननीय अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने 2015 में एक महत्वपूर्ण नया कार्य शुरू किया था 'अध्यक्षीय शोध कदम' नाम से। उसके मानद सलाहकार के रूप में संचालन की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। यह एक अत्यन्त समृद्ध अनुभव था। हम सांसदों के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर अच्छे से अच्छे विशेषज्ञों को बुला कर कार्यशाला करते थे। इसे सांसदों का अच्छा प्रतिसाद मिला।

इसी के साथ अपनी संस्था सम्यक न्यास के माध्यम से हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य, एच.आई.वी. एड्स, टीकाकरण, जल-स्वच्छता-सफाई, विकास आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काफी काम किया। राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यू.एन.एड्स, एक्शनएड जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ मीडिया प्रशिक्षण का काम करना एक अत्यन्त समृद्ध अनुभव रहा। एच.आई.वी. एड्स की ठीक रिपोर्टिंग पर देश के 11 राज्यों तथा नेपाल और बांग्लादेश के पत्रकारों के प्रशिक्षण का काम बेहद लाभदायी रहा। हमने यू.एन.डी.पी. की प्रतिष्ठित 'मानव विकास रिपोर्ट' का तीन वर्ष तक हिन्दी अनुवाद भी किया।

इसके साथ 'सम्यक' के मंच से दिल्ली, मुम्बई में प्रमुख भारतीय भाषाओं के विद्वानों के साथ भारत के भाषा संकट पर गंभीर गोष्ठियों की श्रृंखला का भी आयोजन किया। यह काम अभी जारी हैं। इस समय मैं श्री गुरु गोवन्द सिंह जन्म त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय के सलाहकार के रूप में कुछ समय दे रहा हूँ ।

प्रश्न : 'मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है।' आप पत्रकारिता से लम्बे समय से जुड़े हैं । आप हिन्दी पत्रकारिता में हिन्दी को किस स्तर पर देखते हैं?

उत्तर : मैं बरसों से यह कह रहा हूँ कि हिन्दी के अधिकतर प्रमुख अखबार और चैनल, कुछ अपवादों को छोड़कर, हिन्दी के दैनिक हत्यारे हो गए हैं। पत्रकारिता से कई तरह की अपेक्षाएँ समाज को होती हैं। पत्रकारिता के कई कर्तव्य होते हैं। सबसे पहला तो यह कि जो हो रहा है वह जनता को बताना और उसे संदर्भ के साथ, परिप्रेक्ष्य के साथ बताना, उसका विश्लेषण करना, टिप्पणी करना। लोकहित में जो कुछ भी प्रकाश में लाए जाने योग्य है, नागरिकों को बताए जाने योग्य है उसको सभी के समक्ष लाना उसका मूल कर्तव्य है। इसी के साथ लोक रुचि का परिष्कार करना भी पत्रकारिता का एक काम है । लोक रुचि के परिष्कार में भाषा का निर्माण तथा परिष्कार भी शामिल है । हमारी पीढ़ी के लोगों ने अपने समय के अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़कर भाषा को सुधारा है। अच्छी भाषा आती है अच्छा पढ़कर। बिना अच्छा पढ़े अच्छी भाषा नहीं आ सकती । इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी प्रकाशित होता है चाहे दैनिक अखबारों में हो, पत्रिकाओं में हों या पुस्तकों में हों, उसका काम बाकी कामों के अलावा पाठक की भाषा का परिष्कार भी है । पत्रकारिता लोक शिक्षण तो करती ही है साथ-साथ भाषा शिक्षण भी करती है। सार्थक संवाद करना भी सिखाती है ।

अगर इस कसौटी पर हम आज की पत्रकारिता के दोनों माध्यमों टी.वी. और अखबार को कसें तो पाएंगे कि अपवादों को छोड़कर वह रोज अपने दर्शकों और पाठकों की भाषा को बिगाड़ रहे हैं, उन्हें साफ-सुथरी हिन्दी से दूर कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं और उन्हें ऐसी भाषा दे रहे हैं जो न तो हिन्दी है और न अंग्रेजी बल्कि एक अपाहिज, लूली, लंगड़ी, भ्रष्ट भाषा है । नई पीढ़ियां वही सुनकर और पढ़कर बड़ी हो रही हैं । हमारे समाज में भी वह इतना फैल गई है कि अब यह तय करना कठिन हो गया है कि समाज की भाषिक भ्रष्टता का प्रतिबिंब हमें पत्रकारिता की भाषा में मिल रहा है या पत्रकारिता की भाषा समाज की भाषा को भ्रष्ट कर रही है । पत्रकारिता का काम समाज की बुराइयों को ज्यों का त्यों सामने रखना नहीं है बल्कि उनके विश्लेषित, सुविचारित परिष्कृत सत्य को सामने रखना और लोक रुचि का परिष्कार करना है। लेकिन जिस तरीके का माहौल वर्तमान में चल रहा है उसे देख कर लगता है कि हमारी भाषाएँ जीवंत और सबल भाषाओं के रूप में नहीं बचेंगी। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी पत्रकारिता और हमारे मीडिया पर होगी- मुद्रित और टी.वी. दोनों माध्यमों पर।

प्रश्न : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के परिदृश्य को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या आप हिन्दी की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं?

उत्तर : एक तरफ हिन्दी में अब भी बहुत उत्कृष्ट वैचारिक लेखन हो रहा है। साहित्य लेखन पहले से बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हो रहा है। सोशल मीडिया की नई तकनीक ने सभी को लेखक बना दिया है। जिसके पास भी कहने को कुछ विचार हैं, कविता है, भाषा है उसके पास आज कई मंच उपलब्ध हैं। इस नई तकनीक के आने से हिन्दी लेखन में अपार विस्तार हुआ है। नई तरह का लेखन हो रहा है, नए तरीके का साहित्य, नई शैलियों, विषयों, दृष्टियों के साथ, नए मुहावरों और नए तेवरों के साथ लिखा जा रहा है । नए माध्यमों ने विचार और साहित्य का एक विराट प्रस्फुटन और लोकतंत्रीकरण किया है ।

एक तरफ तो इस नई और लोकतांत्रिक तकनीक के आने से हिन्दी रचनाशीलता का विस्फोटक विस्तार हुआ है। बहुत सारे नए उत्कृष्ट लेखक सामने आए हैं। वहीं दूसरी स्थिति यह है कि आम समाज में, हिन्दी समाज में जो हिन्दी बोली जा रही है वह निरन्तर निम्न से निम्नतर, निकृष्टतर, भ्रष्टतर होती जा रही है। उसको देख कर मुझे वर्षों से यह दिख रहा है, और जिसे मैं चीख-चीख कर कह रहा हूँ, कि अगर यही चलता रहा, ये चीजें अगर नहीं बदली तो हिन्दी नहीं बचेगी। हिन्दी की पत्रिकाओं और चैनलों की बात तो छोड़िए अब हिन्दी के बड़े अखबार भी अपने शीर्षक पूरे अंग्रेजी में देने लगे हैं । अब ये छात्र न लिखकर स्टूडेंट लिखते हैं, अभिभावक नहीं पैरेन्ट्स, कमरा नहीं रूम, शिक्षक नहीं टीचर छापते हैं। अंग्रेजी के शब्दों का ही नहीं अंग्रेजी के व्याकरण का भी इस्तेमाल ये अखबार और चैनल कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स।

किसी भी तरह के जन माध्यम की सहज प्रकृति होती है कि वह जिस भी चीज को बाहर लाता है, प्रकाशित कर देता है वह अपने आप ही एक विशिष्टता हासिल कर लेता है, सामान्य से बड़ी छवि हासिल कर लेता है। और चाहे नकारात्मक ही हो लेकिन एक खास तरह की लोक उपस्थिति भी प्राप्त कर लेता है। एक तरह का मानक बन जाता है। यही चीज भाषा के साथ होती है पढ़ने और लिखने वालों के लिए। और यूं ऐसी भ्रष्ट, घटिया हिन्दी को ही पत्रकारिता की मुख्य धारा की भाषा बना कर एक बेहद भ्रष्ट और अपाहिज भाषा को स्वीकार्य ही नहीं मानक बनाया जा रहा है ।

जो युवा पाठक हैं, जो अभी परिष्कृत पाठक नहीं हैं, अभी किशोर हैं, युवा हैं, इन अखबारों और चैनलों को पढ़ते हैं देखते हैं उनके लिए तो यही भ्रष्ट हिन्दी अब सही हिन्दी है, सामान्य हिन्दी है और अब स्थिति यह है कि सही, सामान्य, सरल हिन्दी बोलो तो लोगों को उलझन होने लगती है । अब हम लोग 'समय' और 'वक्त' का इस्तेमाल नहीं करते केवल 'टाइम' का इस्तेमाल करते हैं, 'लेकिन' और 'परंतु' अब हमारे मुँह से नहीं निकलते 'बट' निकलता है। इस तरीके से आम मध्यमवर्गीय हिन्दीभाषी लोगों ने भी हिन्दी को दूषित किया है। मैं जब इन रुझानों को अगले 50 सालों पर प्रक्षेपित करता हूँ तो मुझे लगता है अगले 30-40 साल बाद हिन्दी बचने वाली नहीं है।

आज हिन्दी के साहित्यकार लेखन करने के बाद एक-दूसरे के लेखन की सराहना करते हैं, एक-दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, आप मेरी प्रशंसा करते हैं मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ यही तो हो रहा है हिन्दी साहित्य जगत में, गोष्ठियों में। मेरा सवाल है 20 साल बाद इस साहित्य का पाठक कौन होगा? आपके अपने बच्चे ही आपके पाठक नहीं है तो बाकियों की तो छोड़ ही दीजिए। फिर कौन पढ़ेगा प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी को और फिर तुलसी को कौन पढ़ेगा, रामचरितमानस को कौन पढ़ेगा?

आज की पूरी शिक्षा प्रणाली में हिन्दी सिर्फ एक कोने में पड़ा हुआ उपेक्षित विषय है। हर साल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दुगनी हो रही है, 2030-35 तक इस देश के सारे बच्चे सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे होंगे। हर प्रदेश में स्थानीय भाषाई माध्यम विद्यालय बन्द हो रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में भी सरकारें अपनी भाषा नीति के खिलाफ अपने हिन्दी माध्यम विद्यालयों को भी अंग्रेजी माध्यम कर रही हैं । मराठी, गुजराती, पंजाबी देश की सभी भाषाओं में यही हो रहा है। निजी विद्यालय तो दशकों से अंग्रेजी माध्यम हैं ही अब सरकारी स्कूल भी अंग्रेजी माध्यम हो रहे हैं।

हमारी नई पीढ़ियाँ देवनागरी सहित अपनी लिपियों से ही अपरिचित बनाई जा रही है। हमारे बच्चों को उनकी अपनी लिपि दिखती ही नहीं है। आज सब जगह पोस्टर, विज्ञापन अंग्रेजी में ही छपते हैं। घरों में उनकी अपनी ही भाषा की किताबें नहीं है, माँ-बाप किताबें लाते ही नहीं है और यदि लाते है तो अंग्रेजी की किताब लाते हैं। हिन्दी की किताबें, पत्रिकाएँ खरीदने में अब लोगों को शर्म आती है। अंग्रेजी वालों के सामने आज हिन्दी वाला दीन हो जाता है।

इन सारी चीजों को मिलाकर जब मैं भविष्य देखता हूँ तो मुझे साफ दिखता है हिन्दी सहित हमारी सभी भाषाएँ बहुत कमजोर और हाशिए की भाषाएँ बन कर ही बचने वाली हैं । ये भाषाएँ रहेंगी, खत्म नहीं होंगी लेकिन फिल्मों की भाषा के रूप में, मनोरंजन की भाषा के रूप में, गालियों की भाषा के रूप में, और ऐसे साहित्य की भाषा के रूप में जिसे पढ़ने वाले मुट्ठी भर लोग होंगे। यदि हमें हिन्दी का भविष्य देखना है तो यह नहीं देखना होगा कि कितने लोग हिन्दी समझ और बोल रहे होंगे। असली प्रश्न यह है कि कितने लोग हिन्दी में पढ़ और लिख रहे होंगे। भविष्य का संकेत वहाँ से मिलेगा और सारे संकेत बता रहे हैं कि हिन्दी पढ़ने और लिखने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है।

यह मैंने हिन्दी का भविष्य और वर्तमान आपके सामने रखा है। इसमें दुखद यह है कि जिस वर्ग को इस खतरे से सबसे पहले अवगत होना चाहिए, उद्वेलित और व्याकुल होना चाहिए, यह खतरा जिन्हें सबसे पहले दिखना चाहिए, हिन्दी में वह जो रचने वाला वर्ग है, साहित्यकार और लेखक है, सबसे ज्यादा मौन वही है। इस विषय पर वह शुतुरमुर्ग हो गया है। वे अपनी रचना में, अपनी रचना प्रक्रिया में, अपनी वाहवाही में इतना आत्ममुग्ध और व्यस्त है कि जिस भाषा में वे रच रहे हैं, इतना यश, कीर्ति और पुरस्कार पा रहे हैं, उस भाषा की जमीन दिनों-दिन खिसक रही है और उनको यह दिखता ही नहीं है। उनको कोई कष्ट ही नहीं होता, उनको कोई चिन्ता ही नहीं है। यह मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य है कि हिन्दी जगत से, हिन्दी शिक्षा जगत से जुड़े लोग, हिन्दी के शिक्षक, हिन्दी जिनकी आजीविका है वे भी इस पर आंदोलित नहीं हैं, चिंतित नहीं हैं।

प्रश्न : वर्तमान में विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जाती है और आठवीं कक्षा से हिन्दी को वैकल्पिक बनाकर विदेशी भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। हिन्दी के प्रति इस रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे?

उत्तर : यह हिन्दी को खत्म करने का रवैया है, गला घोटने का रवैया है, उसका भविष्य नष्ट करने का रवैया है और यह घोर मूर्खतापूर्ण रवैया है। यह ऐसा रवैया है जो हिन्दी को ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले करोड़ों बच्चों के भविष्य को, उनके बौद्धिक विकास को अवरुद्ध करने वाला, उनके भविष्य को बिगाड़ने वाला है। अभी जो नई शिक्षा नीति

का प्रारूप आया है वह सौभाग्य से काफी अच्छा आया है । पहली बार किसी शिक्षा नीति के प्रारूप में भाषा को इतना महत्व और इतनी जगह दी गई है। इसमें प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को काफी प्रबलता से रेखांकित किया गया है । यह बच्चे के बौद्धिक और संवेगात्मक विकास के लिए मातृभाषा या घर की भाषा के महत्व पर केन्द्रित है। यह अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन हमारे देश की अब तक चल रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्पष्ट उल्लंघन में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के शैक्षिक संगठन भी धीरे-धीरे अपनी शिक्षा से हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं को बेदखल कर रहें है। इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हो रहे हैं और होंगे। मैं चकित हूँ कि हमारे नीति निर्माताओं को बिलकुल सामने खड़ा यह संकट दिखता ही नहीं है। यह मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है।

प्रश्न : पिछले दिनों ही हमारी नई शिक्षा नीति का प्रारूप आया और दक्षिण राज्यों के दबाव के चलते उसमें से हिन्दी को अनिवार्य भाषा बनाने वाले खंड को हटा दिया गया। आप इसे किस रूप में देखते हैं ?

उत्तर : शुरू में मुझे भी झटका लगा था । उस कदम से बहुत बुरा लगा था लेकिन मैंने उसके बाद इस विषय का अध्ययन किया कि तमिलनाडु के इस पुराने, ऐतिहासिक और असाधारण रूप से उग्र हिन्दी विरोध का कारण क्या है, उसकी जड़ें कहाँ हैं? मुझे इसमें कई चीजें मिली हैं। अभी अध्ययन चल रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ में आने लगा है कि यह क्यों हो रहा है।

दरअसल इसे बाकायदा निर्मित किया गया है । इस स्थिति को बनने में 100 साल लगे हैं । तमिल लोगों के दिलो-दिमाग में हिन्दी के प्रति घृणा एक लम्बी प्रक्रिया और काल में भरी गई है। इस सामूहिक मानसिकता के चार स्तंभ हैं- हिन्दी से घृणा, ब्राह्मणवाद से घृणा, संस्कृत से घृणा और उत्तर भारत के नकली आर्य-द्रविड़ विभाजन में आर्यों से घृणा । आर्य और द्रविड़ कृत्रिम विभाजन से यह शुरू हुआ था, और जो कुछ भी उत्तर से आता था उससे, उत्तर की हर चीज और प्रभाव का विरोध और उससे नफरत करने की भावना तमिल लोगों के दिमाग में विधिवत भरी गई है।

इसका इतिहास काफी लम्बा है मैं उसमें नहीं जाऊँगा । तमिल भाषा के प्रति उसके लोगों का जो प्रेम है वह सामान्य प्रेम नहीं एक असामान्यता और विकृति की हद तक पहुँचने वाला प्रेम है । वह तमिल भक्ति की भावना में बदल चुका है। तमिल को उसके साहित्य और लोक मानस में देवी, माँ की जगह प्राप्त है। कई दशकों की इस लम्बी प्रक्रिया ने एक ओर एक विशिष्ट तरह की तमिल भाषाभक्ति को जन्म दिया वहीं हिन्दी के प्रति उनके दिलों में घृणा भी उत्पन्न कर दी है। इसके काफी प्रमाण उपलब्ध हैं । गीतों, कविताओं, लेखों और भाषणों में आज से 50-60-70 साल पहले तक हिन्दी को राक्षसी, तमिल की हत्यारी, कुलटा और पूतना जैसी भाषा के तौर पर निरूपित किया गया है । यह भाव उनके अन्दर भरा गया है। इसका दूसरा पहलू यह है कि वे तमिल को एक देवी के रूप में, माँ के रूप में और एक असामान्य, अलौकिक, आध्यात्मिक अस्मिता और हस्ती के रूप में देखते हैं। अपनी भाषा से यह रिश्ता हमारे लिए अपरिचित है। हम लोग हिन्दी को ऐसे नहीं देखते। किसी भी भारतीय भाषा के लोग उसे ऐसे नहीं देखते। हम जिस भाव से भारत माता बोलते हैं वही भाव उनके मन में तमिल माता के लिए है।

अकेली तमिल ऐसी भाषा है जिसमें जब उसके समर्थकों को लगा कि हिन्दी हमारे ऊपर थोपी जा रही है तो उन्होंने आत्मदाह किया। 20 से ज्यादा लोगों ने तमिल के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे हालात के बाद, तमिलों के इतने कड़े विरोध के इतिहास के बाद एक बार फिर से इस विरोध की भावना को उग्र होने का अवसर देना, उस आंदोलन को फिर से खड़े होने का मौका देना उचित नहीं होता। मैं समझता हूँ सरकार ने ठीक किया इसको वापस लेकर ।

मेरा सिर्फ यह कहना है कि इस नीति के प्रारूप को नए शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण करने वाले दिन ही तुरंत उनके हाथ में सौंपने की जरूरत नहीं थी। ऐसी जल्दी क्या थी? एक हफ्ता रुक जाते। एक समिति बना कर उसे इस मुद्दे पर जाँच करने को कहा जा सकता था। विरोधी दलों, संगठनों से संवाद की शुरुआत की जा सकती थी। सरकार थोड़ी सावधानी बरतती, इतनी हड़बड़ी न दिखाती तो इस फजीहत से बच सकती थी कि नए शिक्षा मंत्री और नई सरकार का पहला काम ही इस प्रारूप को वापस लेना और हड़बड़ी में विरोधियों से समझौता करके उसे संशोधित करना हो गया। लेकिन यह हमारे लिए संतोष की बात होनी चाहिए कि तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ वर्गों को छोड़कर बाकी देश के किसी भी प्रदेश से नई शिक्षा नीति में हिन्दी की अनिवार्यता को लेकर कोई विरोध नहीं हुआ। पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकार्यता है, न केवल स्वीकार्यता है बल्कि हिन्दी की मांग है। तमिलनाडु में, कर्नाटक सहित सब जगह है । तमिलनाडु में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, जो गाँधी जी ने 1918 में स्थापित की थी, हिन्दी की परीक्षाएँ लेती है। उसमें लगभग साढे चार लाख तमिल लोग हिन्दी सीख रहे हैं। मैंने 2014 का एन.डी.टी.वी. अंग्रेजी का एक वीडियो देखा जिसमें चेन्नई के अंग्रेजी माध्यम के एक बड़े स्कूल के बच्चे और उनके शिक्षक अंग्रेजी में यह कह रहे हैं कि हमें हिन्दी चाहिए, हम हिन्दी पढ़ना चाहते हैं। तो इस समय जो नई पीढ़ी वहाँ पर है, जो युवा हैं, वे और उनके शिक्षक भी हिन्दी की जरूरत और महत्व महसूस कर रहे हैं। वे हिन्दी सीख भी रहे हैं । यह एक शुद्ध राजनीतिक विरोध है और द्रविड़ अलगाववादी राजनीति का बड़ा हिस्सा और परिणाम है। हिन्दी और तमिलनाडु का यह जो इतिहास है उसकी इस विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से अभी प्राथमिक शिक्षा में हिन्दी की अनिवार्यता के मामले को छोड़ देना चाहिए।

प्रश्न : आजादी के बाद काफी समय गुजर गया है लेकिन उसके बावजूद हम आज तक अपनी मातृभाषाओं को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ पाए हैं। ऐसे क्या कारण हैं कि हम लोग ऐसी कोई ठोस नीति नहीं बना पाए जिससे प्राथमिक शिक्षा हम अपनी मातृभाषा में दे सकें हालांकि इस पर चर्चाएं बहुत हुई हैं?

उत्तर : अभी तक तो यही हो रहा था यानी मातृभाषा या स्थानीय प्रादेशिक भाषा में पढ़ाई। मैं समझता हूँ कि पिछले 25 साल में आर्थिक

उदारीकरण जब से तेज हुआ है तब से अंग्रेजी की बाढ़ आई है वरना आज भी सभी प्रदेशों की जो शिक्षा नीतियाँ हैं उनमें तो मातृभाषा माध्यम का ही प्रावधान है । नीति के नाम पर तो अब भी वही नीति है लेकिन व्यवहार लगातार बदलता जा रहा है। मुख्य बात यह है कि आजादी के बाद डॉ. कोठारी, डॉ. राधाकृष्णन, राममूर्ति जैसे बड़े शिक्षाविदों को छोड़कर शिक्षाविदों ने, सरकार ने, समाज ने भाषाओं के बारे में गहराई से चिन्तन करना, उन को गंभीरता से लेना ही एक तरह से छोड़ दिया था । भाषाओं को बचाने की जरूरत है, उन पर इस तरह का संकट खड़ा हो सकता है यह अनुमान ही कोई नहीं लगा पाया, गाँधीजी भी नहीं और नेहरू जी भी नहीं। आज हम पाते हैं कि सारे शिक्षा आयोगों की सिफारिशों के खिलाफ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित नीति के खिलाफ लगातार कार्य किया गया है और किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज सारी भारतीय भाषाएँ बहुत गहरे संकट में आ गई हैं । पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था की जो आज दुर्दशा है यह उसी का हिस्सा है कि भाषा की भी दुर्दशा है । जो किसी भी नए स्वाधीन देश के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए था कि अपने लोगों को अपने तरीके से, अपनी भाषाओं और उनके वातावरण में शिक्षित करने का ताकि वह अपनी देशज, मौलिक प्रतिभा और मनीषा के अनुसार अपना भविष्य निर्माण कर सकें उस को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। अंग्रेजी के सम्मोहन में छोड़ दिया गया ।

प्रश्न : भारत की भाषिक विविधता एक समस्या के रूप में देखी जाती है। कुछ लोग हिन्दी पर वर्चस्ववादी होने का आरोप भी लगाते हैं। यह कहाँ तक सही है?

उत्तर : शुरू में मुझे भी यह बात बुरी लगती थी। हिन्दी के एक प्रबल समर्थक और कार्यकर्ता के रूप में मैं चूंकि अपने को कहीं से भी वर्चस्ववादी नहीं पाता इसलिए मेरी प्रिय हिन्दी वर्चस्ववादी हो सकती है यह मानने में मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन आज मैं चीजों को गहराई से समझने और अध्ययन करने के बाद पाता हूँ कि कई क्षेत्र और आयाम ऐसे हैं जहाँ पर हिन्दी भी स्थानीय भाषाओं के लिए एक वर्चस्ववादी भाषा हो सकती है । यह स्थिति विशेष तौर से आदिवासी समाजों के लिए बिल्कुल वास्तविक है। आदिवासी हमारे देश का बड़ा हिस्सा हैं। उनकी भाषाएँ इंडो-यूरोपीयन भाषाओं में नहीं आती हैं । जो चार-पाँच भाषा परिवार भारत में हैं उनमें जो सबसे छोटा परिवार है उसमें ज्यादातर आदिवासी भाषाएँ आती हैं । जिसे हम मुख्यधारा या भारतीय जीवन धारा कहेंगे हमारे आदिवासी उससे एक अलग जीवन जीते हैं । उनकी भाषाएँ अलग हैं, उनकी जीवनपद्धति, मूल्यव्यवस्था अलग है, तौर-तरीके अलग हैं, दिलो-दिमाग अलग हैं, रस्मो रिवाज अलग हैं, दुनिया अलग है ।

उनके बच्चे जब किसी गाँव के प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ की जो स्कूली हिन्दी है, जो हमारी किताबी हिन्दी है वह उनके लिए उतनी ही अपरिचित होती है जितनी हमारे घर के बच्चों के लिए अंग्रेजी । इससे एक तो उन बच्चों के मन में शिक्षा, विद्यालय के प्रति और अपनी भाषा के प्रति अरुचि हो जाती है। साथ ही उनका आत्मबोध, आत्म-सम्मान आहत होता है, अपनी भाषा और अपने अस्तित्व को लेकर एक हीन भावना भी गहरे बैठ जाती है। दूसरे, कक्षा में बरती जानी वाली इस अपरिचित हिन्दी से उनका अधिगम प्रभावित होता है। वे विषय समझ और सीख नहीं पाते। ऐसे विद्यालयों में जहाँ पर हिन्दी बोलने वाले या स्थानीय प्रमुख भाषा बोलने वाले बच्चे और आदिवासी भाषा बोलने वाले बच्चे साथ होते हैं वहाँ आदिवासी बच्चे अपने आप को अलग, उपेक्षित और अपमानित महसूस करते हैं। उनकी भाषा का, उनके रंग रूप का मजाक उड़ाया जाता है।

धीरे-धीरे इसका एक बहुत ही खराब मनोवैज्ञानिक असर होता है और जो सीखने के लिए उनको भेजा जाता है वह तो वे सीखते ही नहीं है उल्टा वे नई तरह की ग्रंथियाँ लेकर लौटते हैं । आदिवासी भाषा बोलने वालो को पहले 5 वर्ष की शिक्षा अपनी मातृभाषा, अपने घर की भाषा में मिलनी चाहिए। हिन्दी को भी वहाँ दूसरी तीसरी के बाद धीरे से लाया जाना चाहिए। अंग्रेजी तो दसवीं-ग्यारहवीं से पहले बिल्कुल नहीं लानी चाहिए । ऐसी स्थिति में हिन्दी का जो विरोध है, अब उसकी अपनी सहायक भाषाओं से और बोलियों से होने लगा है ।

प्रश्न : क्या हमसे त्रिभाषा फार्मूला को सही ढंग से लागू करने में चूक हुई है? क्या इस समय इस फार्मूले का कोई औचित्य बचा है?

उत्तर : बहुत ज्यादा चूक हुई है। नई शिक्षा नीति का प्रारूप यह स्वीकार कर रहा है कि हिन्दीभाषी राज्यों ने भाषा सूत्रों को ईमानदारी से लागू नहीं किया है। हमने किया यह है कि हम हिन्दी और अंग्रेजी तो शौक से पढ़ते हैं और तीसरी भाषा के नाम पर सब संस्कृत ले लेते हैं । संस्कृत न तो ठीक से पढ़ाई जाती है, न समझाई जाती है। केवल उसमें अंक ज्यादा मिल जाते हैं, शिक्षक उसमें दिल खोलकर अंक दे देते हैं इसलिए बच्चे इस विकल्प को चुन लेते हैं । हिन्दी भाषी राज्यों ने यह बहुत बड़ी बेईमानी की है और इसका बहुत खराब असर दक्षिण भारत के राज्यों पर पड़ा है। इसलिए कि उन लोगों ने अपने यहाँ ठीक से हिन्दी सिखाई है और आज भी सिखा रहे हैं । केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोग हिन्दी सीख रहे हैं लेकिन हमने उनकी भाषाओं को न तो सीखा ही और न ही अपने बच्चों को सिखाया । हिन्दी भाषियों की समस्या यह है कि दूसरे भाषाई समाजों की तुलना में समाजिक स्तर पर वह बेहद घटिया समाज है। वह एक बहुत आत्मलीन, आत्मलज्जित और अंतर्मुखी समाज है । वह एकभाषी है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा एकल भाषी हिन्दी भाषी हैं। दूसरी सभी भाषाओं के लोगों में एकभाषिता हमसे कम और बहुभाषिता हमसे ज्यादा पाई जाती है ।

कई जगह पर तो लोगों को दो-दो, तीन-तीन भाषाएँ आती हैं, लेकिन हिन्दी वाले सिर्फ हिन्दी पढ़ते और जानते हैं। न तो उन्हें दूसरी भाषा आती है और न ही वे जानना चाहते हैं । इससे नुकसान भी उन्हीं का हुआ है, हिन्दी का हुआ है। स्वाभाविक रूप से दूसरे समाजों में इसका विरोध और प्रतिक्रिया होती है और दूसरी भाषाओं वालों का यह तीखा तथा वाजिब सवाल बन जाता है कि भाई जब आप हमारी भाषा सीखने को तैयार नहीं है तो हम आपकी भाषा क्यों सीखे, क्यों बोलें? इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता।

प्रश्न : जब भी देश में चुनाव आते हैं आठवीं अनुसूची का मुद्दा गर्मा जाता है। आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने की पंक्ति में लगी तमाम हिन्दी पट्टी की बोलियों और भाषाओं के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?

उत्तर : दुर्भाग्य से हमारे संविधान में जो कई रहस्य है उनमें एक आठवीं अनुसूची का रहस्य भी है । आठवीं अनुसूची क्यों बनी, बनाने का उद्देश्य क्या था, उसमें भाषाओं के चयन का आधार क्या था, किस भाषा को लेना है, किसको नहीं लेना है इसका कहीं कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता, कहीं कोई व्याख्या नहीं है। मैंने इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। शुरू में इसमें 14 भाषाएँ थी जो अब 22 हो गई हैं। अधिकतर भाषाएँ तो अपने आकार के कारण आई हैं । यह स्वाभाविक है। कुछ भाषाएँ राजनीतिक कारणों से आई जैसे सिंधी। सिन्ध अब भारत में नहीं है लेकिन तब भी सिंधी को रखा गया क्योंकि उसके राजनयिक और राजनीतिक कारण थे। सिंधी बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं और सिंधी को हम अपना मानते हैं। उसको बचाने के लिए हमने उसे सरकारी मान्यता दी।

संस्कृत किसी भी एक जगह की भाषा नहीं है लेकिन वह हमारी शास्त्रीय भाषा है, भारत की आत्मा है। इसलिए उसको बचाने की जरूरत थी। मैथिली पहले नहीं थी, काफी बाद में आ गई क्योंकि मैथिली वालों ने बहुत संघर्ष किया उसके लिए। हिंसक आंदोलन हुआ और उन लोगों ने एक तरीके से जबरदस्ती आंदोलन करके अपने को शामिल करवा लिया । उससे मैथिली का कोई भला हुआ हो ऐसा तो नहीं दिखता लेकिन वह आ गई । अब इस समय 38 भाषाओं से प्रार्थना पत्र गृह मंत्रालय में रखे हुए हैं जो सब आठवीं अनुसूची में शामिल होना चाहती हैं । अभी तो जो ये 22 हैं उनकी अपनी हालत कोई अच्छी नहीं है। इन 38 को शामिल करने पर जब 60-65 हो जाएंगी तो इनका और सबका क्या होगा पता नहीं ।

कई लोगों ने इस सूची के उद्‌गम और आयामों को समझने के लिए काफी खोजबीन और लेखन किया है। जो कुछ भी हमारे विद्वानों ने कहा है, सुभाष कश्यप जैसे लोगों ने कहा है, उसे देखने के बाद मेरी यह समझ बनी है कि आठवीं अनुसूची में किन भाषाओं को रखा गया और क्यों रखा गया इसका सूत्र है संविधान की धारा 351 । उसमें कहा गया है- 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।' यानी इन भाषाओं से अभिव्यक्ति, शब्द, शैली लेकर हिन्दी का एक सर्व स्वीकार्य राष्ट्रीय स्वरूप उभरे।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो प्रश्न था वह किसी-न-किसी रूप में आज भी बना हुआ है। इस पर आरंभ से खूब विवाद हुआ है। संविधान सभा में यह अकेला विषय था जिस पर पूरे 3 दिन की बहस हुई, वह भी बहुत तीखी। हिन्दी अंतत: अखिल भारतीय बनी तो राजभाषा के रूप में ही। राष्ट्रभाषा का पद और प्रतिष्ठा उसे नहीं मिल सकी ।

देश की सर्वमान्य संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी स्थापित, प्रचलित तथा विकसित हो, यह संभावित उद्देश्य तो आठवीं अनुसूची का स्पष्ट दिखता है । इसके अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि यह सूची क्यों बनी, उसके पीछे की क्या चयन पद्धति थी ? क्या तर्क थे? उसका आधार क्या था ? तथा आगे किन आधारों पर इस सूची में परिवर्तन किए जाएंगे। इन प्रश्नों के कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते। केवल अलग-अलग संविधान विशेषज्ञों के अनुमान और व्याख्याएँ मिलती हैं।

आज की स्थिति में उसके विस्तार से भाषाओं को कोई ठीक लाभ होगा यह नहीं दिखता। क्योंकि जो अभी तक 70 साल में हमने देखा है वह यह बताता है कि इन सूचियों से भाषाओं का विकास नहीं होता। वह अगर होता है और हुआ है तो अपने-अपने राज्यों में सरकारों, प्रशासन तथा जनता के सक्रिय भाषा व्यवहार से, साहित्य लेखन से। जिन भाषाओं के पास अपना प्रदेश था, राज्य तथा समाज की शक्ति थी वे विकसित हुईं और बढ़ीं। लेकिन जिनके पास राज्य की यह शक्ति नहीं थी वे कमजोर हुई हैं आठवीं अनुसूची में रहने के बावजूद, जैसे- सिंधी, कश्मीरी तथा संस्कृत। इन नई भाषाओं के अनुसूची में शामिल होने की मांग का एकमात्र आधार अस्मिता की पहचान का प्रश्न है । भाषा हमारी अस्मिता का बड़ा तत्व और आधार होती है। इसलिए मुझे इस मांग का मनोविज्ञान समझ में आता है। भाषा भावनाओं से जुड़ी होती है इसलिए उसके सवाल पर लोगों का उद्वेलित और आंदोलित होना समझ में आता है । हम सब अपनी-अपनी भाषाओं को लेकर बहुत भावुक होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारत जैसे समर्थ देश के लिए यह संभव होना चाहिए कि वह अनुसूची में शामिल भाषाओं को ही नहीं देश की सारी भाषाओं को बचाए और उनका विकास कर सके, संवर्धन कर सके। उसके लिए राज्य को सब कुछ करना चाहिए। यह राज्य की जिम्मेदारी है । वह नहीं करता, उसने नहीं किया, यह उसकी कोताही है, नाकामी है।

लेकिन आज जो ये 22 भाषाएँ हैं, हम उनको 60 कर दें, 65 कर दें, 70 कर दें तो उससे केवल भयानक जटिलताएँ बढ़ेंगीं। उससे व्यवहारिक लाभ क्या होगा? सिर्फ कुछ नए पद उत्पन्न हो जाएंगे, कुछ नए विभाग और बजट बन जाएंगे, कुछ पुरस्कार घोषित हो जाएंगे, नए पुरस्कारों और पदों की राजनीति शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को लाभ होगा। कुछ लोग इन भाषाओं आंदोलनों के नेता बन संसद और विधानसभाओं में आ जाएंगे। कुछ नए राजनीतिक करियर बन जाएंगे। यही सब आज तक अनुसूची की भाषाओं में होता आया है। लेकिन उससे उन भाषाओं का वर्तमान और भविष्य बेहतर और सुदृढ़तर नहीं हुए हैं, बल्कि सारी भाषाओं का संकट गहराया ही है।

प्रश्न : क्या आपको लगता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा अभी भी जीवित है? हमारी तत्कालीन विदेश मंत्री ने

11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के मंच से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए गंभीर प्रयासों की बात कही थी। तो क्या हिन्दी प्रेमी यह आशा रखें कि हिन्दी को जल्द ही राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा?

उत्तर : स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को मैं पिछले कई दशकों में हिन्दी के प्रति सबसे गंभीर बड़े नेताओं में अग्रणी मानता हूँ । लेकिन उनके प्रति अपनी सारी श्रद्धा के बावजूद मैं अब हिन्दी को राष्ट्रभाषा और विश्वभाषा बनाने की बात को मृगतृष्णा मानता हूँ । हिन्दीभाषी होने के नाते किस को यह अच्छा नहीं लगेगा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बने। लेकिन हम हिन्दी वालों के साथ कई समस्याएँ हैं। सामान्य ही नहीं बड़े-बड़े लोगों को मैं यह कहते पाता हूँ कि हिन्दी तो हमारी मातृभाषा है, भारत की मातृभाषा है। हिन्दी पूरे देश की मातृभाषा नहीं है भाई। हिन्दी तो हिन्दी प्रदेशों में ही सब की मातृभाषा नहीं है। लेकिन हिन्दी वाले पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं कि उनको लगता है सारा देश हिन्दी भाषी है । वे बहुत आराम से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बोल देते हैं, भारत की मातृभाषा बोल देते हैं। यह मूर्खता है। राजभाषा बनने के बाद भी उसका अनुपालन 50% भी नहीं हुआ है। वह लगातार सरकारी कामकाज में पिछड़ रही है। कुछ जगह जरूर बढ़ी है लेकिन पूरा माहौल ही हिन्दी समेत सभी भारतीय भाषाओं के खिलाफ जा रहा है ।

ऐसे समय में राष्ट्रभाषा के मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है? जो राजभाषा को स्वीकार करने और व्यवहार के स्तर पर अपनाने के लिए 72 साल बाद तैयार नहीं हो सके हैं वे उसे राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे स्वीकर करेंगे? संपर्क भाषा के रूप में भी कई लोग इसका विरोध करते हैं। मुख्यत: दक्षिण भारत और बंगाल के लोग। उस विरोध को हम छोड़ भी दें तो अब देश आजादी के समय से जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न ज्वलंत तथा सक्रिय था उससे बहुत आगे निकल आया है ।

मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं दिल से चाहता हूँ कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो क्योंकि इससे राष्ट्र का फायदा होगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति है भाषाओं की उसमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाएँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाएँ, विश्वभाषा बनाएँ यह मजाक जैसी लगती है। विश्व में बहुत से देशों में लोग हिन्दी बोलते हैं। हिन्दी दो जगह राजभाषा भी है। वहाँ भारत सरकार को, हिन्दी समाज को भरपूर मदद करनी चाहिए। उसको बढ़ावा देना चाहिए, उनके संसाधनों का विकास करना चाहिए, जो कुछ हम उसको उन देशों में दे सकते हैं देना चाहिए। किन्तु कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों को छोड़ कर कोई इसे ठीक से, गंभीरता से नहीं कर रहा है। केन्द्र सरकार तो नहीं ही कर रही है।

लेकिन इसके बजाय आप उस को विश्व भाषा बना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने की नारेबाजी कर रहे हैं। जिस भाषा का अपने देश में विरोध हो, जिसकी हैसियत और प्रतिष्ठा रोज घट रही हो, जिसके प्रभुवर्ग उसका प्रयोग न करते हों वह कैसे विश्वभाषा बन जाएगी? ऐसा कहाँ होता है? इससे लाभ क्या होगा? यह मरीचिका है। इसलिए मैं इन दोनों प्रश्नों की तरफ बहुत सक्रिय होने की, आंदोलित होने की जरूरत महसूस नहीं करता। मेरे सामने तो हिन्दी को बचाने का प्रश्न है। सारी भारतीय भाषाएँ संकटग्रस्त हैं। उन्हें कैसे बचाएँ ? हिन्दी को कैसे बचाएँ, मराठी को कैसे बचाएँ, पंजाबी को कैसे बचाएँ, उर्दू को कैसे बचाएँ अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व से? मेरी मातृभाषा पंजाबी है। वह हिन्दी से ज्यादा संकट में है। उर्दू, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी बेहद गहरे संकट में हैं।

प्रश्न : आप हिन्दुस्तानी भाषा भारती पत्रिका के पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर : संदेश केवल यह है कि लोगों को हिन्दी की अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा लिखेंगे। हम निजी स्तर पर अपने-अपने परिवारो में यह कोशिश करें कि हम जब हिन्दी बोलें तो सिर्फ हिन्दी बोलें । मैं बता चुका हूँ कि मैं मूलत: अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, प्रथमत: अंग्रेजी का पत्रकार हूँ । तो अंग्रेजी से मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे उससे बकायदा इश्क है। अंग्रेजी से प्रेम करता हूँ। उसको देश के लिए सामूहिक स्तर पर और हम सबके लिए व्यक्तिश: बहुत उपयोगी मानता हूँ।

हमारा भविष्य ज्ञान से बनेगा। हम सबको ज्ञान की जरूरत है और अंग्रेजी में इस समय दुर्भाग्य से हिन्दी की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा ज्ञान है। नया ज्ञान निर्माण अंग्रेजी में सबसे अधिक हो रहा है। यदि हमें ज्ञान चाहिए तो हमें अंग्रेजी से लेना होगा, फ्रेंच से लेना होगा, हिब्रू और मंडारिन से भी लेना होगा। अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। उसमें मौलिक शोध, लेखन, चिन्तन, वैज्ञानिक और आधुनिक विमर्श ज्यादा है इसलिए हमें अंग्रेजी की जरूरत है। हम केवल हिन्दी के सहारे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से ज्ञान लेकर अभी हमें हिन्दी के कई पक्षों को मजबूत करने की जरूरत है। हिन्दी में बहुत से बड़े-बड़े ज्ञान-गड्ढे हैं उनको भरने की जरूरत है। हिन्दी को बहुत सारा ज्ञान निर्माण करने की जरूरत है, बहुत सी ज्ञान सामग्री को लाने की जरूरत है। वह सब हम करें । हम हिन्दी में ज्ञान निर्माण करें। बड़ी मात्रा में अनुवाद करें। जो इस में सक्षम हैं वे आगे आएँ । केवल साहित्य निर्माण न करें ज्ञान निर्माण करें। सबको यह समझाएँ कि अपनी स्थानीय भाषा में पारंगत हो कर, उस पर अधिकार करके हम बाकी भाषाएँ भी बेहतर सीख सकते हैं । अगर हम अपने बच्चों को यह मिश्रित, लंगड़ी-लूली अपाहिज हिन्दी सिखाएंगे तो हम उनको भाषिक अपाहिज बना रहे हैं। और जो आज भाषिक अपाहिज है वे बच्चे बड़े होकर बौद्धिक अपाहिज बनेंगे। इसलिए उनको अच्छी हिन्दी सिखाएँ । खुद भी अच्छी हिन्दी बोलें और बच्चों को अच्छी अंग्रेजी भी सिखाएँ। आप भी अच्छी अंग्रेजी सीखें। दोनों को अलग रखें और दोनों को अच्छे से सीखें ।

विशेष: वरिष्ठ पत्रकार एवं भाषाकर्मी श्री राहुल देव जी का हिन्दी और भारतीय भाषाओं पर केन्द्रित पूर्व में लिया गया साक्षात्कार हिन्दी दिवस के अवसर पर आज भी उतना प्रासांगिक है ।

रिपोर्ट

श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत आयोजित

परिचर्चा : अपने संविधान को जानें

राजकुमार श्रेष्ठ

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रायल, भारत सरकार, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार को समर्पित संस्था, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वावधान में बुधवार, 10 सितम्बर, 2025 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय के सभागार में 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत 'अपने संविधान को जानें' विषय पर एक महत्त्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन सम्पन्न किया गया । दीप प्रज्ज्वलित करके तथा अतिथियों के सम्मान के साथ विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया ।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा वर्षभर चलने वाले समारोहों की शुरुआत की गई है । इस परिचर्चा का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों व शोधार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक करना है । दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में संविधान जैसे संवेदनशील विषय पर परिचर्चा और विमर्श को बढ़ावा देने की इस श्रृंखला का प्रथम आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में हुआ ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री आकाश पाटील, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अध्यक्षता में प्रो. (डॉ.) साधना शर्मा, प्राचार्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, विशिष्ट वक्ता के रूप में श्री उदय सिंह राठौड़, निदेशक, कैरेट लॉज एकेडेमी, डॉ. उर्मिल वत्स, एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति शास्त्र) और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सुधाकर पाठक, अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी मंचासीन थे ।

प्राचार्या प्रो. (डॉ.) साधना शर्मा ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है । हमें अपने लोकतंत्र की गौरवपूर्ण यात्रा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए । संविधान के प्रति गर्व तभी संभव है, जब हम इसके प्रति पूर्णत: जागरूक हों । उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी और डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की इस पहल का हार्दिक स्वागत किया ।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि भाषा, तकनीक, संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से हमें छात्रों को जोड़ना होगा । संविधान केवल दंड-सहिंता नहीं है, यह तो वृहत अध्ययन है, तथापि संविधान को लेकर छात्रों को जागरूक होना चाहिए । लोकतंत्र के निर्माण में, कार्यन्वयन में और उसके संरक्षण में संविधान की महत्ती भूमिका होती है । संविधान हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी विगत कई वर्षों से भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, किन्तु हमें लगता है कि संविधान जैसे गंभीर विषय पर भी विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम होने चाहिए । डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के साथ मिलकर हम अन्य महाविद्यालयों तक इस आयोजन को लेकर जाने की मुहिम पर कार्य कर रहे हैं ।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं 'कैरेट लॉज एकेडेमी'के निदेशक श्री उदय सिंह राठौड़ ने कहा कि हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और न्यायालय में यह बयान देता है कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी, तो इस आधार पर वह बच नहीं सकता । इसलिए संविधान के बारे में प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए ।

डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री आकाश पाटील ने संविधान से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, चुनौतियाँ, विभिन्न समितियों के रिपोर्ट और डॉ. अम्बेडकर के योगदान जैसे विषयों पर अपना उद्‌बोधन दिया । श्री पाटील ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र अब एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो रहा है। राजनीति शास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. उर्मिल वत्स ने भी संविधान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए । उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र का मूल विचार है । उन्होंने आगे जोड़ा कि हमें संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान और इसके प्रति सामूहिक गर्व का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। अंत में संविधान पर आधारित एक रुचिकर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया जिसे महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉ. विभा नायक ने संचालित किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान से हुआ।

इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की 200 से अधिक छात्राओं, आचार्यों व अन्य आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति थी । कार्यक्रम में चयनित 3 छात्राओं ने अपने शोधपत्र भी प्रस्तुत किए, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थे । इस अवसर पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्री विनोद पाराशर की विशेष उपस्थिति थी । कार्यक्रम के समापन पर चयनित 3 छात्राओं को सहभागिता प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया तथा अन्य सभी छात्रों को भी सहभागिता प्रमाण-पत्र भेंट किए गए।

कार्यक्रम का संयोजन और कुशल संचालन महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉ. विभा नायक द्वारा किया गया तथा समन्वयन सहायक आचार्य, डॉ. अनुराग सिंह ने किया । यह परिचर्चा न केवल संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल रही, बल्कि छात्राओं को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गर्व और जिम्मेदारी का भाव जागृत करने में भी महत्त्वपूर्ण रही । यह आयोजन अन्य महाविद्यालयों में इस तरह के विमर्श को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है ।

'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान आयोजन के चित्र

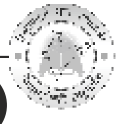

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी

भारत का वर्तमान ही नहीं बल्कि अतीत भी अत्यंत गौरवशाली रहा है। अनेक महापुरुषों ने इसके गौरव को बनाये रखने के प्रति व्यापक गंभीरता व दूरदर्शिता दिखाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है । किसी भी राष्ट्र की सर्वाधिक प्रचलित एवं स्वेच्छा से आत्मसात की कई भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है । हिन्दी, बंगला, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इत्यादि भारत के संविधान द्वारा राष्ट्र की मान्य भाषाएँ हैं । इन सभी भाषाओं में हिन्दी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यह भारत की राजभाषा भी है । राजभाषा वह भाषाहोती है, जिसका प्रयोग किसी देश में राज-काज को चलाने के लिए किया जाता है । हिन्दी को 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है । इसके बावजूद सरकारी काम-काज में अब तक अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग किया जाता है । हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा तो है, किन्तु इसे यह सम्मान सिर्फ सैद्धांतिक रुप में प्राप्त है,वास्तविक रूप में राजभाषा का सम्मान प्राप्त करने के लिए इसे अंग्रेजी से संघर्ष करना पड़ रहा है ।

वॉल्टर केनिंग ने कहा था विदेशी भाषा का किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र की राज-काज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है । एक विदेशी भाषा होने के बावजूद अंग्रेजी में राज-काज को विशेष महत्व दिए जाने और राजभाषा के रूप में अपने सम्मान प्राप्त करने हेतु हिन्दी के संघर्ष के कारण जानने के लिए सबसे पहले हमें हिन्दी की संवैधानिक स्थिति को जानना होगा । संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड-1 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी । संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा । खंड-2 में यह उपबन्ध किया गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 26 जनवरी, 1965 तक संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा जैसेकि पूर्व में होता था । वर्ष 1965 तक राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान किए जाने का कारण यह था कि भारत वर्ष 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन रहा था और तत्कालीन ब्रिटिश शासन में यहाँ इसी भाषा का प्रयोग राजकीय प्रयोजनों के लिए होता था ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अचानक राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग कर पाना व्यवहारिक रुप से संभव नहीं था, इसलिए वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से अंग्रेजी के प्रयोग के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया और यह तय किया गया कि इन 15 वर्षों में हिन्दी का विकास कर इसे राजकीय प्रयोजनों के उपयुक्त कर दिया जाएगा, किंतु यह 15 वर्ष पूरे होने के पहले ही हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने का दक्षिण भारत के कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने व्यापक विरोध करना प्रारंभ कर दिया । देश की सर्वमान्य भाषा हिन्दी को क्षेत्रीय लाभ उठाने के ध्येय से विवादों में घसीट लेने को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता ।

भारत में अनेक भाषा-भाषी लोग रहते हैं । भाषाओं की बहुलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के संविधान में ही 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हिन्दी, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और बांग्ला भाषा दूसरे स्थान पर विराजमान है । इसी तरह पहाड़ी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, इत्यादि भाषाएँ बोलने वालों की संख्या भी काफी है । भाषाओं की बहुलता के कारण भाषायी वर्चस्व की राजनीति ने भाषावाद का रूप धारण कर लिया है । इसी भाषावाद की लड़ाई में हिन्दी को नुकसान उठाना पड़ रहा है और स्वार्थी राजनीतिज्ञ इसको इसका वास्तविक सम्मान दिए जाने का विरोध करते रहे हैं ।

देश की अन्य भाषाओं के बदले हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि यह भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के साथ-साथ देश की एकमात्र संपर्क भाषा भी है । ब्रिटिश काल में पूरे देश में राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता था । पूरे देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती थी, किंतु स्वतन्त्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह महसूस किया है, जो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है और देश के विभिन्न भाषा-भाषी भी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिन्दी का सहारा लेते है । हिन्दी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था ।

हिन्दी, राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, इसकी लिपि देवनागरी है, जो अत्यंत सरल है । पंडित राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में "हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है।" हिन्दी में आवश्यकतानुसार

देशी–विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है । यह भारत की एक ऐसी राष्ट्रभाषा है, जिसमें पूरे देश में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है ।

आजकल पूरे भारत में सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के मिश्रित रूप हिंगलिश का प्रयोग बढ़ा है, इसके कई कारण है । पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यवसायिक शिक्षा में प्रगति आई है । अधिकतम व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है और विधार्थियों के अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है । इस कारण से विद्यार्थी हिन्दी में पूर्ण पूर्णत: नहीं हो पाते हैं । अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त युवा हिन्दी में बात करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने को बाध्य होते है, क्योंकि हिन्दी भारत में आमजन की भाषा है । इसके अतिरिक्त आजकल समाचार–पत्रों एवं टेलीविजन के कार्यक्रमों में भी ऐसी ही मिश्रित भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, इन सब का प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है । भले ही हिंगलिश के बहाने हिन्दी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, किंतु हिंगलिश का बढ़ता प्रचलन हिन्दी भाषा की गरिमा के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है । कुछ वैज्ञानिक शब्दों: जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, टेलीविजन एवं अन्य शब्दों: जैसे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन इत्यादि तक तो ठीक है, किंतु अंग्रेजी के अत्यधिक एवं अनावश्यक शब्दों का हिन्दी में प्रयोग सही नहीं है । हिन्दी, व्याकरण के दृष्टिकोण से एक समृद्ध भाषा है । यदि इसके पास शब्दों का अभाव होता है, तब तो इसकी स्वीकृति दी जा सकती है, पर शब्दों का भंडार होते हुए भी यदि इस तरह की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो यह निश्चय ही भाषायी गरिमा के दृष्टिकोण से एक बुरी बात है । भाषा संस्कृति की संरक्षक एवं वाहक होती है । राष्ट्रभाषा की गरिमा नष्ट होने से उस स्थान की सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि "वर्तमान समय में विज्ञान के मूलकार्य अंग्रेजी में होते हैं, इसलिए आज अंग्रेजी भी सहयोगी भाषा के रूप में आवश्यक है, किंतु मुझे विश्वास है कि अगले दो दशकों में विज्ञान के मूलकार्य हमारी भाषाओं में होने शुरू हो जाएंगे और तब हम जापानियों की तरह अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ सकेंगे ।"

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संदर्भ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था "भारत की सारी प्रांतीय बोलियाँ, जिनमें सुंदर साहित्यों की रचना हुई है, अपने घर या प्रांत में रानी बनकर रहे, प्रांत के जन–गण के हार्दिक चिंतन की प्रकाशभूमि स्वरूप कविता की भाषा हो कर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य–मणि हिन्दी भारत–भारती होकर विराजती रहे ।" प्रत्येक देश की पहचान का एक मजबूत आधार उसकी अपनी भाषा होती है, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में व्यापक विचार विनिमय का माध्यम बनकर ही राष्ट्रभाषा (यहाँ राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है– पूरे देश की भाषा) का पद ग्रहण करती है । राष्ट्रभाषा के द्वारा आपस में संपर्क बनाए रखकर देश की एकता और अखंडता को भी कायम रखा जा सकता है ।

हिन्दी देश की संपर्क भाषा तो है ही, इसे राजभाषा का वास्तविक सम्मान भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि यह पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा बन सके । देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्दारा कही गई बात आज भी प्रासंगिक है "जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता । अत: आज देश के सभी नागरिकों को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि वह हिन्दी को स्नेह से अपनाकर और सभी कार्य क्षेत्रों में इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर इसे व्यवहारिक रुप से राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करेंगे ।"

वस्तुत: संकल्प, दृढ़ता व निष्ठा की आवश्यकता है, जिसके बल पर हिन्दी राजभाषा भी बन सकती और राष्ट्रभाषा भी। वैसे भी दृढ़ इच्छा से क्या संभव नहीं है ?

– प्रो. शरद नारायण खरे
विभागाध्यक्ष इतिहास
शासकीय जे.एम.सी. महिला महाविद्यालय
मंडला–481661 (म.प्र.)

मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परन्तु मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं हरगिज नहीं सह सकता

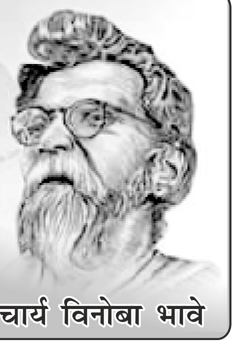

– आचार्य विनोबा भावे

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है ।
– महात्मा गाँधी

आठवीं अनुसूची में हिन्दी के स्थान का प्रश्न

भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिन्दी बोलने वाले भारतवासी हिन्दी बोलने वालों को हिन्दी में बातचीत करने का संदेश देते हैं। यह सब बहुत अटपटा-सा लगता है। मन में अनेक प्रश्न कुलबुलाने लगते हैं। भारत में भारत की भाषा को मनाने का क्या प्रयोजन है? क्या "हिन्दी" कोई आयोजन या त्यौहार है जो 14 सितंबर को मना लिया जाता है? क्या हिन्दी के प्रति हमारे सम्मान की अभिव्यक्ति सरकारी दफ्तरों में हिन्दी पखवाड़ा मना लेने से हो जाती है? क्या "हिन्दी दिवस" के बधाई संदेश फेसबुक, व्हाट्सअप इत्यादि पर भेजने मात्र से हिन्दी की सेवा हो जाती है?

ये प्रश्न मन-मस्तिष्क को झकझोर देते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह उठ खड़ा होता है कि स्वतंत्रता के 70 से अधिक वर्षों के उपरांत भी हम भारतवासी हिन्दी को उसका उचित स्थान, उसका राष्ट्रभाषा होना, क्यों नहीं दिला सके? आखिर क्यों हिन्दी के लिए यह प्राप्त करना अनंतकाल की प्रतीक्षा बन गया है?

इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सबसे पहले 14 सितंबर का इतिहास जानना आवश्यक है। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य संविधान के निर्माण का था। इसके लिए एक संविधान-समिति का गठन किया गया था। इस समिति में लंबे समय तक विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किए गए। भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश के लिए भाषा का प्रश्न सबसे जटिल था। इसी कारण समिति के सदस्यों में भाषा को लेकर बहुत मतभेद थे। उनके समक्ष भाषा को लेकर कई प्रश्न थे- जैसे कि संविधान किस भाषा में लिखा जाए, सदन की कार्यवाही किस भाषा में हो, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा हो इत्यादि। इनमें राष्ट्रभाषा के संबंध में सदस्यों में एकमत न हो सका और यह विवाद भी सुलझ न सका। इसे सुलझाने के प्रयास में 14 सितंबर 1949 में संविधान समिति एक समझौते पर पहुँची जिसे "मुंशी-आयंगार समझौता" कहा जाता है। इसके अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। हालाँकि इसके साथ ही हिन्दी को यह आश्वासन भी दिया गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों के बाद उसे राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाएगा। परंतु 15 वर्ष बीतते-बीतते तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में हिंसक विरोध आरंभ हो गए और हिन्दी की प्रतीक्षा अनंतकाल की प्रतीक्षा बन गई। 15 वर्ष पूरे होने से पहले ही 1963 में ऐसा कहा गया कि अहिन्दी भाषी राज्यों की सहमति के बिना हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा। तब से हिन्दी आठवीं अनुसूची में अन्य 21 भाषाओं के बीच रहते हुए अपने उचित स्थान की प्रतीक्षा करती हुई धैर्यपूर्वक बैठी है। हिन्दी को उसका स्थान भले ही आज तक न मिल पाया हो परंतु देशभर में जो सच्चाई प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज इस बात से कौन अपना मुँह मोड़ सकता है कि हिन्दी न केवल भारत में बल्कि विश्व में जन-जन की भाषा बन चुकी है। जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 44% हिस्सा हिन्दी बोलता है। आज हिन्दी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं की गिनती में चौथे स्थान पर विराजमान है। आज विश्व भर में 100 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी में बातचीत कर सकते हैं। हिन्दी की बात करते हुए गुजराती भाषी पूज्य महात्मा गाँधी का ख्याल आता है, जिन्होंने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व सन् 1918 में इंदौर में आयोजित "हिन्दी साहित्य सम्मेलन" में बोलते हुए हिन्दी को जनमानस की भाषा कहा था। भारत उस समय स्वतंत्रता -संग्राम के कठिन समय से गुजर रहा था। तब गाँधीजी ने हिन्दी की गंगा-जमुनी संस्कृति को खूब सराहा था। उन्होंने तब यह समझा था कि यही एक ऐसी भाषा है जो विपदा की इस कठिन घड़ी में समस्त भारतवासियों को जोड़ने में सक्षम है। इतिहास साक्षी है कि सन 1942 से 1945 के दौरान जब सारे देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी, तब राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जितनी रचनाएँ हिन्दी में लिखी गईं उतनी किसी अन्य भाषा में इतने व्यापक रूप से नहीं लिखी गईं थीं ।

गाँधी जी हिन्दी के लचीले स्वभाव से भली-भाँति परिचित थे। उनका मानना था कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी के साथ सरलता से सामंजस्य बैठा सकती है। तब उन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार के लिए पाँच हिन्दी-दूत भेजे थे जिनमें उनके एक पुत्र भी थे। गाँधीजी का सपना हिन्दी को राष्ट्रभाषा का प्रतिष्ठित स्थान दिलाने का था। परंतु दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत को बाल्यावस्था में ही छोड़कर बापू चल बसे। यदि हिन्दी की आठवीं अनुसूची में अब तक बैठे रहने के पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयास किया जाए तो कहा जा सकता है कि इसके लिए भारत का जन-समुदाय नहीं अपितु राजनीति अधिक उत्तरदायी है। 1947 के बाद से कितनी ही सरकारें आईं और चली गईं, सब ने "हिन्दी दिवस" तो मनाया, हिन्दी प्रचार के लिए बजट भी तय किया, राजभाषा अधिकारी भी नियुक्त किए परंतु राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर

चुप्पी साधे रहीं। देश के अनगिनत राजनैतिक दल निश्चय ही अपने वोट बचाने के लिए या अपनी सरकार चलाने के लिए या अपनी पार्टी को राज्य की सीमा से निकालकर राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए तो हिन्दी का महत्व स्वीकारते हैं परंतु उसे राष्ट्रभाषा की उपाधि देने में सदैव एक हिचकिचाहट दिखाते रहे हैं। राजनीति के अतिरिक्त हम तथाकथित हिन्दी वाले भी हिन्दी की इस स्थिति के लिए कम उत्तरदायी नहीं हैं। हममें आग की कुछ कमी प्रतीत होती है, हम अक्सर ठंडे और ढीले पड़ जाते हैं। सच तो यह है कि हम अब तक अपने आप को अंग्रेजी-मोह से मुक्त नहीं कर पाए हैं। हम बात तो हिन्दी की करते हैं परंतु अपने घरों के बाहर अपने नाम की पट्टी अंग्रेजी में लटकाते हैं। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके ब्याह के निमंत्रण-पत्र अंग्रेजी में छपवाते हैं, और तो और उन्हें अपने चाचा-चाची से अंकल-आंटी कहने का दुराग्रह भी करते हैं। हम हिन्दी वाले अहिन्दी प्रांतों में कितने ही बरस क्यों न रह लें, तमिल या मलयालम सीखने का कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार अपने इस व्यवहार से हम अहिन्दी-भाषियों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को ही बढ़ावा देते हैं। हमें अवश्य ही अपने अंग्रेजी-मोह से मुक्त होना होगा और अन्य प्रांतों में रहते समय उनकी भाषा को अपनाने का प्रयास भी करना होगा। तभी भाषाओं के बीच व्याप्त कटुता दूर होगी और पूरे देश की विभिन्न भाषाओं के बीच परस्पर मधुरता बढ़ेगी। हिन्दी के मार्ग में एक बड़ी बाधा विभिन्न प्रकार के कुतर्कों व भ्रांतियों के मायाजाल से भी उत्पन्न हो रही है। ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है कि हिन्दी भाषा सर्वथा अवैज्ञानिक है तथा इसमें गणित, मेडिकल व इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा संभव नहीं है। इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसा कहने से पहले हमें जापान, फिंलैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों पर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए जो कि अपनी-अपनी राष्ट्रभाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करके आज विश्व के अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने अंग्रेजी-मोह और परतंत्रता के मानसिक बंधनों से मुक्त हों ।

इस प्रकार के तर्क-कुतर्क में समय बर्बाद करने के स्थान पर हम राष्ट्र की भाषा हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाएँ जिसकी वह सच्ची अधिकारिणी है। यहाँ दो प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि आखिर राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और दूसरा यह कि आखिर हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों हो ? इनके उत्तर में यदि राष्ट्रभाषा शब्द पर विचार किया जाए तो यह बात सामने आती है कि यह कोई संवैधानिक शब्द नहीं है बल्कि जनमानस के द्वारा निर्मित एक भावनात्मक शब्द है, जिसका आधार अत्यंत व्यावहारिक है। राष्ट्रभाषा प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकता होती है क्योंकि राष्ट्र भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं होता। वह मूक-बधिर और निष्प्राण कदापि नहीं होता।

जिस प्रकार ईश्वर की प्रतिमा में भक्त की आस्था प्राण रूप में प्रतिष्ठित होती है उसी प्रकार देशवासियों की भक्ति राष्ट्र के प्राण रूप में प्रतिष्ठित होती है। कोई भी राष्ट्र अपने वासियों की धड़कनों से स्पंदित होता है, उनकी आँखों से दृष्टि पाता है और उनकी भाषा से ही मुखर होता है। राष्ट्र की भाषा एक धागे की भाँति समस्त देशवासियों को जोड़े रखने का काम करती है। विशेषकर भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में तो राष्ट्रभाषा की आवश्यकता अक्षरशः निर्विवाद है। राष्ट्र की भाषा बनने में सर्वथा समर्थ व सक्षम भाषा हिन्दी ही है। हिन्दी देश में एकता को सुदृढ़ करने का यह पावन कार्य स्वाधीनता संग्राम के समय से करती आई है और चिरकाल तक करती रहेगी। चाहे संविधान उसे राजभाषा कहे या राष्ट्रभाषा, वह अपने दायित्व से न कभी विमुख हुई है और न कभी होगी। हिन्दी की कुछ विशेषताएँ एवं शक्तियाँ हैं जो उसे राष्ट्रभाषा बनने के लिए उपयुक्त सिद्ध करती हैं। हिन्दी की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह बहुजन की भाषा है। जहाँ भारत की अन्य भाषाएँ अपने-अपने प्रांतों की सीमा में ही बोली व समझी जाती हैं वहाँ हिन्दी भारत के 9 राज्यों की आधिकारिक भाषा है। इसके साथ-साथ लगभग सभी राज्यों में बोली व समझी जाती है। हिन्दी की दूसरी विशेषता है उसके स्वभाव का लचीलापन। वह इतनी सरल और मधुर है कि सहज ही सबका मन मोह लेती है। वह अन्य भाषाओं के शब्दों को दूध में शक्कर की भाँति अपने भीतर मिला लेती है। वास्तव में हिन्दी भारत के हृदय की सच्ची भाषा है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण हिन्दी का विकास बड़ी सहजता से निर्बाध गति से होता आ रहा है। वह नदी की धारा के समान है जो स्वयं अपना मार्ग बनाती है और मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराने का साहस रखती है। वह अपनी लोकप्रियता के कारण स्वतः ही भारत में संपर्क भाषा के रूप में अपनी जड़ जमा चुकी है। विशेषकर पिछले 20-25 वर्षों में जब से कंप्यूटर और इंटरनेट ने भारत के नवयुवकों को रोजगार के कारण देश भर में घुमाना शुरू किया है, हिन्दी स्वाभाविक रूप से संपर्क भाषा बन गई है। हिन्दी न केवल भारत में बोली और समझी जा रही है बल्कि आज विश्व भाषा के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी है। मॉरिशस, सूरीनाम आदि देशों में तो यह बरसों से राजकाज की भाषा बनी हुई है। खाड़ी के देशों में तो हिन्दी एक ऐसी सशक्त संपर्क भाषा का रूप ले चुकी है जो एशिया के सभी देशों को जोड़ने का कार्य कर रही है। हिन्दी की इसी ताकत को पहचानते हुए हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने वहाँ के राजकाज की तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता प्रदान

की है। इंटरनेट के बाद से तो हिन्दी की उड़ान को नई गति मिल गई है। कंप्यूटर के कारण हिन्दी में टंकण की बाधा दूर होते ही देश-विदेश से अनेक ई-पत्रिकाएँ निकलने लगीं हैं जिन्हें पढ़ने व लिखने वालों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

देश-विदेश में बसे हिन्दी प्रेमी अब बड़ी सरलता से अपने विचार ब्लॉग, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से सबसे साझा कर पा रहे हैं। हिन्दी में न केवल भारतीय मूल के लोग बल्कि विदेशी लोग भी खूब रुचि रख रहे हैं। आज यूरोप और अमेरिका सहित विश्व के लगभग 260 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। पोलैंड में रामायण पर खूब शोधकार्य हो रहा है। यह सब हिन्दी की ताकत को दर्शाता है। इतना ही नहीं,हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा का स्थान दिलाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बहुत संभव है कि संयुक्त राष्ट्र में स्थापित होने के उपरांत भारत में हिन्दी को उसका वास्तविक स्थान मिल जाए। जिस प्रकार "योग" को विदेश से "योगा" बनकर लौटने पर भारतवासियों ने उसे उन्मुक्त भाव से स्वीकारा और अपने हृदय में स्थान दिया, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र से लौटने पर तो भारत में हिन्दी को उसका उचित स्थान मिलने में कोई संदेह दिखाई नहीं देता ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिन्दी ने देश-विदेश दोनों में अपनी पहचान बना ली है, वह भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने बिना। यही हिन्दी की वास्तविक शक्ति है। वह किसी सरकार की सहमति या संरक्षण से बँधी नहीं है। वह स्वच्छंद भाव से अपनी निर्बाध गति से बहती आ रही है और सदा बहती रहेगी। उसे किसी सिंहासन या राजमुकुट की चाह नहीं है क्योंकि राजतंत्र का युग बीत चुका है। अब लोकतंत्र का युग है जहाँ लोगों का प्यार सर्वोपरि होता है, जो हिन्दी को भरपूर मिल रहा है और अनादिकाल तक मिलता रहेगा।

-रचना चतुर्वेदी

हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का स्रोत है ।
-सुमित्रानन्दन पन्त

हिन्दी द्वारा सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है ।
-महर्षि दयानन्द सरस्वती

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की नि: शुल्क सभाकक्ष योजना

साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नि:शुल्क 'सभाकक्ष' उपलब्धता संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचना :-

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे पुस्तक लोकार्पण, पुस्तक परिचर्चा, काव्य गोष्ठी, विमर्श, संगोष्ठी, सम्मान समारोह आदि के लिए अकादमी का 'सभाकक्ष' नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एक स्व-वित्तपोषित संस्था है जो अपने सीमित संसाधनों से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। अपने कार्यों को विस्तार देते हुए अकादमी ने रोहिणी, दिल्ली में एक कार्यालय बनाया है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ ही 65-70 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था वाला सुसज्जित वातानुकूलित सभाकक्ष भी बनाया गया है। इस हॉल में मंच, पोडियम, माइक आदि की व्यवस्था है। अकादमी की केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि अकादमी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कार्यालय स्थित सभागार को साहित्यिक आयोजनों हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजन हेतु सामान्य नियमावली-

1. सभाकक्ष सीमित समयावधि के लिए पूर्णतया नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।
2. सभाकक्ष की नि:शुल्क बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' और उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।
3. आयोजन के लिए लिखित रूप/ईमेल द्वारा, कार्यक्रम के विवरण सहित आवेदन करना होगा तथा आयोजन अवधि में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने की सहमति देनी होगी।
4. सभाकक्ष में केवल साहित्यिक आयोजनों की ही अनुमति होगी और अकादमी की केंद्रीय समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

नोट : नि:शुल्क सभाकक्ष की बुकिंग के लिए संपर्क करें :-

सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
प्लॉट 19-20, पॉकेट बी-5, सेक्टर 7, रोहिणी,
(निकट रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन), दिल्ली-110085
ईमेल: hindustanibhashabharati@gmail.com
Info@hindustanibhadhaakadami.com
मोबाइल- 9873556781 / 9968097816
वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

रिपोर्ट

‘हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी’ एवं ‘TNB- द न्यू भारत’ के संयुक्त तत्त्वावधान में ‘कविता के बहाने’ : परिचर्चा, काव्यपाठ, पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य कार्यशाला का आयोजन सम्पन्न

रविवार, 3 अगस्त, 2025, दिल्ली। भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन के लिए समर्पित संस्था ‘हिन्दुस्तानी भाषा अकादमीश एवं वेब पोर्टल श्ज्छठ- द न्यू भारतश के संयुक्त तत्त्वावधान में रोहिणी स्थित अकादमी के सभाकक्ष में ‘कविता के बहाने’ : परिचर्चा, काव्यपाठ, पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्न किया गया । इस कार्यक्रम में जहाँ भाषा-संवाद के गिरते स्तर पर गंभीर चर्चा हुई, वहीं अकादमी की केन्द्रीय कार्यकारिणी की सदस्या डॉ. सोनिया प्रियदर्शनी की नई पुस्तक शहौसलों की उड़ानश का विमोचन भी किया गया। लगभग 5 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में एक काव्य कार्यशाला का आयोजन भी किया गया ।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन व मंचासीन अतिथियों के सम्मान से किया गया । मंचासीन अतिथियों में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. लक्ष्मी शंकर बाजपेई, सुश्री ममता किरण, श्री विनय कुमार, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक एवं द न्यू भारत के संस्थापक प्रा. रवि शुक्ला विराजमान थे। मंचासीन अतिथियों, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के पदाधिकारियों तथा लेखिका डॉ. सोनिया प्रियदर्शनी के परिजनों ने सामूहिक रूप से ‘हौसलों की उड़ानश पुस्तक का विमोचन किया ।

‘हिन्दुस्तानी भाषा भारती’ पत्रिका की साहित्यिक सलाहकार, केन्द्रीय कार्यसमिति की सदस्य व सुपरिचित लेखिका सुश्री गरिमा संजय ने उक्त पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, लेकिन व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए । उसे अपना हौसला बनाए रखना चाहिए । जीवन में वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति तक अपना हौसला बनाए रखते हैं । इस पुस्तक में ऐसे ही लोगों की कहानियाँ हैं, जिन्होंने हौसला बनाए रखा और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया । इस पुस्तक के लेखन की परिकल्पना और प्रेरणा के संबंध में लेखिका डॉ. सोनिया प्रियदर्शनी ने भी अपने विचार रखें ।

डॉ. लक्ष्मी शंकर बाजपेई ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भाषा के स्तर पर आई गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि वे लगभग 40 वर्ष तक पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे । पिछले 8-10 वर्षों में पत्रकारिता के क्षेत्र में भाषा के स्तर पर जितनी गिरावट देखने को मिली है, उतनी गिरावट उन्होंने पहले कभी नहीं देखी । आज हमारी भाषा संस्कारहीन हो चुकी है ।

डॉ. वनीता शर्मा

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि प्रिंट मीडिया हो या टी.वी. चौनल, उनकी भाषा देखकर तो लगता है कि उन्होंने भारतीय भाषाओं को मारने की सुपारी ले ली है । राजनीति, शिक्षा, मीडिया कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह भारतीय भाषाओं को प्रदूषित किया जा रहा है और उन्हें संस्कारहीन बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो एक गहन चिंता का विषय है ।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन द न्यू भारत के संस्थापक प्रा. रवि शुक्ला ने बहुत ही रोचक व जोशीले अंदाज में किया । वे पिछले लगभग चार वर्षों से खाड़ी देश के स्कूल में शहिंदी भाषाश के विभाग प्रमुख हैं। विदेश में रहकर हिंदी की अलख जगा रहे हैं ।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली-एनसीआर सहित देहरादून, नागपुर, मेरठ व कानपुर जैसे दूरस्थ शहरों से पधारे कवि-कवयित्रियों ने मनमोहक कविता-पाठ किया । कविता पाठ करने वालों में मुख्य रूप से शामिल थे- सुश्री ममता किरण, श्री विनय कुमार, डॉ. राजेश श्रीवास्तव, सुश्री उषा श्रीवास्तव, सुश्री पूजा श्रीवास्तव, सुश्री दीपा शर्मा, सुश्री आरती देवी, सुश्री नेहा गुप्ता, श्री सुबोध भारद्वाज, श्री मुन्नालाल वर्मा, सुश्री रचना निर्मल, सुश्री उमा विश्वकर्मा, सुश्री अर्चना त्यागी, श्री नीरज नयन, सुश्री पुनीता सिंह, श्री जीत कुमार पाल, श्री महेश कुमार, श्री आशुतोष द्विवेदी, सुश्री माधुरी मिश्रा श्मधुश, श्री सोमेश्वर पांडे, डॉ. विभा नायक, डॉ. अंजू अग्रवाल, सुश्री वंदना चौधरी, डॉ. प्रिया राणा, श्री अंकुर अग्रवाल, कुमारी स्नेहा, श्री राजकुमार श्रेष्ठ और विनोद पाराशर आदि । काव्य गोष्ठी का संचालन अकादमी के केन्द्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य एवं कवि श्री विनोद पाराशर ने किया ।

कार्यक्रम के अंतिम सत्र में एक काव्य कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि कवि के रूप में प्रसिद्ध कवि व लेखक श्री विनीत पांडे को आमंत्रित किया गया था । उन्होंने काव्य लेखन और मंच की प्रस्तुति पर गहन और विस्तृत चर्चा की । इस कार्यशाला को सभा-कक्ष में उपस्थित श्रोताओं एवं नवांकुर रचनाकारों ने खूब सराहा और इस तरह के आयोजन में आगे भी जुड़ने की बात कही । कार्यक्रम के अंत में अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने सभी का आभार व्यक्त किया।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों में सत्र 2024-25 में 10 वीं कक्षा की परीक्षा में भारतीय भाषाओं में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों और उनके शिक्षकों के लिए सम्मान योजना

(हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड, मलयालम आदि)

भारतीय भाषा उत्सव – 2025

भाषा रत्न ★ भाषा दूत ★ भाषा गौरव शिक्षक सम्मान

प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं।

अन्तिम तिथि : 20 सितम्बर, 2025

संसोधित नियम:

1. यह योजना केवल दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों के लिए है।
2. इस योजना में केवल वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा वर्ष 2024-25 में किसी एक भारतीय भाषा (हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड, मलयालम आदि) में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।
3. विद्यालय को अपनी आधिकारिक ई-मेल से पात्र विद्यार्थियों के नाम, विषय, अंक और उनको पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों के नाम, मोबाइल, ई-मेल टाइप करके नीचे दी गई अकादमी की ई-मेल पर भेजनी होंगी।
4. प्रविष्टि भेजने के दूसरे विकल्प के रूप में विद्यालय चाहें तो विद्यालय के लेटर हेड पर छात्रों के नाम, विषय, अंक और भाषा शिक्षकों के नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर टाइप या हस्तलिखित, विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित प्रति की पीडीएफ/फोटो ई-मेल में अटैच करके भेज सकते हैं।
5. विद्यालयों की असुविधा को देखते हुए अब अकादमी की ओर से उपर्युक्त सूचनाएँ एक्सल शीट से भेजने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
6. शत प्रतिशत (100) अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 'भाषा रत्न', 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 'भाषा दूत' तथा शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान - 2025' से सम्मानित किया जाएगा।
7. इस योजना में केवल हिन्दी में भेजी गई प्रविष्टियाँ ही स्वीकार की जाएँगी। छात्रों, अभिभावकों या शिक्षकों की ओर से व्यक्तिगत प्रविष्टियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।
8. आयोजन संबंधी नियमों तथा स्थान, तिथि आदि में बदलाव का अधिकार आयोजक के पास सुरक्षित है।
9. सम्मान समारोह 'भारतीय भाषा दिवस' के उपलक्ष्य में 15 दिसम्बर, 2025 को आयोजित किया जाएगा।
10. प्रविष्टियाँ भेजने के लिए ई-मेल: hindustanibhashaakadami@gmail.com

सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

तिथि : 15 दिसम्बर, 2025
स्थान : डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर
15, जनपथ रोड, नई दिल्ली – 110001

पंजी. कार्यालय : 3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034
मुख्य कार्यालय : बी-5/19-20, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली – 110085
दूरभाष : 09873556781, 09968097816
E-mail: hindustanibhashaakadami@gmail.com / hindustanibhashabharati@gmail.com
Website: www.hindustanibhashaakadami.com

रिपोर्ट

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का अवलोकन

सुषमा भण्डारी

रविवार, 31 अगस्त, 2025 को हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के एक प्रतिनिधि मंडल ने अलीपुर रोड, नई दिल्ली में स्थित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का अवलोकन किया। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलत अकादमी के पदाधिकारियों श्री विनोद पाराशर, श्री राजकुमार श्रेष्ठ और श्री विनीत पाण्डेय ने डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया। ज्ञात हो कि डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ दिल्ली और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वार संचालित संस्थान हैं। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी ने इन संस्थानों के निदेशक श्री आकाश पाटील के सहयोग से पिछले वर्ष भारतीय भाषा उत्सव का भव्य आयोजन किया था।

इस अवलोकन का मुख्य उद्देश्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन के संघर्षों, उनके द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान, भारत के गौरवमयी अतीत और सशक्त भारत के निर्माण में तत्कालीन नेतृत्व की दूरदर्शिता को गहराई से समझना था। स्मारक के 5 जोन में प्रदर्शित दस्तावेजों, चित्रों, और स्मृति-चिह्नों के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने डॉ. अम्बेडकर के जीवन और उनके सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक योगदानों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक को भारतीय संविधान की खुली किताब के प्रतीकात्मक ढांचे में डिजाइन किया गया है। इसी स्थान पर अम्बेडकर जी का घर था, जहाँ वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रहे और यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। यह घर उनके जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा था जिसे अब राष्ट्रिय स्मारक के रूप में परिवर्तित किया गया है। स्मारक में वह कमरा भी संरक्षित है जहाँ डॉ. अम्बेडकर ने अंतिम समय बिताया था।

स्मारक में प्रदर्शित सामग्री भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जीवंत और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है, जिसमें संविधान सभा की चर्चाओं, चुनौतियों और डॉ. अम्बेडकर की नेतृत्वकारी भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्मारक में भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाले प्रदर्शन ने सभी सदस्यों को गौरवान्वित किया।

श्री सुधाकर पाठक जी ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. अम्बेडकर का जीवन और उनका कार्य न केवल भारत के लिए, बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी निकट भविष्य में छात्रों और शिक्षकों को इस तरह के शैक्षिक और ऐतिहासिक महत्त्व के भ्रमण से जोड़ने का कार्य करेगी। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने अतीत और अपने संविधान को जानने का अवसर मिलेगा।

प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने भी इस दौरे को अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बताया। लगभग दो घंटे तक चले इस अवलोकन के दौरान, स्मारक के पदाधिकारियों ने शांत और सुव्यवस्थित वातावरण में प्रतिनिधि मंडल को विस्तृत और गहन जानकारी प्रदान की। इस अवलोकन के अंत में, प्रतिनिधि मंडल ने स्मारक के प्रबंधन और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी इस सुखद भेंट और अवलोकन के सकारात्मक परिणामों को शीघ्र ही देखने के लिए आशान्वित है। अकादमी भविष्य में भी इस तरह के शैक्षिक और प्रेरणादायक आयोजनों को आयोजित करने के लिए दृढ़संकल्पित है, ताकि समाज में जागरूकता और राष्ट्रीय गौरव को और अधिक प्रोत्साहन मिले।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक अवलोकन के चित्र

आगामी आयोजन

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

के संयुक्त तत्त्वावधान में दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों के छात्रों के लिए

दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव

कलरव - 2.0

हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं।

अंतिम तिथि : 25 अक्टूबर, 2025

नियमावली –

1. यह योजना केवल दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है।
2. एक विद्यालय से केवल एक प्रविष्टि स्वीकार की जाएगी, जिसमें अधिकतम 12 छात्रों की सहभागिता हो सकती है।
3. नाटक की भाषा हिन्दी और अधिकतम अवधि 15 मिनट होगी।
4. नाटक किसी सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होगा जिसका विषय व शीर्षक प्रविष्टि भेजते समय वर्णित करना होगा। धार्मिक और राजनैतिक विवादित टिप्पणियों पर केंद्रित नाटकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. प्रविष्टि विद्यालय के लेटर हेड पर प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा सत्यापित एवं विद्यालय की अधिकृत ई-मेल द्वारा भेजी जाए, जिसमें विद्यालय का नाम, पता, ई-मेल, दूरभाष, टीम में छात्रों की कुल संख्या, दो शिक्षकों के नाम व उनके मोबाइल नंबर तथा नाटक का शीर्षक और विषय दिया गया हो।
6. योजनानुसार चयन समिति द्वारा कुल 30 टीमों का चयन किया जाएगा और चयनित प्रत्येक टीम को परिवहन व्यय के रूप में कुल 3000/- रुपए दिए जाएँगे।
7. योजना में सहभागिता हेतु प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2025 है।
8. प्रविष्टियां प्राप्ति के बाद आवश्यकतानुसार नाटक की 3 मिनट की वीडियो क्लिप मंगाई जा सकती है, जिसके आधार पर टीम का चयन किया जाएगा।
9. चयन समिति एवं निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सभी प्रतिभागियों को मान्य होगा।
10. प्रविष्टियाँ भेजने के लिए ई-मेल : **hindustanibhashaakadami@gmail.com**

आयोजन तिथि एवं स्थानः	पुरस्कार
17-18 नवंबर, 2025 लिटल थिएटर ग्रुप (एलटीजी) सभागार, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली - 110001	प्रथम - 11000/- द्वितीय - 7500/- तृतीय - 5100/- प्रोत्साहन (2) - 2500/-

सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

संजय गर्ग
सचिव, हिन्दी अकादमी

सम्पर्क सूत्र : 9873556781 / 9968097816

रिपोर्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कालिंदी कॉलेज में 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत आयोजित

परिचर्चा: अपने संविधान को जानें

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रायल, भारत सरकार, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार को समर्पित संस्था, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एवं कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वावधान में सोमवार, 29 सितम्बर, 2025 को कालिंदी महाविद्यालय के सभागार में 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत 'अपने संविधान को जानें' विषय पर एक महत्त्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन सम्पन्न किया हुआ। दीप प्रज्ज्वलित करके तथा अतिथियों के सम्मान के साथ विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत की गई है। इस परिचर्चा का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों व शोधार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में संविधान जैसे संवेदनशील विषय पर परिचर्चा और विमर्श को बढ़ावा देने की इस श्रृंखला का प्रथम आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में हुआ था। इस श्रृंखला में कालिंदी कॉलेज में यह दूसरा आयोजन है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री आकाश पाटील, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अध्यक्षता प्रो. मीना चरांदा, प्राचार्या, कालिंदी महाविद्यालय, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉ. श्रीश कुमार पाठक, प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सुधाकर पाठक, अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी मंचासीन थे।

प्राचार्या प्रो. मीना चरांदा ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि संविधान को सभी को जानना चाहिए, यह केवल राजनीति विषय को पढ़ने वाले छात्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने लोकतंत्र की गौरवपूर्ण यात्रा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। संविधान के प्रति गर्व तभी संभव है, जब हम इसके प्रति पूर्णतः जागरूक होंगे। संविधान के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों को जान और समझ पाएंगे, साथ ही देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे। उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी और डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की इस महत्वपूर्ण योजना का हार्दिक स्वागत किया, साथ ही इस योजना को अन्य महाविद्यालयों तक ले जाने में अपने सहयोग का आश्वासन भी दिया।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि जिस तरह एक व्यक्ति को भाषा, संस्कृति, संगीत उसे अच्छा मनुष्य बनाते हैं, उसी तरह संविधान जानने के बाद व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। हमें देश को विकास पथ पर ले जाने के लिए संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने होंगे। संविधान हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी विगत कई वर्षों से भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, किन्तु हमें लगता है कि संविधान जैसे गंभीर विषय पर भी विश्वविद्यालय स्तर पर लगातार कार्यक्रम होते रहने चाहिए।

डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री आकाश पाटील ने संविधान से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, चुनौतियाँ, विभिन्न समितियों के रिपोर्ट और डॉ. अम्बेडकर के योगदान जैसे विषयों पर अपना उद्‌बोधन दिया। श्री पाटील ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र अब एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो रहा है। श्री पाटील ने कहा कि डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के साथ मिलकर अन्य महाविद्यालयों तक इस आयोजन को लेकर जाने की मुहिम पर पूर्ण गंभीरता से कार्य कर रह रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर इन सभी महाविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक भव्य आयोजन डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के सभागार में आयोजित करने की योजना है। श्री पाटील ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा निर्मित झांकी की विशेषताओं को एक वीडियो क्लिप के द्वारा समझाया। उनके उद्‌बोधन से उपस्थित छात्राएं और शिक्षक लाभान्वित हुए।

डॉ. सोनिया अरोड़ा

विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता के रूप में मंचासीन डॉ. श्रीश कुमार पाठक, प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी ने अपने सारगर्भित उद्‌बोधन में स्वतंत्रता से पूर्व की घटनाओं से विषय को जोड़ते हुए और इतिहास के विभिन्न संदर्भ लेते हुए अपनी विशिष्ट शैली में रुचिकर ढंग एवं विस्तार से भारतीय संविधान की विशेषताओं को सामने रखा। डॉक्टर पाठक के संबोधन की सरल भाषा ने संविधान जैसे जटिल विषय को बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे छात्राओं को विषय बहुत रुचिकर लगा।

राजनीति शास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सीमा माथुर ने संविधान को लेकर विस्तार से अपने विचार रखे।उन्होंने कहा कि हमें संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान और संविधान के प्रति सामूहिक गर्व का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। अंत में कॉलेज के तीन छात्राओं द्वारा शोधपत्र का वाचन किया गया तथा संविधान पर आधारित एक रुचिकर प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया।

इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की लगभग 200 छात्राओं, शिक्षकों व अन्य आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति थी। इस अवसर पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्री विनोद पाराशर की विशेष उपस्थिति थी। कार्यक्रम के समापन पर चयनित 3 छात्राओं को सहभागिता प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया तथा अन्य सभी छात्राओं को भी सहभागिता प्रमाण-पत्र भेंट किए गए।

कार्यक्रम का संयोजन और कुशल संचालन महाविद्यालय की आचार्य डॉ. मोनिका वर्मा द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मनीला ने किया। इस सफल आयोजन में समन्वयक के रूप में डॉ. आरती पाठक की विशेष भूमिका रही। इस तरह की परिचर्चा न केवल संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल होगी बल्कि युवाओं को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गर्व और जिम्मेदारी का भाव जागृत करने में भी महत्त्वपूर्ण रहेगी।

कालिंदी कॉलेज में 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत आयोजित परिचर्चा: अपने संविधान को जानें के चित्र

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

गुरुग्राम क्षेत्र के विद्यालयों में सत्र 2024-25 में 10 वीं कक्षा की परीक्षा में भारतीय भाषाओं में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों और उनके शिक्षकों के लिए सम्मान योजना

(हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड, मलयालम आदि)

भारतीय भाषा उत्सव – 2025

भाषा रत्न ★ भाषा दूत ★ भाषा गौरव शिक्षक सम्मान

प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं।

अन्तिम तिथि : 20 सितम्बर, 2025

संशोधित नियमः

1. यह योजना केवल गुरुग्राम क्षेत्र के विद्यालयों के लिए है।
2. इस योजना में केवल वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा वर्ष 2024-25 में किसी एक भारतीय भाषा (हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड, मलयालम आदि) में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।
3. विद्यालय को अपनी आधिकारिक ई-मेल से पात्र विद्यार्थियों के नाम, विषय, अंक और उनको पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों के नाम, मोबाइल, ई-मेल टाइप करके नीचे दी गई अकादमी की ई-मेल पर भेजनी होंगी।
4. प्रविष्टि भेजने के दूसरे विकल्प के रूप में विद्यालय चाहें तो विद्यालय के लेटर हेड पर छात्रों के नाम, विषय, अंक और भाषा शिक्षकों के नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर टाइप या हस्तलिखित, विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित प्रति की पीडीएफ/फोटो ई-मेल में अटैच करके भेज सकते हैं।
5. विद्यालयों की असुविधा को देखते हुए अब अकादमी की ओर से उपर्युक्त सूचनाएँ एक्सल शीट से भेजने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
6. शत प्रतिशत (100) अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 'भाषा रत्न', 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 'भाषा दूत' तथा शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान - 2025' से सम्मानित किया जाएगा।
7. इस योजना में केवल हिन्दी में भेजी गई प्रविष्टियाँ ही स्वीकार की जाएँगी। छात्रों, अभिभावकों या शिक्षकों की ओर से व्यक्तिगत प्रविष्टियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।
8. आयोजन संबंधी नियमों तथा स्थान, तिथि आदि में बदलाव का अधिकार आयोजक के पास सुरक्षित है।
9. सम्मान समारोह 'भारतीय भाषा दिवस' के उपलक्ष्य में 15 दिसम्बर, 2025 को आयोजित किया जाएगा।
10. प्रविष्टियाँ भेजने के लिए ई-मेल: **hindustanibhashaakadami@gmail.com**

सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

तिथि : 15 दिसम्बर, 2025
स्थान : डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर
15, जनपथ रोड, नई दिल्ली – 110001

पंजी. कार्यालय : 3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034
मुख्य कार्यालय : बी-5/19-20, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली – 110085
दूरभाष : 09873556781, 09968097816
E-mail: hindustanibhashaakadami@gmail.com / hindustanibhashabharati@gmail.com
Website: www.hindustanibhashaakadami.com

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी – एक अनवरत यात्रा

एक नदी के निर्माण में अथाह जल का योगदान होता है। जल के निर्माण में करोड़ों बूंदों का समिश्रण जुड़ा होता है। कोई भी कार्य पर्दे के सामने जितना रोमांचक, आकर्षक और प्रभावकारी लगता है, उसके पीछे अनेक छोटे-छोटे प्रयासों का योगदान होता है। कोई भी बड़ा कार्य बड़ी सोच से ही सम्भव हो पाता है। अपने उद्देश्यों, गतिविधियों एवं योजनाओं को बृहत रूप में विस्तार देने के क्रम में 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' के गिलहरी प्रयासों को जब सहेजने का विचार आया तो अनेक पटकथाएँ सामने आने लगीं। इस लम्बी यात्रा में 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र', संस्कृति मंत्रालय जैसे प्रतिष्ठित संस्था का सहयोग और विशेष रूप से डॉ. सच्चिदानन्द जोशी जी जैसे कर्मठ, जुझारू, गम्भीर और संवेदनशील व्यक्तित्व का मार्गदर्शन और साथ मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्त्वावधान में कला केन्द्र के विशाल प्रांगण और सभागार में कई भव्य और महत्त्वपूर्ण आयोजन सम्पन्न हुए हैं।

20 मई, 2018 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सभागार में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'राष्ट्र निर्माण में हिन्दी की भूमिका' का आयोजन किया गया था। हिन्दी के विविध आयामों को समेटे हुए इस संगोष्ठी को चार सत्रों में विभाजित किया गया था जिसमें देश के ख्यातिलब्ध वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता के रूप में प्रो. गिरीश्वर मिश्र, कुलपति, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा, श्री अतुल कोठारी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, दिल्ली, श्री राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार, सुश्री निधि कुलपति, एन. डी. टी. वी., प्रो. अवनीश कुमार, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, श्री सुधीश पचौरी, सुविख्यात पत्रकार, डॉ प्रमोद तिवारी, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रो. नंद किशोर पांडेय, निदेशक, केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, प्रो. राम मोहन पाठक, हिन्दी सेवी, डॉ. अशोक चक्रधर, हिन्दी के विद्वान, कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, नाटककर्मी, डॉ. वेद प्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार और हिन्दी सेवी, श्री अच्युतानंद मिश्र, पत्रकार एवं पूर्व कुलपति, माखन लाल चतुर्वेदी पत्रिकारिता विश्वविद्यालय, श्रीमती चित्रा मुदगल, वरिष्ठ साहित्यकार, पद्मश्री डॉ. नरेंद्र कोहली, सुविख्यात लेखक, श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, साहित्यकार एवं पूर्व अध्यक्ष, साहित्य अकादमी की गरिमामयी उपस्थिति थी। समारोह का स्वागत वक्तव्य डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य-सचिव, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के द्वारा दिया गया था। इस अवसर पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के शिक्षक प्रकोष्ठ की स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया था। इस समय शिक्षक प्रकोष्ठ में 9 भारतीय भाषाओं के 800 से भी अधिक शिक्षक जुड़े हुए हैं। संगोष्ठी में प्रस्तुत वक्ताओं के वक्तव्यों को बाद में पुस्तक रूप में 'राष्ट्र निर्माण में हिन्दी की भूमिका' के नाम से प्रकाशित भी किया गया, जिसका लोकार्पण 3 फरवरी, 2019 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रांगण में आयोजित हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के महत्त्वपूर्ण वार्षिक आयोजन 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' में किया गया।

विनोद पाराशर

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सहयोग से इस अदभुत और अद्वितीय आयोजन में दिल्ली प्रदेश के लगभग 150 विद्यालयों के 1725 छात्रों सहित उनके हिन्दी शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में हिन्दी विषय में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 32 मेधावी छात्रों को 'भाषा प्रहरी सम्मान-2018' से अलंकृत किया गया। जिन बच्चों ने 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे उन्हें 'भाषा दूत सम्मान -2018' से नवाजा गया साथ ही उनके हिन्दी शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया गया। 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में किसी एक विद्यालय के सर्वाधिक (109) विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 'बाल भारती पब्लिक स्कूल', पीतमपुरा दिल्ली को 'भाषा रत्न सम्मान-2018' से सम्मानित किया गया था।

इस भव्य सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य के राजदूत महामहिम योगेश पुंजा जी थे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य-सचिव, डॉ. सच्चिदानंद जोशी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के निदेशक, श्री अवनीश कुमार, श्री शरत चंद्र अग्रवाल, सदस्य केंद्रीय समिति, भारतीय योग संस्थान हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के उपाध्यक्ष, डॉ. कमल किशोर गोयनका, विख्यात साहित्यकार डॉ. वेद प्रताप वैदिक, विख्यात कवि डॉ. अशोक चक्रधर, वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार बी. एल. गौड़, राजभाषा विभाग के डॉ. धनेश द्विवेदी, डॉ मुक्ता, पूर्व निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के कार्यकारी सम्पादक, डॉ. रमेश तिवारी, इन्दिरा गाँधी कला केंद्र के निदेशक (प्रकाशन) श्री अनिल कुमार सिन्हा, सलाहकार श्री आर के द्विवेदी, मंचासीन थे। अपने-अपने विद्यालयों के वर्दी में उपस्थित छात्रों, उनके हिन्दी शिक्षकों, अभिभावकों, प्रबुद्ध साहित्यकारों, गणमान्य अतिथियों एवं अकादमी के पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति से सु-सज्जित प्रांगण वास्तव में हिन्दी भाषा का कुम्भ ही था। मंचासीन अतिथियों ने इस अभूतपूर्व आयोजन की मुक्त कंठ से प्रसंशा की। बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने इसे खूब सराहा। इस अवसर पर सम्मानित होकर सभी छात्र एवं उनके शिक्षक स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे।

भारतीय भाषाओं की नई पौध को सींचने की कड़ी में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सहयोग से हिन्दुस्तानी भाषा

अकादमी द्वारा बुधवार, 4 मार्च 2020 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के विशाल प्रांगण में दिल्ली प्रदेश के भारतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों एवं उनके भाषा शिक्षकों के सम्मान में 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' का आयोजन सम्पन्न किया गया । समारोह में दिल्ली प्रदेश के 115 विद्यालयों के 3500 छात्र, 350 भाषा शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों, साहित्यकारों, विद्वत जनों एवं पत्रकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही । समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सदस्य-सचिव, डॉ. सच्चिदानंद जोशी जी उपस्थित थे । दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हँसराज कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रमा शर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की । विशिष्ट अतिथि के रूप में हिन्दी अकादमी, दिल्ली के सचिव डॉ. जीतराम भट्ट, फिजी दूतावास के परामर्शदाता श्री नीलेश रोनिल कुमार तथा हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष, श्री सुधाकर पाठक जी मंचासीन थे । दीप प्रज्ज्वलन एवं सामूहिक राष्ट्रगान से कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ हुआ ।

अपने स्वागत उद्बोधन में श्री सुधाकर पाठक ने विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भाषिक विविधता और भाईचारा ही भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है । निज भाषा के प्रति जिम्मेदारी का बोध होना ही हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है । भारतीय भाषाओं के इन्हीं नवांकुरों को संरक्षित करने के उद्देश्य से अकादमी प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन करती है जो भाषाओं की नींव को और भी मजबूत करता है । दिल्ली में तीसरी बार इस तरह का आयोजन सम्पन्न किया जा रहा है और इसके सकारात्मक और सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं । इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सदस्य-सचिव, डॉ. सच्चिदानंद जोशी जी ने समारोह में उपस्थित विविध भाषाओं के छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को एक ही प्रांगण में किसी सुंदर पुष्प माला की तरह एकत्रित होते हुए देख अपने उद्बोधन में कहा कि भाषाओं के संवर्धन के लिए यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण आयोजन है जहाँ दिल्ली प्रदेश के 3500 मेधावी छात्रों का विशाल समागम, जिन्होंने अपनी भाषा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अपनी भाषाओं को लेकर वे और उनके शिक्षक तथा उनके विद्यालय कितने चिंतित हैं । वहीं, अपनी भाषा में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक मिशाल है । यह केवल दिल्ली प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का ही नहीं बल्कि वैश्विक चमत्कार है । अकादमी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंनें कहा कि जब हम अपनी मातृभाषा के लिए इतने सजग होकर काम करते हैं तभी देश की उन्नति होती है और यदि हमें भारत को विश्व के श्रेष्ठतम स्थान पर पहुंचाना है तो भारतीय भाषाओं का सम्मान करना होगा । आने वाले वर्षों में हमारे भाषा के प्रति गौरव और सम्मान प्राप्त करना हो तो हमें हमारे विद्यालयों में इसी तरह उत्साहवर्धक कार्य करने होंगे । मंचासीन अतिथियों द्वारा 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में हिन्दी एवं संस्कृत विषय में शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 49 मेधावी छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' से विभूषित किया गया, शेष छात्रों को जिन्होंने भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, गुजराती आदि) में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये थे उन्हें 'भाषा दूत सम्मान' से सम्मानित किया गया । सर्वाधिक प्रविष्टियाँ भेजने पर कुलाची हँसराज मॉडल स्कूल, अशोक विहार, दिल्ली को 'भाषा प्रहरी सम्मान' से सम्मानित किया गया । इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' एवं अकादमी की अब तक की यात्रा को समेटे 'यात्रा अनवरत...' पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया ।

विद्यालय स्तर पर छात्रों एवं शिक्षकों को अपनी भाषा से जोड़ने के उपक्रम में अकादमी द्वारा एक तरह का भाषाई वातावरण बनाया जा रहा है, जिससे भारतीय भाषाओं के शिक्षकों का डगमगाया हुआ सम्मान उन्हें दोबारा मिल सके । जहाँ पहले भारतीय भाषाओं के प्रति छात्रों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं अन्य शिक्षकों की सोच दोयम दर्जे की थी, अब उसमें धीरे-धीरे सही, एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है । इसी तरह युवा पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ने और राजभाषा हिन्दी के प्रति उनके चिंतन और विचारों को जानने के उद्देश्य से हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर एक दिवसीय अंतर-महाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था । इस प्रतियोगिता को प्राथमिक चरण और निर्णायक चरण करके दो खंडों में विभाजित किया गया था । प्राथमिक चरण के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन अलग-अलग केन्द्रों में अंतर-महाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । अंतर-महाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता के लिए श्याम लाल कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को केन्द्र बनाया गया था । इस योजना के अंतर्गत प्रथम आयोजन शुक्रवार, 9 सितम्बर, 2022 को श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभागार में सम्पन्न हुआ । इसी तरह द्वितीय आयोजन शनिवार, 10 सितम्बर, 2022 को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभागार में सम्पन्न हुआ । 'अंतर-महाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता' का तृतीय (अंतिम) आयोजन शनिवार, 17 सितम्बर, 2022 को श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभागार में सम्पन्न हुआ । इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न कॉलेजों से आए हुए पंजीकृत प्रतिभागियों ने बड़े अनुशासन के साथ अपने-अपने चयनित विषयों पर ओजपूर्ण भाषण प्रस्तुत किए। तीनों केन्द्रों से निर्णायक मण्डल द्वारा कुल 30 (10+10+10) श्रेष्ठ वक्ताओं को निर्णायक चरण (फाइनल राउंड) के लिए चयनित किया गया । चयनित वक्ताओं को निर्णायक चरण के लिए शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सम्वेत सभागार में आमंत्रित किया गया । चार सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन एवं परिचर्चा सत्र में डॉ. सच्चिदानंद जोशी जी, सदस्य सचिव, श्री आनंद कुमार मिश्रा, उपायुक्त, दिल्ली पुलिस, श्री बालेंदु शर्मा दाधीच, निदेशक, माइक्रोसॉफ्ट, डॉ. लक्ष्मीशंकर बाजपेई,

वरिष्ठ साहित्यकार, श्री अजीत कुमार, निदेशक एवं प्रभारी, राजभाषा, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक मंचासीन थे । अपने स्वागत वक्तव्य में श्री सुधाकर पाठक ने 'भाषा महोत्सव' की परिकल्पना, उद्देश्य और इसकी पूरी प्रक्रिया की विवेचना की । उन्होंने कहा कि साहित्यिक एवं शैक्षिक जगत में यह एक अनूठा प्रयोग है, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय स्तर पर नई पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ने का बाल प्रयास कर पा रहे हैं । अपने आधार वक्तव्य में डॉ. सच्चिदानंद जोशी जी ने कहा कि युवाओं के बीच भाषा महोत्सव जैसे आयोजन का होना भविष्य की संभावनाओं की खोज है । डॉ. लक्ष्मीशंकर बाजपेई ने 'भाषा, साहित्य, संस्कृति और युवा' विषय पर, बालेंदु शर्मा दाधीच ने 'प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर हिंदी' तथा आनंद कुमार मिश्रा ने 'युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण और रोजगार में हिन्दी की भूमिका' विषय पर अपने सारगर्भित उद्‌बोधन से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई ।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र (भाषण प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण सत्र) में मंचासीन विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री दीपक दुबे, अध्यक्ष यू.पी.कल्चरल फोरम, डॉ. धनेश द्विवेदी, उप संपादक, राजभाषा, गृह मंत्रालय, डॉ. जीतराम भट्ट, सचिव, हिंदी अकादमी, दिल्ली, श्री सुधाकर पाठक, अध्यक्ष, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी उपस्थित थे । निर्णायक मण्डल के रूप में डॉ. ज्योत्सना शर्मा, संपादक, राज्यसभा सचिवालय, डॉ. हेमा द्विवेदी, शिक्षाविद्, डॉ. रामकिशोर यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय उपस्थित थे । अन्तर-महाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता के प्राथमिक चरण के अंतर्गत चयनित 30 श्रेष्ठ वक्ताओं के बीच हुए अन्तिम चरण की भाषण प्रतियोगित में सुश्री विशाखा, कालिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान, श्री अभ्युदय कुमार मिश्र, आत्म राम सनातन धर्म महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय को द्वितीय स्थान और श्री मनीष कुमार झा, आई. एम. एस. लॉ कॉलेज, नोएडा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ । विजेताओं को क्रमशः नकद पुरस्कार राशि 3100/-, 2100/-, 1100/- के साथ प्रमाण-पत्र, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट किए गए । 4 से 10 श्रेणी में आने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र और स्मृति चिन्ह तथा शेष 20 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं मैडल देकर सम्मानित किया गया । प्राथमिक चरण की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करने वाले छात्रों को सहभागिता प्रमाण-पत्र भेंट किए गए ।

इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा सम्वेत सभागार में हिन्दी पखवाड़े के समापन के अवसर पर सांस्कृतिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया था । समारोह में लोकनृत्य, भाव नृत्य, काव्य-वाचन, सामूहिक गीत प्रस्तुति, सामूहिक नृत्य नाटिका, नुक्कड़ नाटक आदि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्मिलित थे । एक्टर, मॉडल, नृत्यांगना, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने कई टीवी चैनलों में काम किया है, 15 शॉर्ट फिल्म, 600 से ज्यादा स्टेज शो, IFTV की ब्रांड एंबेसडर सहित 350 से ज्यादा अवार्ड जीतने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा सुश्री वान्या सिंह ने बिरजू महाराज के गायन पर नृत्य प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध किया । अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली के छात्रों द्वारा प्लास्टिक के दुष्परिणाम पर केंद्रित लघु नाटिका का मंचन किया गया तथा छात्र अंशुल शर्मा द्वारा 'रश्मिरथी' का स-स्वर पाठ किया गया । इसी तरह ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल, नारायणा विहार, दिल्ली द्वारा हिन्दी की दुर्दशा पर नुक्कड़ नाटक एवं सामूहिक गान प्रस्तुत किया गया । विभिन्न विद्यालयों से सु-सज्जित परिधानों में आए हुए नाटक मण्डली में बच्चों का जोश और उत्साह देखते ही बनता था । बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यावरण संरक्षण पर लघु नाटिका ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा । समारोह में गीत एवं नाटक विभाग, भारत सरकार के कलाकारों द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न लोकनृत्य प्रस्तुति ने सभागार में चार चाँद लगा दिया । विभिन्न समुदायों की वेश-भूषा में सु-सज्जित कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति भारतीय लोक संस्कृति, सभ्यता, लोक कला और राष्ट्रप्रेम का अद्‌भुत संगम था । इस अवसर पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक द्वारा बच्चों एवं शिक्षक प्रतिनिधियों को प्रमाण-पत्र, स्मृति चिन्ह एवं मेडल्स भेंट कर सम्मानित किया गया ।

हिन्दी पखवाड़े को निरंतरता देते हुए दो दिवसीय (26-27 सितम्बर, 2023) सांस्कृतिक समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन 26 सितम्बर, 2023 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की ओर से श्री अजीत कुमार, निदेशक एवं प्रभारी (राजभाषा) तथा हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया । सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिन संगीत एवं नाटक विभाग के कलाकारों द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्यों को प्रस्तुत किया गया । पारम्परिक वेशभूषा में सजे-धजे कलाकारों ने पंजाबी, हरियाणी, गुजराती, मराठी, हिमांचली आदि राज्यों की सांस्कृतिक संवृद्धि को प्रस्तुत किया । इस बहुभाषी लोक नृत्य को दर्शकों ने खूब सराहा । इस अवसर पर श्री अजीत कुमार ने उपस्थित दर्शकों को हिन्दी दिवस की शुभकामना देते हुए कहा, कि हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी भाषा के प्रोत्साहन एवं राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है । सांस्कृतिक समारोह के दूसरे दिन का शुभारम्भ भी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया । विशिष्ट अतिथि के रूप में जेल सुधारक एवं मीडियाकर्मी डॉ. वर्तिका नंदा, डॉ. जीतराम भट्ट एवं सुधीर लाल, प्रभारी, कलानिधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र मंचासीन थे । कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति शोभायमान थी ।

हंसराज महाविद्यालय की छात्रा सुश्री शार्वी शर्मा द्वारा सरस्वती वंदना नृत्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। लखनऊ से पधारे बाँसुरी वादक श्री मुकेश कुमार 'मधुर' की बाँसुरी वादन ने सभागार में उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया। बालकवि जशन महाला और अंशुल शर्मा ने भी अपनी बेजोड़ प्रस्तुति से सभी का ध्यान आकृष्ट किया। डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, जसोला विहार के छात्रों ने देशभक्तिपूर्ण सामूहिक गीत प्रस्तुत किया तो अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल, दिलशाद गार्डन के छात्रों ने साइबर क्राइम पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक और माउंट कार्मेल स्कूल, द्वारका के छात्रों ने पर्यावरण पर केन्द्रित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। हंसराज महाविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति से सभी को मोहित किया। संगीत एवं नाटक विभाग के कलाकारों ने भी विभिन्न लोक नृत्यों से समारोह में चार चाँद लगाये। इस अवसर पर काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन श्री अजीत कुमार, श्री जीतराम भट्ट एवं सुधाकर पाठक के हाथों से सहभागिता करने वाले विद्यालयों, छात्रों, शिक्षकों एवं कवियों को पुरस्कार वितरण एवं सम्मान अर्पण करके किया गया। छात्रों को सम्मानस्वरूप नकद पुरस्कार राशि, सम्मान-पत्र, स्मृति-चिन्ह एवं मेडल्स भेंट किए गए।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी अपने सीमित संसाधनों के द्वारा भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के साथ-साथ स्तरीय साहित्य के प्रकाशन, अनुवाद और संवर्धन के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। नए लेखकों और युवा पीढ़ी के साहित्यकारों को मंच प्रदान करने और उनके साहित्यिक चिंतन को मुख्यधारा के साहित्य से जोड़ने का उपक्रम भी कर रही है। इसी योजना के अंतर्गत युवा कवि, लेखक और अनुवादक श्री राजकुमार श्रेष्ठ द्वारा सुधाकर पाठक जी की पुस्तक 'जिन्दगी कुछ यूँ ही' का नेपाली अनुवाद 'जिन्दगी केही यस्तै' और वरिष्ठ कथाकार सुरेखा जी की गद्य प्रकाशित 'प्रतिनिधि कहानियाँ' का लोकार्पण 8 दिसम्बर, 2018 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, कलानिधि विभाग में किया गया जहाँ भारत और नेपाल का सुन्दर मैत्री सम्मेलन देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में हिन्दुस्तानी भाषा भारती पत्रिका के नवीनतम नेपाली विशेषांक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मॉरीशस गणराज्य के राजदूत श्री जगदीश्वर गोवर्धन थे, किन्तु मॉरीशस सरकार के मंत्री समूह के आगमन के कारण समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। उनके प्रतिनिधि के रूप में दूतावास के प्रथम सचिव श्री उमेश सुखमनी जी उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथियों में डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, श्री होम प्रसाद लुइटेल, सांस्कृतिक सलाहकार, नेपाल दूतावास, दिल्ली और उमाकांत आचार्य थे। स्वागत वक्तव्य डॉ रमेश चन्द्र गौड़, विभागाध्यक्ष, कलानिधि ने दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. धनेश द्विवेदी ने किया। श्री राजकुमार श्रेष्ठ ने बड़े प्रभावशाली अंदाज में अनुवादक की भूमिका पर सारगर्भित विचार रखते हुए खास मोहक अंदाज में पुस्तक की एक कविता का दोनों भाषाओं में काव्यपाठ किया।

अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातारण बनाने और भाषाई सौहार्द विकसित करने के उद्देश्य से 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, दिल्ली' के संयुक्त तत्त्वावधान में 'भारतीय भाषा दिवस' के उपलक्ष्य में बुधवार, 6 दिसम्बर, 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में 'भारतीय भाषा उत्सव' के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन किया गया। इस विहंगम सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति माननीय राम नाथ कोविन्द जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री माननीया श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी की गरिमामयी उपस्थित थीं। अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानन्द जोशी, डॉ. अजीत कुमार, निदेशक (रा.भा.) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक मंचासीन थे। मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं सामूहिक राष्ट्रगान द्वारा कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारम्भ किया गया।

चार सत्रों में विभाजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अपने स्वागत वक्तव्य में सुधाकर पाठक जी ने कहा कि छात्रों को भारतीय भाषाओं की जानकारी देने, अन्य भारतीय भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित करने और भारतीय भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने पिछले वर्ष 2022 में भारतीय भाषाओं के महत्त्व पर जोर देने के लिए गठित भारतीय भाषा समिति की सिफारिशों के बाद प्रत्येक वर्ष 11 दिसम्बर को 'भारतीय भाषा दिवस' के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को चिठ्ठी लिखकर निर्देश दिया था कि उत्तर-दक्षिण के सेतु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती की जयंती के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में 11 दिसम्बर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। सरकार द्वारा घोषित 'भारतीय भाषा दिवस' का यह दूसरा संस्करण है और इस दिवस की महत्ता और उदेश्यों को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के कार्यों को रेखांकित किया है, साथ ही इस भव्य आयोजन में अकादमी को विशेष योगदान के रूप में जोड़ा है। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी पिछले सात वर्षों से बोर्ड परीक्षा में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों को सम्मानित करती आ रही है। अकादमी के इस महत्त्वपूर्ण वार्षिक आयोजन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार और उन्नयन करना है। प्रत्येक आयोजन में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या में गुणात्मक

परिवर्तन देखने को मिला है । अब तक के आयोजन में इस सम्मान समारोह ने शैक्षिक, साहित्यिक एवं अकादमिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है । अपनी मातृभाषा को लेकर समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है । जिस तरह से छात्रों, शिक्षकों, विद्यालयों, अभिभावकों ने इस तरह के आयोजन को सराह है उससे हमारा हौसला और बुलन्द हुआ है ।

इ.गाँ.रा. कला केन्द्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने अपने आधार वक्तव्य में कहा कि भारतीय भाषाओं को लेकर यह अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण आयोजन है । आज इस सभागार में वे सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं । इनमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं, जिन्होंने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी भाषा की बात आती है, भाषा के सम्मान की बात आती है, तो अक्सर ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है, जो कॉलेजों में पढ़ाते है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं या भाषा पर किताब लिखते हैं । यह संभवत अपने आप में अनूठा उदाहरण है, जिसमें हम उन शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों को प्रेरित कर भाषा की ओर काम करने के लिए अग्रसर किया है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह कोई भाषा नहीं जानता । वह सबसे पहली भाषा वही सीखता है, जो उसकी माँ उसे सिखाती हैं । इसीलिए उसे मातृभाषा की संज्ञा दी गई है । उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय भाषाओं को सिखाया जा रहा है । सबसे अनूठी बात यह है कि देश-दुनिया में भारतीय भाषाओं के प्रति रूझान बढ़ा है । हमारी भाषाएँ बहुत प्राचीन हैं, जिन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने का काम किया है । हमें अपनी भाषा को बढ़ावा देना होगा, तभी भाषायी गुलामी की जंजीरे टूटेंगी । भाषा वह माध्यम है जिससे कोई भी समाज अपना ज्ञान, संस्कृति और संस्कार भावी पीढ़ियों तक पहुँचाता है ।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री राम नाथ कोविन्द जी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों और भाषा शिक्षकों को देखकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है । इतना विराट, विशाल और वैभवशाली भारत आज मेरे सामने है। इस विहंगम दृश्य को देखकर कौन मुग्ध और मोहित नहीं होगा । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज माली और फूल एक साथ बैठे हैं । शिक्षक के रूप में आप सभी गुरूजन माली और शिष्यों के रूप में उपस्थित सभी फूल हैं । मैं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा देश के भविष्य और देश के भावी निर्माताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने हेतु भारतीय भाषा उत्सव आयोजित करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । सचमुच भाषा हमें गढ़ती हैं और अपनी मिट्टी से जोड़ने का काम भी करती है । भारत केवल प्राचीन सभ्यता के लिए ही नहीं, अपितु अपनी संस्कृति और भाषाई संस्कृति के लिए भी जाना जाता है । भाषा ही हमारे भीतर आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन का विकास करती है । हमें संस्कारित करने के साथ मानवीय मूल्यों और मान्यताओं से भी जोड़ती है ।

इस वर्ष सम्मान समारोह में दिल्ली एवं गुरुग्राम के प्रतिष्ठित 268 विद्यालयों 8166 मेधावी छात्रों को 'भाषा दूत सम्मान', शत प्रतिशत (100%) अंक प्राप्त करने वाले 145 मेधावी छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' एवं 9 भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी और उर्दू) के 742 भाषा शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया गया । अपने-अपने विद्यालयों की बर्दी में सु-सज्जित छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति से ऑडिटोरियम शोभायमान था और लगभग 10,000 लोगों से भरा हुआ ऑडिटोरियम का यह दृश्य अपने आप में बहुत अद्‌भुत और अप्रतिम था ।

भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार करने को संकल्पित और प्रतिबद्ध 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' की 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' के साथ अब तक की सहयात्रा सुखद और उद्देश्यपरक रही है । इतने वर्षों के लम्बे अनुभव को एक आवरण कथा में सहेजते हुए कुछ जरूरी सूचनाएँ और घटनाएँ अवश्य छूटे होंगे । इस अनवरत यात्रा में हमें अनेक लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उनके प्रति हम आभारी हैं । आगामी दिनों में भी भारतीय भाषाओं के उन्नयन की दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण और गम्भीर कार्यों को करने का संकल्प लेते हुए हम इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के साथ अब तक किए गए आयोजनों की मधुरिम स्मृति को सहेजते हुए भविष्य के साथ सहयोग, समभाव और मार्गदर्शन के लिए पूर्ण आशावादी हैं ।

-राजकुमार श्रेष्ठ
संयुक्त सम्पादक
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

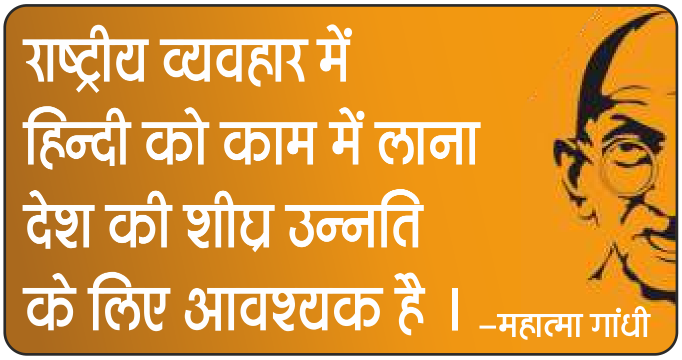

रिपोर्ट

कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में
राजभाषा पखवाड़ा समारोह सम्पन्न

सरोज शर्मा

मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एवं कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वावधान में कालिंदी महाविद्यालय में राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन हुआ । समारोह का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. मीना चरांदा के सान्निध्य में आमंत्रित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके हुआ। इस अवसर पर परिचर्चा - हिंदी : कल, आज और कल का आयोजन हुआ एवं पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं परिचर्चा में सहभागिता करने के छात्राओं को सम्मानित किया गया । हिंदी, मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा , संस्कृति, भारत बोध एवं संस्कारों पर केंद्रित वक्तव्यों से विद्यार्थी लाभान्वित हुए । समारोह की अध्यक्षता हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक, संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉ. आलोक रंजन पांडेय एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संतोष के वक्तव्यों को खूब तालियां मिलीं ।

इस अवसर पर अकादमी के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री विनोद पाराशर पाराशर ने छात्राओं को सम्मान पत्र देकर प्रोत्साहित किया । इस अवसर पर अनुदित पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

भाषा शिक्षण पर शिक्षकों का नजरिया

अक्सर शिक्षक चर्चा के दौरान बताते हैं कि कक्षा पाँच के बच्चे भी कहानी या कविता सुनाना, अपनी बात को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करना, समझ कर पढ़ना आदि काम नहीं कर पाते हैं।ये सब बातें हमें सोचने को बाध्य करती हैं कि भाषा की कक्षा में ऐसा क्या होता है कि हमारे अथक प्रयासों के बावजूद बच्चों की विभिन्न भाषाई क्षमताएँ विकसित नहीं हो पातीं। सवाल यह है कि हम इसका कारण बच्चों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठ भूमि को मानें अथवा भाषा सीखने-सिखाने के तौर-तरीकों व उसमें निहित हमारे नजरिए को। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मौकों यथा कक्षा अवलोकन व प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों के साथ हुई बातचीत में भाषा शिक्षण के प्रति उनके नजरिए के कई आयाम उभरकर आए। उनमें से कुछ की चर्चा हमने यहाँ इस लेख में करने की कोशिश की है।

भाषा माने क्या?

प्राय:शिक्षक 'भाषा माने क्या' का अर्थ बहुत सीमित अर्थो में लेते हैं। यह पूछे जाने पर कि भाषा से आप क्या समझते हैं जवाब होता है- भाषा यानी विचारों के आदान-प्रदान का माध्यहम अर्थात् 'सम्प्रेषण का साधन'। इस बात पर कभी गौर नहीं किया जाता कि जिन विचारों को सम्प्रेषित करना है वे कहाँ से व कैसे आते हैं? दूसरे शब्दों में क्या भाषा के बगैर हम सोच सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं? चीजों को अलग-अलग पहचान सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं? हम भाषा का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? कैसे करते हैं? हमारा व भाषा का रिश्ता क्या है? यदि इन पहलुओं के बारे में गहराई से सोचा जाए तो यह सूची और लम्बी होती जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, उससे 4-5 मिनट बात करने के दौरान ही हमें पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति पंजाबी है, बंगाली अथवा गुजराती....। यानी इंसान के व्यक्तित्व, उसकी पहचान, उसकी क्षमताओं का विकास इत्यादि सभी बातें भाषा से जुड़ी हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि हममें से अधिकांश लोग जो मानते हैं कि भाषा यानी 'सम्प्रेषण का माध्यम', कुछ हद तक ही ठीक है। जाने-माने शिक्षाविद् कृष्ण कुमार ने अपनी पुस्तक 'बच्चों की भाषा और अध्यापक' में कहा है: 'हममें से कई लोग भाषा को सम्प्रेषण का साधन मानने के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हम सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने के साधन के रूप में भाषा की उपयोगिता को अक्सर भूल जाते हैं। भाषा के उपयोग का यह बड़ा दायरा उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो छोटे बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन भाषा का यह सीमित अर्थ भी कक्षा तक आते-आते कहीं गुम हो जाता है और उसे एक ऐसे विषय के रूप में पढ़ाया जाता है जिसके द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सके ।

सम्प्रेषण के अर्थ के हिसाब से देखें तो भी कम से कम बच्चों को कक्षा में अपनी बात कहने, दूसरों की बात सुनने, प्रश्न उठाने, तर्क करने इत्यादि की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। पर कक्षाओं में तो यह नहीं होता। कक्षा में जो होता है वह है: अध्यापक जो कहे उसको बिना विचारे सुनना, पाठ्यपुस्तपक के अध्यायों के पीछे दिए गए अभ्यास के प्रश्नों के 'सही' उत्तर याद करके उनको हूबहू परीक्षा में वैसा ही लिखना। इसके लिए तो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं होती। उत्तर याद करने के लिए बच्चे कुँजियों का सहारा लेते हैं और इसी वजह से कुँजियों का बाजार चलता है। यह थी सम्प्रेषण की बात जो कि वास्तव में होती ही नहीं। तो बाकी अन्य पहलुओं का क्या हो यह हमें सोचना होगा। इसी से सम्बन्धित दूसरा बिन्दु है भाषा सीखने-सिखाने के उद्देश्य व प्रक्रिया। किसी भी विषय को सीखने-सिखाने के उद्देश्य सीधे इस बात से जुड़ते हैं कि हमारी उस विषय की समझ क्या है? विषय की समझ न केवल यह निश्चित करने में मदद करती है कि हमें पढ़ाना क्या है वरन् यह भी निर्णय लेने में मदद करती है कि पढ़ाना कैसे है? चूँकि शिक्षकों की 'भाषा क्या है?' इस प्रश्न की समझ सीमित है, यही समझ भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने में भी परिलक्षित होती है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि भाषा सीखने-सिखाने के उद्देश्य हैं:

ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना।

शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना।

ध्वनि रूपों का उच्चारण करना।

शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना।

वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना।

शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना।

वर्णों और शब्दों को उचित आकार, उचित क्रम में लिखने की क्षमता विकसित करना। (सुन्दर लिखावट)

विराम चिह्नों का प्रयोग करते हुए लिखने की क्षमता विकसित करना।

वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना।

व्याकरण का सटीक उपयोग।

नैतिक मूल्यों का विकास करना भी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है।

पाठ्यपुस्तक निर्माण और भाषा सीखने-सिखाने के तौर-तरीके भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। फलस्वरूप भाषा की कक्षा सिर्फ वर्ण, शब्द, वाक्य बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाने पर केन्द्रित होकर रह जाती है। न तो उसमें कविताओं व कहानियों के

लिए कोई स्थान होता है न बच्चों को बातचीत के मौके होते हैं और न अपनी बात को अभिव्यक्त करने के। चाहे वह मन से लिखना हो अथवा कहना।

भाषा तथा भाषा-शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर शिक्षकों के नजरिए की बात हमने की। इसके अलावा भी कई दृष्टिकोण हैं जो शिक्षकों से बातचीत के दौरान परिलक्षित भी होते हैं, जैसे - भाषा टुकड़ों-टुकड़ों में व चरण दर चरण सीखी जाती है।शिक्षक भाषा को एक समग्र रूप में देखने की बजाय टुकड़ों-टुकड़ों में देखते हैं। वे मानते हैं कि भाषा टुकड़ों-टुकड़ों को जोड़कर सीखी जाती है। चाहे ये टुकड़े फिर सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के हों अथवा अक्षर, मात्रा, शब्द व वाक्य। यदि हम फिर से उद्देश्यों पर जाएँ और उनका गहराई से विश्लेषण करें तो उनमें भी यह विभाजन साफ-साफ दिखाई देता है, जैसे-

पहले बच्चों को ध्वनियों का उच्चारण समझना सिखाना है।
फिर साफ व स्पष्ट बोलना
उसके बाद अक्षर व वर्ण पढ़ना और उसके बाद लिखना।

शिक्षकों के अनुसार भाषा सिखाने का तात्पर्य है; सुनना, बोलना, पढ़ने व लिखने का कौशल का विकास। उनके अनुसार इन कौशलों के विकास की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है: यद्यपि बच्चा अपने आसपास हो रही बातचीत को सुनता रहता है लेकिन भाषा वह माँ से ही सीखता है। माँ बार-बार बच्चे को सुनाने के लिए बोलती है, जैसे - बोलो 'माँ', 'माँ' और बार-बार भी ध्वनि से परिचय होने के फलस्वरूप बच्चों 'माँ' शब्द सीख जाता है और 'माँ' बोलना शुरू करता है। इसी तरह उसको अन्यल ध्वनियों पापा, दादा इत्यादि से परिचय करवाया जाता है। और फिर वह ये शब्द भी बोलने लगता है। ये शब्द छोटे व सरल होते हैं अत: बच्चा जल्दी सीख जाता है। फिर बारी आती है लम्बे व कठिन शब्दों व वाक्यों की। माता-पिता व रिश्तेदार बार-बार इन शब्दों को बच्चे के सामने दोहराते हैं। इसी तरह बच्चा शब्द व वाक्य बोलना सीख जाता है। उनका यह दृढ़ विश्वास होता है कि बच्चा बगैर सुने नए शब्द व वाक्य बोल ही नहीं सकता। यानी पहले सुनने की प्रक्रिया होगी फिर बोलने की। पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया भी कुछ इस तरह ही होती है। पढ़ने का मतलब होता है अक्षरों को पहचानना और ध्वनियों का उच्चारण कर पाना और इसीलिए बच्चे पढ़ने के नाम पर वर्णमाला को रटते रहते हैं, कविताओं व कहानियों को शब्दश: दोहराते रहते हैं।

लिखना भी एक स्वतन्त्र कौशल की तरह मशीनी ढंग से सिखाया जाता है। बच्चों को अक्षरों की नकल के लिए कहा जाता है। शब्दों की नकल करवाई जाती है। सोचें, कि यदि हमें किसी एक ही काम को बार-बार करने को दिया जाए तो कैसा महसूस करेंगे। लेकिन शुरुआती एक साल में भाषा-शिक्षण के नाम पर बच्चे यही कवायद करते रहते हैं। इन चारों कौशलों को अलग-अलग देखने की वजह से ही शिक्षण प्रक्रिया बोझिल उबाऊ व बार-बार रटने वाली हो जाती है। जैसे यह सब एक-दूसरे से अलग-अलग प्रक्रियाएँ हों। इसी तरह क्या अक्षर व शब्दों को पढ़ना-सीखना लिखने की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं देता? इन प्रश्नों के बारे में कोई विचार नहीं करता। यदि पढ़ना व लिखना बच्चों के अनुभव व बातचीत से शुरू होगा तो वह बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होगा। शिक्षकों के अनुसार तो भाषा सीखने की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है: माता-पिता बोलते हैं मामा, पापा अथवा कोई अन्य शब्द, तो पहले बच्चे कई बार इस शब्द को सुनते हैं और फिर एक दिन बोलना शुरू करते हैं। इसी तरह वे एक-एक करके शब्द सीखते हैं और फिर शब्दों को मिलाकर वाक्य। भाषा को टुकड़ों-टुकड़ों में पढ़ाने का एक उदाहरण देखिए:

शिक्षक कक्षा में आए व बच्चों को डाँटकर चुप कराया। शिक्षक ने बोर्ड पर वर्णमाला के कुछ अक्षर यह बताने के लिए लिखे कि अक्षर से शब्द का निर्माण कैसे होता है और शब्द से वाक्य कैसे बनते हैं।

घ, र, च, ल, अ, ब, न, भ। घर, चल-घर चल
अ, म, न, घर, चल-चरण घर चल

उसके बाद शिक्षक ने बोर्ड पर लिखी वर्णमाला के अक्षर व अक्षर से बने शब्द और शब्द से बने वाक्यों को बच्चों द्वारा पढ़वाया। वह प्रत्येक बच्चे को बोर्ड पर बुलाते और बोर्ड पर लिखे हुए को पढ़वाते और साथ में अन्य बच्चों से उन शब्दों को दोहराते। इस प्रकार पीरियड चलता रहता है। पूरी प्रक्रिया अक्षरों व शब्दों की पहचान पर ही केन्द्रित रहती है और इनकी पहचान पर इतना जोर होने से वाक्य का अर्थ ही गुम हो जाता है। उन बच्चों को जो कि अच्छी तरह से भाषा का प्रयोग कर सकते हैं 'आ', 'इ' व अन्य भी मात्राओं वाले नए-नए वाक्य जानते हैं और बनाते भी हैं, उनको इस तरह तोड़-तोडकर भाषा सिखाना कहाँ तक उचित है, और तो और इस नजरिए का सीधा सम्बन्ध विषयवस्तु से भी होता है। पढ़ाने के लिए विषयवस्तु भी ऐसी ही चुननी होती है जो चरण दर चरण ही आगे बढ़े। फलस्वरूप विषयवस्तु सिर्फ अक्षरों, शब्दों जैसे पहले कमल फिर कमला फिर कमली और वाक्य रतन घर चल, नल पर चल सरपट करके इर्दगिर्द सिमट कर रह जाती है।

ऐसी विषयवस्तुत, जो न तो बच्चों के अनुभवों से जुड़ी हुई है, जिसका न कोई अर्थ है न ही वह रुचिपूर्ण है आवश्यक है फिर भी बच्चे पढ़ते रहते हैं।

भाषा व बोली

एक और महत्वपूर्ण मसला है भाषा व बोली का। जिस भी मंच पर भाषा-शिक्षण की बात होती है, यह मसला जरूर उठता है। शिक्षक बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरे दर्जे की समझते हैं

क्योंकि उनका मानना है कि भाषा तो वह होती है जिसका अपना साहित्य व व्याकरण होता है, उसकी लिपि होती है, वह मानकीकृत व शुद्ध होती है। बच्चे जो भाषा अपने घर से लेकर आते हैं वह तो भाषा नहीं है क्योंकि वह तो एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोली जाती है, उसका न तो साहित्य है न व्याकरण न लिपि। अत: स्कूल के पहले दिन से ही बच्चों को मानकीकृत और शुद्ध भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है और यदि बच्चे अपनी घरेलू भाषा का प्रयोग विद्यालय में करते हैं तो उन्हें डाँट दिया जाता है। बच्चे यह समझ नहीं पाते कि उन्हें क्यों डाँटा जा रहा है ? घर में आस-पास परिवेश में हर कहीं वही भाषा बोली जाती है पर स्कूल में अध्यापक के सामने जब वे बोलते हैं तो गलत क्यों हो जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे कि हमने पहले भी बात की। भाषा व्यक्ति की संस्कृति व पहचान होती है। बच्चे द्वारा अपनी घरेलू भाषा का उपयोग न करने देना उसकी पहचान व संस्कृति पर सीधा प्रहार है। बार-बार डाँट खाने के कारण जो बच्चे इतनी बातचीत करते हैं, धीरे-धीरे बात करना ही बन्द कर देते हैं। यदि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा व बोली में कोई फर्क नहीं होता। भाषा का भी व्याकरण होता है, बोली का भी। यह बात जरूर है कि वह व्याकरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होता पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि व्याकरण होता ही नहीं। यही बात साहित्य पर भी लागू होती है। हो सकता है कि कई बोलियों (भाषाओं) में लिखित साहित्य न हो लेकिन मौखिक साहित्य जरूर होता है। दूसरा भोजपुरी, अवधी, मैथिली जिन्हें हम बोलियाँ कहते हैं उनमें तो बहुत साहित्य उपलब्ध है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है अथवा बोली का? - यह आप सोचिए कि हिन्दी भाषी लोग ज्यादा हैं अथवा भोजपुरी । और जो भी लोग हिन्दी बोलते हैं वे कितनी शुद्ध हिन्दी बोलते हैं। रही लिपि वाली बात तो दुनिया की किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं उदाहरण के लिए-

Ram Ghar Jata hai
jke ?kj tkrk gS

हिन्दी भाषा को आप रोमन लिपि में लिख सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल, कम्प्यूटर सभी पर हम यही करते हैं। अँग्रेजी भाषा को आप देवनागरी में लिख सकते हैं।

राम इज गोइंग
Ram is going

अध्यापक यह मानते हैं कि एक भाषा दूसरी भाषा सीखने में बाधक होती है। उदाहरणार्थ यदि बच्चा मेवाड़ी (क्षेत्रीय भाषा) जानता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव उसके हिन्दी (मानकीकृत भाषा) सीखने पर पड़ेगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। भाषा शिक्षा के द्वारा हम बच्चे की जिन क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं यथा सोचने-विचारने, अपनी बात कहने, तर्क करने, विश्लेषण करने वो तो उनकी अपनी भाषा में आसानी से विकसित हो सकती है और फिर यह कौशल दूसरी भाषा में स्थानान्तरित किया जा सकता है। रही उच्चारण व मानकीकृत भाषा की बात तो उपयुक्त सन्दर्भ व वातावरण मिलने पर बच्चे स्वयं ही धीरे-धीरे यह सब सीख जाते हैं।

भाषा नकल से सीखी जाती है

शिक्षकों की एक और मान्यता है कि बच्चे भाषा तब सीखते हैं जब उन्हें वह भाषा सिखाई जाती है। ऐसी कक्षा का एक उदाहरण देखिए:

कक्षा एक में बच्चे बैठे हुए हैं। प्रथम क्लास लगता है। शिक्षिका कक्षा में आती है व कुर्सी पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बच्चों से कहती है चलो अपनी-अपनी स्लेट या कॉपी लेकर मेरे पास आओ। हम हिन्दी पढ़ेंगे। बच्चे एक-एक करके अपनी स्लेट या कॉपी लेकर उनके पास जाते हैं। वह बच्चे की स्लेट पर 3-4 कॉलम बनाती हैं व एक कोने में 'अ' लिखकर बच्चे से कहती हैं ऐसे ही और बनाओ। इसी तरह वह कक्षा के सभी बच्चों को एक-एक वर्ण लिखने को देती हैं, जब बच्चे दिए गए वर्ण को लिख लेते हैं तो वह दूसरा वर्ण लिखने को देती हैं। इसी तरह कक्षा में कार्य चलता रहता है। इस पूरे समय में एक बार कुछ ऐसा हुआ जो हटकर था। वह था बार-बार शिक्षिका द्वारा वर्ण लिखकर लाने को कहने पर एक बच्चे ने उनसे कहा मुझे नहीं लिखना है। कुछ और कराओ। लेकिन शिक्षिका के पास कुछ और कराने को नहीं था। अत: उन्होंने एक नया वर्ण फिर से बच्चे को लिखने के लिए दे दिया। अब इस बात पर गौर करें कि भाषा सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे तुतलाते हैं। क्या हम उन्हें तुतलाना सिखाते हैं? वयस्क तो तुतलाकर बोलते नहीं ताकि बच्चों को उनकी नकल करने का मौका मिले व बच्चे वैसा बोलना सीखें। बच्चे नित नए शब्द व वाक्य बनाते हैं क्या हम प्रत्येक वाक्य को उनके सामने बोलते हैं? ताकि वे उसकी नकल कर सकें और सीख सकें। क्या हम कभी बच्चे को बोलते हैं, 'पापा मुझे मोटर साइकिल पर घूमने जाना है।'

'पापा चॉकलेट खानी है।'

एक बच्ची व वयस्क की बातचीत का उदाहरण देखिए:

मेरे दोस्त की बच्ची (तीन साल) व उसकी बुआ बातचीत कर रहे थे।

बुआ: बोलो, मैं अच्छी हूँ।
बच्ची : मैं अच्छी हूँ ।
बुआ: मैं लड़की हूँ ।
बच्ची : मैं लड़की हूँ ।
बुआ: मैं गन्दी हूँ ।
बच्ची : आप गन्दी हो।

अब आप ही सोचिए। इस बच्ची को कैसे पता चला कि उसे अपने-आप को गन्दा नहीं कहने के लिए वाक्य में कहाँ व

क्या-क्या परिवर्तन करने होंगे? वह यह कहना कैसे सीखी होगी नकल से अथवा आपके बताने से अथवा.... ?

भाषा सिखाने का एकमात्र साधन पाठ्य पुस्तक है !

बच्चों को सिर्फ पाठ्यपुस्तक में दी गई विभिन्न रचनाओं को पढ़ना है और वह भी दिए गए क्रम में यानी पहले अध्याय एक की, फिर दो.. तीन। बच्चे अपनी इच्छा से चुनकर पाठ भी नहीं पढ़ सकते। पाठ पढ़ने के बाद होता है उसके पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को याद करना। बच्चों के इर्द-गिर्द भाषाई सन्दर्भ उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर पत्रिकाओं, अखबारों, विज्ञापनों में, सड़कों पर लिखे गए विभिन्न निर्देश इत्यादि। इनमें कई जगहों पर भाषा का प्रयोग होता है लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके बाद आती है साहित्य की बात। भाषा के वृहद् साहित्य विशेषकर बच्चों की उम्र के लायक साहित्य से उनका कोई परिचय नहीं होता। कक्षा-कक्ष अवलोकन के दौरान एक अनुभव को यहाँ बाँटना चाहेंगे। हमने बच्चों से पूछा कहानी सुनोगे या कविता? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अतः हमने एक कहानी सुना दी। दूसरे दिन फिर उसी कक्षा में जाने पर बच्चों ने कहा हमें कविता सुनाइए। कविता सुनाना शुरू किया तो उनका कहना था कल वाली सुनाइए। यह उदाहरण बताता है कि बच्चों को कहानियाँ और कविताएँ सुनने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन क्योंकि हम साहित्य का कक्षा में अर्थपूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं अतः उनकी रुचि खत्म हो जाती है। बच्चों को विभिन्नि कविताओं, कहानियों के मुख्य बिन्दुओं को याद करने का कार्य अरुचिकर व बोरिंग होता है और विशेषतौर पर तब जब यह उसके जैसा ही हो जो उनको पढ़ाया गया है। साहित्य के उद्देश्यों जैसे कि खुद को समझना और खुद का दुनिया के बारे में दृष्टिकोण बनाना और उसका संवर्धन करना इत्यादि कहीं गुम हो जाते हैं। कविता, कहानी की किताबें हो या अखबार अथवा सड़कों, विभिन्न स्थानों पर लिखे गए निर्देश इस तरह के सन्दर्भ न तो कक्षा में उपलब्ध होते हैं ना ही उनके बारे में सोचा जाता है। पाठ्यपुस्तक में कुछ जरूर मदद मिलती है लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएँ होती हैं। अतः शिक्षक को यह सोचना होगा कि बच्चों में भाषा के प्रयोग की क्षमताएँ बढ़ाने के लिए उन्हें पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या-क्या करने की आवश्यकता है।

बच्चों की क्षमताओं में विश्वास

प्रायः शिक्षक यह मानते हैं कि बच्चों का सीखना स्कूल में ही प्रारम्भ होता है। स्कूल में आने से पहले बच्चों को कुछ नहीं आता। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों से हुई बातचीत में उनका कहना था कि शहरी बच्चे तो फिर भी कुछ पढ़ना-लिखना जानते हैं लेकिन गाँव के बच्चे, गरीब बच्चे जिनके माता-पिता अनपढ़ हैं वे तो कुछ भी नहीं जानते। उन्हें तो सब कुछ स्कूल में आकर ही सीखना होता है। असल में भाषा शिक्षण की कक्षाओं का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी बात को कह सकें, दूसरे की बातों को सुनकर या पढ़कर अपनी टिप्पणी दे सकें। वे कहानियों और कविताओं को पढ़कर उसका रस ले सकें, उन कहानियों और कविताओं में अपनी छवि देख सकें या अपने आपसे जोड़ सकें। भाषा सिखाने के केन्द्र लिपि, वर्तनी, सुन्दर लिखाई व व्याकरण बन जाते हैं। इतना ही नहीं भाषा की कक्षा में भाषा से खेलने, उसमें डूबने, उसे अहसास करने और आत्मासात करने का अवसर ही नहीं रहता है। असल में बात यह है कि यह सब कुछ करने के लिए स्कूलों में इतना धैर्य कहाँ, वे तो जल्द से जल्द। सिखाने में लगे रहते हैं। इसके अलावा शिक्षक का पूरा ध्यान कक्षा में बच्चों को शान्त करने और उच्चारण ठीक करने में रहता है। कक्षा-कक्ष में बच्चों को बातचीत करने से रोका जाता है। जबकि बच्चों की बातचीत कक्षा-कक्ष या अध्ययन-अध्यापन के लिए एक संसाधन बन सकता है। शिक्षक को यह अहसास ही नहीं है कि अगर बच्चों को छोटी-छोटी टोलियों में बाँटकर उन्हें किसी विषय-वस्तुं पर बातचीत का अवसर दिया जाए तो उससे काफी कुछ समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा उसके परिवार में, उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा के नियम सीख लेता है। चाहे वो नियम ध्वनि के हों, शब्द स्तर के हों अथवा बातचीत के। बच्चा केवल ये ही नहीं जानता है कि सही शब्द व वाक्य कैसे बोलना है बल्कि उसको यह भी पता होता है कि यदि प्रश्न वाक्य बनाना है तो उसे कहाँ लय में परिवर्तन करना पड़ेगा। वह जानता है कि उसे अपने पापा से किस तरह से बातचीत करनी चाहिए और यदि घर में अतिथि आएँ तो उनसे बातचीत का तरीका क्या होगा। इसके साथ-साथ बच्चे ये भी जानते हैं कि यदि उन्हें किसी से कुछ माँगना है तो उस व्यक्ति से किसी तरह की बातचीत की आवश्यकता है। बच्चों को यह सब कौन सिखाता है?

हमें लगता है कि भाषा की कक्षा में भाषा सिखाते समय दो-तीन बातों को अमल में लाएँ तो ज्यादा अच्छा होगा। पहली बात पढ़ने-लिखने की जो सामग्री हो वह सार्थक हो और बच्चे के स्तर की हो। दूसरी बात यह है कि जो सामग्री दी जाए वो परिचित भाषा में हो। तीसरी बात शिक्षक बच्चों के साथ सार्थक संवाद करें। उनकी बातों को प्यार से सुनें और उसे लोगों की बातचीत सुनने का मौका भी दें। ताकि वह अपने लिए कुछ व्याकरण के नियम और शब्द स्वयं से ढूँढ सकें। आखिरी बात यह है कि भाषा को अक्षर, उच्चारण, व्याकरण आदि में बाँटने से कोई मतलब नहीं निकलता है। ना ही ये सब किसी निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं। भाषा सीखने का एक ही तरीका है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। जैसे-बोलने में, तर्क करने में, कल्पना करने में, सृजन करने में। पढ़ने-लिखने इत्यादि के पर्याप्त अवसर मिलें तो भाषा सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है।

रजनी द्विवेदी एवं शोभा शंकर नागदा

हिन्दी मीडिया की भाषा

इस विषय पर चर्चा से पूर्व हम एक नजर आज के समय में भाषा की स्थिति पर डालें, जहाँ शब्दों की वास्तविकता नहीं दिखती। जो मुंह से बोला जाता है, सच्चाई उससे विपरीत होती है। व्यक्ति की स्वयं की जो कमजोरियां या गलतिया हैं, उन्हें आरोप-प्रत्यारोप के रूप में उलट दिया जाता है। जो कोई भी सच को कहना या दिखाना चाहता है, उसका मखौल बना कर बात हवा में उड़ा दी जाती है। कहीं भी सत्य का अहसास नहीं होता, छद्म बयानबाजी सुनाई देती है। अगर हालत खराब है, तो स्थिति को दबाकर ढक दिया जाता है। कोई सच बोलने का साहस करता है, तो उसे सीखचों में कैद कर लिया जाता है। सही आवाज को देशद्रोह या धर्म के खिलाफ करार कर दिया जाता है। उन्हें आतंकी या अपराधी घोषित करके कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है और न्याय की आवाज का गला घोटा जा रहा है। हम एक अजब सी मनःस्थिति में जी रहें हैं, जो घुटन और बैचेनी का अहसास करवाती है। रिश्तों और सम्बन्धों से कटे हुए लोग आभासी दुनिया से जुड़ गए है, जहाँ असली और नकली की पहचान नहीं होती। भाषा का स्थान लाइक्स, स्माइलीज, इमोजी और कृत्रिम चिन्हों ने ले लिया है, लोग लिखने की जहमत नहीं उठाना चाहते। भावनाओं और विचारों को वहन करने वाले शब्दों को कागज पर उतारने का जो चलन था, वह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अभिव्यक्ति की डोर पकड़ने वाली चिट्ठियां और पत्र लिखने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। ऐसे में भाषा में संवादहीनता या वार्तालाप की संभावना समाप्त हो गयी है, जबकि पहले खामोशी की भी अपनी भाषा होती थी। चर्चा के नाम पर एक-दूसरे की बात काटना या लगातार तेज बोल कर दूसरे की आवाज को दबाना अथवा सभी के एकसाथ बोलते हुए मंच को भिंडी बाजार बना देना आम हो गया है। पिछले दो दशकों में ही संचार माध्यमों के तेजी से विस्तार के साथ, भाषा-शैली में बहुत बदलाव हुआ है। जिसकी छान-बीन के लिए हमें संचार के विभिन्न अंगों के अंतर्गत, भाषा के बदलते स्वरूप और बिगड़ते रूप की समीक्षा करनी होगी।

सबसे पहले हम प्रिंट मीडिया में भाषा की बदलती स्थिति पर विचार करें तो पाएंगे कि अंग्रेजी के ढेरों शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखकर समाचार-पत्र छापें जा रहें हैं। उन्हें पढ़ते समय भाषा की अशुद्धि के साथ, उसमे इंग्लिश के शब्दों की खिचड़ी पकी हुई नजर आती है। यह अजब विडंबना है कि हिन्दी के समाचार पत्रों में जहाँ विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जाते हैं, वहीं ज्यादातर विज्ञापनों में हिन्दी के शब्दों को गलत भी छापा जाता है। यद्यपि हिन्दी के अखबार और पत्रिकाएं पढ़ने वाले लोग बहुत सीमित मात्रा में रह गए हैं एवं युवा वर्ग ज्यादातर अंग्रेजी समाचार-पत्र ही पढ़ते हैं। यदि वे हिन्दी लेखन, पत्रकारिता या अनुवाद से जुड़े भी हैं, तो उनकी भाषा की समझ व्यवसाय तक ही जुडी हुई है। न केवल लिखने में, बल्कि बोलने में भी अब युवा वर्ग 'हिंग्लिश' ही प्रयोग करता है। यह भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण का प्रभाव है, जिससे लोग अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा से दूर होते जा रहें हैं। जबकि भारतीय प्रवासी विदेशों में हिन्दी भाषा सिखाते हुए अनुस्वार तथा अनुनासिक तक के भेद को महत्व देते हुए भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी भाषा का शुद्ध स्वरूप नहीं मिलता एवं कंप्यूटर व इंटरनेट क्रान्ति के फलस्वरूप बहुत से अंग्रेजी के तकनीकी शब्द सामान्य रूप से इस्तेमाल होने लगे हैं। हिन्दी या अन्य भाषा में वैसी शब्दावली उपलब्ध न होने से, वे शब्द ज्यों के त्यों अपना लिए जाते हैं। यद्यपि हिन्दी में कंप्यूटर के लिए 'संगणक' और इंटरनेट के लिए 'अंतर्जाल' आदि शब्दावली विकसित करने की कोशिश की गई, किन्तु ये प्रयास कमजोर और प्रभावहीन रहे। कोरोना काल में भी कोविड, एपिडेमिक, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन, कोरन्टाईन, लॉकडाउन इत्यादि शब्द आम बोलचाल में शामिल हो गए और हमारी भाषा में इनका विकल्प होने पर भी वे प्रयुक्त न हुए। बल्कि 'मास्क' के हिन्दी रूपांतरण -मुखावरण, मुखपट्टिका, मुँह पट्टी आदि के अतिरिक्त लम्बी कोशिश ने तो इसका उपहास और मखौल बना दिया। इसीलिए न केवल भारत में, बल्कि विश्वभर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 'कोविड-19' की सारी शब्दावली एक जैसी प्रयुक्त और उच्चरित की गयी।

ये भी इत्तफाक है कि हमें जहाँ संचार माध्यमों के विस्तार के साथ नई-नई सुविधाएं प्राप्त हुई, वहीं वैश्विक महामारी ने हमारे कदमों की रफ्तार को बाहर जाने से रोक दिया। ऐसे समय घर बैठे 'एप' द्वारा एक-दूसरे से संपर्क साधने के अलावा, घर से ही ऑफिस का काम कर सकने की सुविधाएँ प्राप्त हुई। महामारी के इस दौर में इंटरनेट द्वारा एक ओर हमें गोष्ठी या कॉन्फ्रेंस के लिए गूगल और जूम एप जैसी नई सुविधाओं का लाभ मिला, वहीं सभी स्कूलों ने 'ऑनलाइन टीचिंग' एवं 'वीडियोज' द्वारा बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया। इससे वयस्क व्यक्तियों को तो लाभ हुआ, उन्होंने इस तकनीक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भाग लिया और वैचारिक स्तर पर वार्ता भी हुई। जिससे 'इंडियंस' एवं प्रवासी भारतीयों ने अपनी शुद्ध-प्रबुद्ध भाषा के साथ, साहित्यिक जगत में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। किन्तु शैक्षणिक स्तर पर बड़े विद्यार्थियों को थोड़ा-सा फायदा हुआ, लेकिन प्राथमिक के छोटे बच्चों को कंप्यूटर पर एकाग्र चित्त होकर बैठना ही मुश्किल था। दूसरे बच्चे जो छोटी आयु में अपनी भाषा को विकसित कर रहें होते हैं, उन्हें इससे बड़ा नुक्सान पहुंचा। कक्षा में उपस्थिति से जहाँ वे अपनी अध्यापिका के समक्ष बैठ

कर पढ़ते-सुनते थे, वहीं अन्य बच्चों के संपर्क से उनका भाषाई विकास होता था । किन्तु पिछले वर्ष से घर की चारदीवारी में बंधे रहने से, उनकी भाषा और ज्ञान दोनों अविकसित और अधकचरे रह गए हैं । इसका प्रमुख कारण हमें अपनी जड़ों में तलाशना होगा, जहाँ कोरोना काल की 'ऑनलाइन' कक्षाओं में 'टीचर्स' द्वारा वाक्य बोला जाता है, 'I hope, आप सब अच्छे होंगे ।' मैंने स्वयं प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं को ऐसी मिली-जुली भाषा बोलते हुए सुना है, जिसमें अंग्रेजी शब्दों का घाल-मेल ही नहीं, बल्कि व्याकरण की धज्जियां उड़ाई जाती है । डॉक्टर दिनेश दधीचि के अनुसार, ष्कई बार वाक्य विन्यास में सर्वनाम, कारकों और योजकों आदि को छोड़कर संज्ञाएं, क्रियाएं आदि अंग्रेजी की ही होती है । पूरे वाक्य में अंग्रेजी के शब्द ज्यादा और हिन्दी के कम दिखाई देते हैं । (लेख-संचार माध्यमों में हिन्दी की स्थिति, हरिगंधा पत्रिका, सितम्बर 2020 अंक) इसके उपरान्त भाषा की बिगड़ती स्थिति की जांच करने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी एक नजर डालनी होगी । वास्तव में संचार माध्यमों में सोशल मीडिया ने लोगों को वास्तविक आजादी का अहसास कराया और अब तो इसके विभिन्न मंच भारत के शहरी और ग्रामीण जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाने लगे हैं । देश में इस समय व्हाट्स एप का प्रयोग करने वालों की संख्या जहाँ करीब 53 करोड़ तक पहुँच गई है, तो वहीं फेसबुक के उपयोगकर्ताओं की तादाद 40 करोड़ से ऊपर हो चुकी है । इसी तरह ट्विटर पर भी एक करोड़ से अधिक लोग सक्रिय हैं एवं बहुत से अन्य मंच जैसे यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी भारतीय युवा वर्ग जुड़ा हुआ है । ऐसे सामाजिक आदान-प्रदान के लोकप्रिय माध्यमों में एक भिन्न स्थिति देखने को मिलती है । यहाँ रोमन लिपि में हिन्दी के शब्दों और वाक्यों को प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषागत अराजकता की स्थिति बन गई है । आमतौर पर किसी को अपना व्यक्तिगत सन्देश भेजने के लिए हिन्दी में ही लिखना आसान लगता है, किन्तु हिन्दी के वाक्यों को देवनागरी की अपेक्षा रोमन लिपि में लिखना लोगों को ज्यादा सुविधाजनक लगता है । इसका एक खास कारण कंप्यूटर के 'की बोर्ड' पर केवल अंग्रेजी के 'अल्फाबेट्स' का होना है, यद्यपि अब स्मार्ट फोन की स्क्रीन पर दोनों भाषा का उपयोग संभव हैं । अब गूगल ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में लेखन की सुविधा प्रदान कर दी है, तथापि प्राथमिकता रोमन लिपि को दी जा रही है । इस प्रवृति का हिन्दी भाषा या अन्य मातृभाषाओं पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इससे लेखन में अपनी भाषाओं के शब्दों के लुप्त होने की संभावना तो है ही, साथ ही प्रचलन में इंग्लिश शब्दावली प्रयुक्त होगी। जैसे हिन्दी में दफ्तर, विद्यालय और अस्पताल के स्थान पर ऑफिस, स्कूल और हॉस्पिटल शब्दों का ही प्रयोग होता है । बोलने और लिखने के दोनों माध्यमों में इस तरह के सैंकड़ों शब्दों को हम भूल चुके हैं और हिन्दी की गिनती तो बहुत कम बच्चे जानते हैं। हमारी भाषा में फलों- सब्जियों तथा दालों-अनाजों के नाम तक गायब हो गए हैं, उन्हें अंग्रेजी के नामों से बोला जाता है । इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में भाषा के स्पष्ट मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता, जो अत्यंत खतरनाक स्थिति है ।

चूँकि संचार माध्यमों में सिनेमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया में हिन्दी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इसकी महत्ती भूमिका है । इसीलिए सिनेमा के रुपहले पर्दे पर बोली जाने वाली भाषा का समाज और जन-जीवन पर क्या प्रभाव होता है ? यह एक विशेष अध्ययन का विषय है । स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त छठे -सातवें दशक में साफ -सुथरी पारिवारिक एवं सामाजिक फिल्मों में संवाद और भाषा भी संस्कारित और साहित्यिक होते थे । आठवें-नौवें दशक में भारतीय मध्यम वर्ग के बहुत से शिक्षित बच्चों के विदेशों में 'आई. टी. सेक्टर' में नौकरी करने से प्रवासी भारतीयों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई । कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी निवास करें, किन्तु वह अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कार से सदैव जुड़ा रहता है । इसका एक नतीजा यह हुआ कि अपने देश से दूर होने पर भी वे मनोरंजन के लिए बॉलीवुड सिनेमा ही देखना पसंद करते रहे । यही कारण है कि दूसरे देशों में हिन्दी फिल्मों ने न केवल हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाई, बल्कि बड़े स्तर पर सांस्कृतिक प्रभाव कायम किया । इस तरह फिल्मी दुनिया के अनुभव और अभिव्यक्ति में आधुनिक विविधता के साथ भाषा का विस्तार भी हुआ । लेकिन इधर सिनेमा में कला फिल्मों को छोड़कर, अधिकतर व्यावसायिक फिल्मों में लचर और निम्नस्तर की भाषा का प्रयोग हुआ । आजकल तो प्रदर्शन कलाओं में गालियों को विकार नहीं, व्यवहार मान लिया गया है और उनमें मर्यादा और शालीनता की खुले आम धज्जियां उड़ाई जाती हैं । फिल्म समीक्षक श्री सुनील मिश्र के शब्दों में, 'घृणित चरित्रों, पाशविक सहवास और गाली-गुफ्तार के साथ संवादों को रचकर क्षुद्र मनोरंजन की अंगीठी के बाहर अजब सी दफ्ती से हवा करने का काम चल रहा है । ये फिल्में जिस तरह से व्यवस्था, कानून और बाकी चीजों का मखौल उड़ा रही हैं, अपराध और हिंसा का समर्थन कर रही है, वह बहुत निराश करता है । हो सकता है, यह तरीका कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ी देर की उत्तेजना का सबब बनता होगा, पर अंतत: यह मनोरंजन क्षेत्र में अनियंत्रित होते सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकारों को रेखांकित करता है ।' (लेख -रुपहले परदे पर कुछ भी दिखा देने की होड़, हिन्दी हिन्दुस्तान अखबार) इन सबके अतिरिक्त पिछले कुछ समय से सभी संचार माध्यमों का दुरूपयोग करते हुए, चुनावों के समय नेताओं द्वारा भाषणों में बोली जाने वाली भाषा भी अमर्यादित हो गई है । स्थानीय मुद्दे न उठाकर ये लोग एक-दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप करने के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं । इनके शब्दों में गाली-गलौच और कीचड़ उछालने का प्रयत्न रहता है और पक्ष-विपक्ष द्वारा अशोभनीय एवं अवांछनीय भाषा बोली जाती है । यह स्थिति इस हद तक पहुँच गई है कि राजनीति में सभ्य व्यक्ति

और उनके बाशिंदों द्वारा खून-खराबा करना सामान्य खेल । जिससे आम शांतिप्रिय नागरिक इस चक्र्व्यूह से बाहर रहता है और इस क्षेत्र को दबंग एवं गुंडे लोगों का मान लिया गया है । यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है, जिसमें टेलीविजन और व्हाट्सएप के मंचों पर भाषा के साथ संस्कार भी गंदे हो रहे हैं । किसको कब, कहाँ, क्या बोलना है, इसका ध्यान हमारे उम्मीदवारों और नेताओं को नहीं है । इस प्रकार, 'आज राजनीति, समाज में या सोशल मीडिया में जिस तरह की भाषा-बोली का प्रयोग हो रहा है, उससे बहुत चिंता होने लगी है । व्यक्ति कभी सत्ता या शक्ति के अंहकार में मर्यादाएं भूल जाता है और कभी विफलता से उपजी हताशा में । पहले समाज में आम प्रतिक्रिया भी बहुत सोच-समझकर होती थी और अखबारों में सम्पादक के नाम पत्र में गिनी-चुनी प्रतिक्रियाएं सम्पादित होकर छपती थी । अब सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में क्रान्ति ही कर दी है । अब न जगह सीमित है, न शुद्धता-साफगोई जरूरी है । विषय ज्ञान के बिना भी टिप्पणी संभव है । नए किस्म की आजादी के साथ जो मंच बने हैं, उनका खूब दुरूपयोग भी हो रहा है । ऐसे दुरूपयोग से जो समाज बन रहा है, उसमें राजनेताओं के बिगड़े बोल रुलाने लगे हैं ।' (लेख-बिगड़े बोल की जड़े कहाँ है ? लेखक- श्री रामकृपाल सिंह, हिन्दी हिन्दुस्तान समाचार, 20 फरवरी 2021) इस तरह सोशल मीडिया की प्रमुख भूमिका और इसके विविध मंचों की विशाल संख्या को देखते हुए अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने आई. टी. सेल का भी गठन किया, जिनकी बड़ी-बड़ी टीमें काफी सक्रिय रहती हैं । कई बार भ्रामक खबरें फैलाने और अशालीन सामग्रियां तैयार करने के आरोप इन टीमों पर भी लगे हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। किसी भी सभ्य देश के नागरिक को ही नहीं, बल्कि सरकारों को भी विपरीत विचार या विरोध के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और भाषा में उच्चस्तरीय शिक्षित वर्ग की भद्र एवं सम्मान सूचक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए । क्योंकि इसी से प्रत्याशी के आचरण तथा लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है, किन्तु हालात इसके विपरीत हैं । वे भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया का मंच कुछ ही क्षणों में 'वैश्विक गाँव' बन विश्व में क्रान्ति मचा सकता है और लोगों को भीड़ तंत्र में बदल कर उकसा भी सकता है । विडंबना यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे विवादों से व्यवसायिक लाभ होता है, इसीलिए वे इन चेतावनियों की अनदेखी करती रहती हैं । इस प्रकार सूचना माध्यमों के विस्तार के साथ हमारे देश में भी अभिव्यक्तियाँ बहुत मुखर और आक्रामक होने लगी हैं ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में वे लाख दावे करें, मगर उनकी कार्यवाहियां सदैव पक्षपातपूर्ण रही हैं । इस प्रकार संचार माध्यमों के साथ सोशल मीडिया और ओ.टी.टी प्लेटफार्मों पर भाषा में बढ़ती अराजकता, अभद्रता व अश्लीलता को लेकर लगातार प्रश्न उठाये जा रहें हैं और यह मांग की जा रही है कि भारत सरकार इनके नियमन व निगरानी को लेकर हस्तक्षेप करे । लेकिन सरकार की मंशा एक साफ-सुथरा, निष्पक्ष डिजिटल मैदान तैयार करने की भले हो, किन्तु उसके किसी प्रावधान से अभिव्यक्ति की आजादी को कोई आंच नहीं आनी चाहिए । यह लोकतंत्र का बुनियादी गुण है, इसमें कोई कमी गंभीर नुक्सान की वजह बन सकती है । इन डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए स्व-नियमन की व्यवस्था सही है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरिक-हितों की रक्षा के साथ भाषाई नियमों की सुरक्षा भी मूल रूप से होनी चाहिए ।

अंततः इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों के बीच भी हम यही कहेंगे कि भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल करने से जहाँ एक ओर शब्द कोष में वृद्धि होती है, वहीं भाषा का विस्तार होता है । वैसे भी भारतीय संस्कृति बहुरंगी रही है एवं प्रारम्भ से ही अनेक संस्कृतियों और भाषाओं के साथ तालमेल बैठाती रही है। हमारे समाज में अनेकों आक्रमणकारियों के आने के बावजूद, उनके साथ सामन्जस्य से रहने की परम्परा रही है, जो भाषा के स्तर पर भी स्वीकार्य रही । मध्यकाल की हिंदवी या हिन्दुस्तानी भाषा में अरबी -फारसी और उर्दू के शब्दों की भरमार है, जिसमें बाद में अंग्रेजी के भी बहुत से शब्द शामिल हुए । इस प्रकार आधुनिक हिन्दी में तत्सम, तद्भव और देशज शब्दावली के साथ अनेकानेक नए तकनीकी शब्द भी शामिल और प्रचलित हुए हैं और 'ग्लोब्लाइजेशन' के पश्चात नई हिन्दी में नित नया इजाफा हो रहा है तथा सोशल मीडिया के प्रचार-प्रसार के साथ अनेक 'एप' या 'फाईल' के शब्दों की सभी भाषाओं में भरमार हुई है, जो बोलचाल और लेखन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं । इसके साथ कोरोना महामारी के फैलने के बाद, इस बीमारी से सम्बंधित बहुत सी शब्दावली भी हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है, जिससे शब्द कोष में नए शब्द जुड़ गए हैं । किन्तु उन शब्दों से समृद्ध होती भाषाओं में, इसके साथ-साथ भाषा के परिमार्जन, मानकीकरण, वर्तनी और इसके व्याकरण आदि पर भी ध्यान देने और सुधार करने की जरुरत होनी चाहिए । वास्तव में भाषा के परिवर्तन और मानकीकरण में साहित्यकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि लोग इन्हें ही अनुकरणीय मानते हैं ।

अतः इन्हें सफलता या व्यावसायिकता की चिंता किए बिना, अपनी अभिव्यक्ति को धार देने के लिए सहज-सरल हिन्दी का अभ्यास करने की जरुरत है । क्योंकि भाषा भावों को व्यक्त करने का साधन होने के साथ-साथ किसी भी देश की संस्कृति, परम्परा और समस्त ज्ञान भण्डार का विशाल कोष भी होती है । हिन्दी के प्रख्यात लेखक श्री शिवपूजन सहाय के अनुसार, 'राष्ट्र की जनता ही राष्ट्र की आत्मा है और राष्ट्र की भाषा ही राष्ट्र की वाणी है और राष्ट्र की भाषा ही राष्ट्र की संस्कृति की रीढ़ है ।'

-श्रीमती संतोष बंसल
ए-1/7, मियांवाली नगर, पश्चिम विहार, दिल्ली-87

रिपोर्ट

किरोड़ीमल महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में
हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी

गरिमा संजय

शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ष्भारत बोध– आधुनिक हिंदी साहित्य का संदर्भष विषय पर महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन हुआ । श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के मानविकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जगदेव कुमार शर्मा जी का अध्यक्षीय वक्तव्य हुआ और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य अमरेंद्र पाण्डेय जी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी,दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय सुधाकर पाठक जी ने वर्तमान में भाषाओं की स्थिति तथा हिंदी को केंद्र में रखते हुए अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम का संचालन साहित्य एवं कला अध्येता एवं कस्तूरी के संस्थापक विशाल पाण्डेय ने किया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से वरिष्ठ पदाधिकारी श्री विनोद पाराशर, श्री विजय शर्मा और सुश्री सुषमा भंडारी की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत डॉक्टर नीरज भारद्वाज जी, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जी एवं किरोड़ीमल कॉलेज के विभिन्न विभागों के प्राध्यापक साथियों ने भागीदारी की। इसके अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न शोधार्थी, प्राध्यापक एवं किरोड़ीमल महाविद्यालय के विशेष रूप से हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता से कार्यक्रम को सफल बनाया।

हिन्दी की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता

मानव जीवन में भाषा का स्थान सर्वोपरि है । शिशु के जन्म के साथ ही उसे सबसे पहले विरासत के रूप में भाषा प्राप्त होती है । समाज, संस्कृति, शिक्षा, संपत्ति और कर्तव्य जैसी चीजें बाद में आती हैं, जो भाषा के माध्यम से धीरे-धीरे उसके जीवन का हिस्सा बनती हैं । पृथ्वी में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास अन्य प्राणियों की तुलना में विशिष्ट भाषा है । विशिष्ट भाषा होने के कारण मनुष्य ने तीव्र गति से अपने ज्ञान, विज्ञान, कौशल, शिक्षा, चेतना और बौद्धिकता का विकास किया है । यह भाषा की ही देन है कि उसने मनुष्य के जीवन को इतना सरल बना दिया है, नहीं तो मनुष्य आज इतनी ऊचाइयों पर नहीं होता । भाषा के कारण ही इतने आविष्कार, वैज्ञानिक खोज-अनुसंधान, सूचना का निर्बाध प्रवाह, संचार के आधुनिक साधन, उद्योग-धंधे, व्यवसायिक संरचनाएँ, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय आदि का निर्माण संभव हो पाया है । वस्तु विनिमय और क्रय-विक्रय का सटीक हिसाब-किताब, विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं का प्रचार-प्रसार, इतिहास के मूल्यवान दस्तावेजों तथा विभिन्न कालखंडों के विशाल साहित्य का संरक्षण करना संभव हुआ है । भाषा का अस्तित्व केवल भाव सम्प्रेषण तक ही सीमित नहीं है, अपितु आज के भूमंडलीकरण, वैज्ञानिक और सूचना क्रांति के समय में राष्ट्रीय अस्मिता से भी है ।

हिंदी: भारत की राष्ट्रीय पहचान

भारत भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता का एक अनुपम देश है । यहाँ 121 आधिकारिक भाषाएँ और 1600 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं । संविधान के आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिनमें से एक हिंदी भी है । 14 सितंबर, 1949 ई. को हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के उपबंधों की चर्चा की गई है । राजभाषा हिंदी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत को आपस में जोड़ती है। हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से विकसित होते हुए आई है । हिंदी पाँच उपभाषाओं और 18 बोलियों का समूह है । हिंदी भारत की केवल एक भाषा भर नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय अस्मिता भी है । यह देश की अघोषित राष्ट्रभाषा होते हुए पूरे देश की सम्पर्क भाषा है । देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है । हिंदी ही विश्व में भारत की वैशिष्ट्य परम्परा, ज्ञान, आयुर्विज्ञान, योग, पुरातन संस्कृति, सभ्यता, ऐतिहासिक सम्पदा, इतिहास, अलौकिक कलाएँ, वास्तुकला, रीति-रिवाजों, समृद्ध संस्कृति, विराट साहित्य और वैश्विक चेत को स्थापित करती है । हिंदी के माध्यम से ही विश्व भारत से जुड़ता है और भारत के बारे में अपनी समझ रखता है । इस तरह हिंदी देश के भीतर और बाहर बृहद सम्पर्क भाषा का काम करती है ।

हिंदी का वैश्विक परिदृश्य-

भाषा वैज्ञानिकों के मतानुसार विश्व में 6000 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं । वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण एथ्नोलॉज के अनुसार विश्व में 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएँ हैं, जिनमें हिंदी तीसरे पायदान पर है । एथ्नोलॉज में बताया गया है कि विश्व में 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं । अपनी मजबूत संख्याबल के आधार पर हिंदी एक वैश्विक भाषा का रूप अंगीकार करती है । बाजारवाद और भूमंडलीकरण के दौर में भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे विश्व का ध्यान भारती की शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक संरचना और लोक कलाओं को जानने के लिए उत्सुक है । वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता बढ़ रही है । प्रायः सभी महाद्वीपों में हिंदी भाषी समुदाय निवास करते हैं । हिंदी प्रवासी भारतीयों की बाहुल्यता वाले देश मुख्य रूप से फिजी, मॉरिशस, सुरीनाम, ट्रिनीडाड, टोबैगो, गुयाना, कम्बोडिया, दक्षिण अफ्रीका तथा हॉलैंड आदि देशों की प्रमुख भाषा है, तो वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी-अरब, इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा खाड़ी देशों में भी हिंदी भाषी बहुतायत मात्रा में मिल जाते हैं ।

भारत के पड़ोसी देश जैसे- पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्याँमार, श्रीलंका और मालदीव आदि में भी हिंदी अधिसंख्यक रूप में प्रयुक्त होती है । हिंदी पड़ोसी देशों के बीच जनसंचार का माध्यम तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा आर्थिक विनिमय की संवाहक का काम भी करती है । भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देश जैसे इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाइलैण्ड, चीन, मंगोलिया, कम्बोडिया, कोरिया तथा जापान आदि देशों में भी हिंदी का अध्ययन और अध्यापन होता है । अमेरिका, ऑस्ट्रोलिया, कनाड़ा और यूरोप के कई देशों में हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है । संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, अफगानिस्तान, कत्तर, मिस्त्र, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि खाड़ी देशों में श्रमिकों की भाषा हिंदी ही है । इस तरह हिंदी के समग्र अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि विश्व के लगभग 73 देशों में हिंदी अपना स्थान बना चुकी है ।

तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की उपस्थिति-

हिंदी ने उस भ्रम को तोड़ दिया है कि वह विज्ञान और आधुनिक तकनीक की भाषा नहीं बन सकती । आज कंप्यूटर के अनुप्रयोग तथा सूचना एवं संचार क्रांति के कारण हिंदी का महत्त्व और भी अधिक हो गया है । बहुत सारे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम हिंदी में उपलब्ध हैं । राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के सरकारी कागजातों का हिंदी में दस्तावेजीकरण किया जा रहा है । गूगल सर्च इंजन पर हिंदी आधारभूत भाषा के रूप में प्रयुक्त की जा रही है । कंप्यूटर, मोबाईल, लैपटॉप में हिंदी की-बोर्ड उपलब्ध होने से जन सामान्यों के लिए काम करना सहज हो गया है । गूगल ट्रांसलिट्रेशन के

माध्यम से विश्व के अन्य भाषाओं में निहित ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हुई है । इन्टरनेट उपभोगकर्ताओं के लिए कई सुन्दर और आकर्षक हिंदी फॉण्ट, एप, कन्वर्टर, टाइपिंग टूल्स आदि उपलब्ध हैं ।

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस जैसे अति संवेदनशील और तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी पदार्पण कर चुकी है । माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज में हिंदी की प्रभावकारिता को देखा जा सकता है । वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियाँ ही उन्नत राष्ट्र का मेरुदण्ड होती हैं । आज वही देश आगे हैं जिसने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं । आने वाले समय में उन्हीं भाषाओं का अस्तित्व बचा रहेगा जो कौशल, रोजगार और बाजार उपलब्ध करा सकती है । ग्राफिक्स और एनीमेशन का क्षेत्र हो, वीडियो गेम्स हो, न्यूज चौनल हो, सोशल नेटवर्किंग हो, ओसीआर, ईमेल और ब्लॉगिंग हो; हर क्षेत्र में हिंदी अपनी पैठ बना चुकी है । हिंदी कंप्यूटर और तकनीकी केन्द्रित होती जा रही है, जिससे यह सूचना प्रवाह की प्रमुख भाषा बन चुकी है । हिंदी को तकनीकी भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार करने से वैश्विक स्तर पर हिंदी की मान्यता में अभिवृद्धि हुई है । आज हिंदी विश्व के नवीनतम विषयों पर जानकारी और सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता रखती है ।

साहित्य और सिनेमा की भाषाः

हिंदी में वैश्विक स्तर के साहित्य सृजन ने हिंदी को वैश्विक चेतना की संवाहक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है । साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सामारिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनैतिक पक्षों को समग्र में समझना हो, तो उस देश के साहित्य के पन्ने पलटिए । भिन्न भाषा, संस्कृति और भूगोल में रहने वाले लोगों की वैचारिकता, बौद्धिकता, शैक्षिक और वैज्ञानिक सोच, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चेत, राष्ट्रबोध, विश्वबोध, मानवीय सम्बन्धों को समझने में भी साहित्य सर्वसुलभ माध्यम माना जाता है । हिंदी में साहित्य सृजन की परंपरा लगभग आठवीं सदी में शुरू हुई, जिसमें विभिन्न विधाओं में साहित्य लिखा गया । हिंदी साहित्य में निहित गहरी संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और मिथकीय चरित्रों ने सदैव विश्व के पाठकों को आकर्षित और लालायित किया है । भारत विश्व में ज्ञान, विज्ञान, कला, उद्यम, धार्मिक और सांस्कृतिक आचरण, राजा-महाराजाओं, युद्ध कौशल, कूटनीति, राजनीति, दर्शन, मिथक और गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है । भारत की यह विरासत और सम्पदाएँ हिंदी साहित्य में प्रतिबिम्बित होती आई हैं । विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से विश्व भर में हिंदी साहित्य पहुँच रहा है और यह क्रम लगातार जारी है । पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों की अपनी धाक तो रही ही है, समकालीन हिंदी साहित्य ने भी कई विश्वप्रसिद्ध उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं । हिंदी सिनेमा उद्योग ने भी सांस्कृतिक रूप से हिंदी के वर्चस्व को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है । भारत के पड़ोसी देशों और खाड़ी देशों में हिंदी सिनेमा और हिंदी गीत लोकप्रिय हैं । भाषाई रूप से हिंदी ने विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने का काम किया है ।

यूनेस्को में हिंदीः

भारत अपने वास्तुकला, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए ख्यात है । वैज्ञानिकों एवं पुरातत्वविदों के लिए भी भारतीय ज्ञान, विज्ञान और वास्तुकला आकर्षण का केन्द्र रही हैं । युनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत की 14 सांस्कृतिक विरासत सम्मिलित हैं जिनमें प्रमुख रूप से रामलीला, कुम्भ मेला, दुर्गा पूजा, वैदिक मन्त्र आदि हिंदी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । यूनेस्को के बहुत सारे कार्य हिंदी में सम्पन्न होते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा और बहुभाषावाद-

हिंदी की वैश्विक उपयोगिता और बढ़ते प्रभुत्व क्षेत्र को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की ओर से प्रस्तावित बहुभाषावाद के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है । अब संयुक्त राष्ट्र ने अपनी भाषाओं में हिंदी को भी सम्मिलित कर लिया है । भारत द्वारा 1946 में प्रस्तावित पत्र में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विश्व के लोगों तक इसकी जानकारी नहीं हो जाती । विश्व के जनसमुदाय तक पहुँचने के लिए बहुभाषावाद एक सर्वोत्तम माध्यम है । जब अनेक भाषाओं के माध्यम से सूचनाओं, उद्देश्यों एवं योजनाओं को संप्रेषित किया जाएगा, तब वास्तव में ही उसकी पहुँच और धमक बृहत् और व्यापक होगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी एवं अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए । वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश सम्मिलित हैं और अभी तक 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है । शुरू में अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और चीनी भाषा को ही आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि यह महाशक्ति देशों की भाषाएँ थीं। बाद में अरबी और स्पेनिश को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया । यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में ही हिंदी को प्रयुक्त किया जा रहा है, किन्तु यह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं है । फिर भी, भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । भारत और विश्व के सभी हिंदी प्रेमियों के लिए यह बड़े गर्व की बात है । इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाजी भाषाओं में केवल अंग्रेजी और फ्रेंच ही प्रयुक्त कि जाती रही हैं, किन्तु अब हिंदी को भी सम्मिलित करने से संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर हिंदी में भी सूचनाओं को संग्रहित किया जाएगा।

हिंदी के वैश्विक यात्रा का शुभारम्भ सन् 1975 में नागपुर, भारत में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से हुआ था। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 2008 में

मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय खोला गया था । किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए कोई विशेष मापदण्ड नहीं बनाया गया, किन्तु इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है । किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित किए जाने की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा में साधारण बहुमत द्वारा संकल्प को स्वीकार करना और संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता के दो तिहाई बहुमत द्वारा उसे अन्तिम रूप से पारित करना होता है । भारत लम्बे समय से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने की मुहिम में प्रयासरत है । अपनी मजबूत संख्याबल के आधार पर भारत हिन्दी को एक वैश्विक भाषा बनाने के लिए आन्दोलनरत है ।

वैश्विक बाजार में हिंदी

वैश्विक परिदृश्य में भारत का जितना महत्त्व है उतना ही भारतीय भाषाओं का भी है । जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व के दूसरे स्थान पर आता है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में उत्पादों की खपत अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है । भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है । इस लिहाज से देखें तो वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की उपयोगिता बढ़ी है और यह आगे और भी बढ़ेगी । फ्रेंच वैज्ञानिक जाफ लाफ्का ने मनुष्य के मस्तिष्क और भाषा के अन्तर्सम्बन्धों पर 20 वर्ष तक शोध किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य की संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता उसकी मातृभाषा में कोडिंग होती है । विश्व के सभी भाषाविदों का मत है कि व्यक्ति अपनी भाषा में ही मौलिक चिंतन कर पाता है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा में ही सोचता है, विचार करता है और नवीन कल्पनाएँ करता है । यहाँ तक कि हम सपने भी अपनी भाषा में देख रहे होते हैं । यदि हम किसी दूसरी भाषा में संवाद करते हैं या विचार करते हैं, तो वह सभी कार्य अनुवाद के स्तर पर हो रहा होता है और हमारा मस्तिष्क बहुत तेजी से उसका अनुवाद कर रहा होता है ।

मनुष्य और मातृभाषा के बीच के इन्हीं अन्तर्सम्बन्धों को देखते हुए बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और ब्राण्ड अपने उत्पादों को हिंदी में प्रचार-प्रसार करने लगी है । भारत में 43.63% जनसंख्या हिंदी को मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त करती हैं, तो शेष द्वितीय एवं तृतीय भाषा के रूप में प्रयुक्त करती है । इतने बड़े बाजार को कोई भी विदेशी कम्पनियाँ अनदेखा कर ही नहीं सकती । भारत आर्थिक और राजनैतिक रूप में एक मजबूत देश है, तो वहीं शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी निरन्तर आगे बढ़ रहा है । इधर कुछ वर्षो से लोगों की जीवनशैली और महत्त्वकांक्षाओं में बहुत परिवर्तन आया है जिससे तरह-तरह के चीजों की माँग बढ़ी है । यदि उत्पादक उपभोक्ताओं की भाषा में अपने उत्पादों को बेचने लगे तो उसकी पहुँच बड़ी जनसंख्या तक पहुँचती है । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी को विशेष महत्त्व के साथ पढ़ाया जाता है । विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है । यह भी विश्व में हिंदी की उपयोगिता को इंगित करती है ।

विश्व को भारत की देन -

भारत विश्व के लिए केवल एक बाजार भर नहीं है । भारत उपभोक्ताओं का पैदावार भर भी नहीं है । भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है । भारतीय दर्शन और अध्यात्म से विश्व परिचित है । आज की भागती-दौड़ती जीवन में मनुष्य मानसिक शान्ति चाहता है । मनुष्य सांसारिक कर्मों से मुक्त हो आध्यत्मिक शान्ति चाहता है । भारतीय आयुर्विज्ञान और योग इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं । भारत की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक सम्पदाएँ भी विश्व को अपनी ओर खींचती है । भारत विश्व में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है । भारत के विभिन्न प्रान्तों के लोगों से जुड़ने के लिए पर्यटकों को हिंदी की शरण में जाना ही पड़ता है और इसके लिए वे अपने साथ सामान्य हिंदी वार्तालाप सिखाने वाली छोटी-छोटी पॉकेट बुक्स को साथ में रखते हैं ।

भारतीय लोक कलाएँ, वास्तुकला, परम्पराएँ, नृत्य, संगीत और साहित्य से जुड़ने के लिए भी लोग हिंदी सीख रहे हैं । हिंदी का प्रभुत्व क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण लोकप्रियता पाने के लिए भी लोग हिंदी से जुड़ना चाहते हैं । आए दिन विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म, रियलिटी शो, टेलीविजन कार्यक्रमों में हम कई विदेशी कलाकारों को देखते हैं । हिंदी सिनेमा जगत और गीत-संगीत भी विश्व की प्रतिभाओं को सम्मान देता है । हिंदी उन्हें सम्मान भी देती है और पहचान भी देती है । भारत के पड़ोसी देशों में हो या यूरोपियन देशों में हो या फिर खाड़ी देशों में, हिंदी के बदौलत विश्व के किसी भी कोने में आसानी से घूमना-फिरना कर सकते हैं । यहाँ तक कि खाड़ी देशों में यह रोजगार की प्रमुख भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है ।

निष्कर्ष- हिंदी का स्वर्णिम भविष्य

हिंदी केवल जनसामान्य की जीवनशैली तक सीमित नहीं है; यह आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक और सामरिक क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है । भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने, मित्रवत व्यवहार को बढ़ावा देने, और शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए विदेशी दूतावासों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है । विश्व पर्यटन को बढ़ावा देने में हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी है । यूरोपीय देशों में पर्यटकीय व्यवसाय के विस्तार के लिए भारतीय और हिंदी भाषी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हिंदी साइनबोर्ड, सूचना पट्ट और हिंदी सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं । होटल, रेस्तरां और पर्यटक पैकेजों में हिंदी द्विभाषी कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है । मनोरंजन, खेल-कूद, मीडिया, हॉस्पिटालिटी के क्षेत्रों में भी हिंदी की माँग बढ़ रही है । भारत में तकनीकी जागरूकता बढ़ने के साथ ही विभिन्न सॉफ्टवेयरों का हिंदीकरण भी कर दिया गया है । आज हर तरह का सॉफ्टवेयर हिंदी में उपलब्ध है । इन सभी पहलुओं से यह ज्ञात होता है कि आने वाले समय में हिंदी का प्रभुत्व रहेगा और यह हिंदी के लिए स्वर्णिम अवसर है ।

हिन्दी बनेगी विश्व भाषा

भारत एक बहुभाषी देश है । देश के संविधान की आठवीं अनुसूची में ही बाईस भाषाएँ शामिल हैं । इसके अलावा सैकड़ों बोलियाँ हैं, जो भाषा का ही लोक व्यवहृत रूप हैं । भाषाएँ अभिव्यक्ति का माध्यम तो होती ही हैं; चिन्तन, विचार और संस्कार के संवहन का कार्य भी करती हैं । सभी भाषाएँ महत्त्वपूर्ण हैं । सबके अपने आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के कोश हैं, यह भाषा से ही जीवंत, प्राणवान, ऊर्जस्वित और गतिमान हैं । किन्तु इन बहु भाषाओं के बीच सदैव एक संपर्क भाषा की आवश्यकता रही है, जो समस्त क्षेत्रीय भाषा-भाषियों को एक सूत्र में पिरोकर उनके आचार-विचार, मान्यता, संस्कार, ज्ञान-विज्ञान और पंथिक चेतना को एकीकृत करके राष्ट्रीय चेतना का विकास कर सके ।

प्राचीन समय से हिन्दी सम्पूर्ण भारत की संपर्क भाषा रही है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि केरल के नम्बूदरीपाद ब्राह्मण आज भी बद्रीनाथ मन्दिर में प्रधान पुजारी के पद पर आसीन होते हैं और सम्पूर्ण देश से आने वाले तीर्थयात्रियों को हिन्दी में ही संवोधित करते हैं । भक्तिकाल में रामानंद जी दक्षिण से भक्ति का प्रवाह लेकर उत्तर की तरफ आए थे और यहाँ उन्होंने हिन्दी भाषा में धर्म का प्रचार किया था । भारतीय इतिहास में भक्तिकाल एक ऐसा समय था, जब पूरे देश में भक्ति का प्रवाह हिन्दी भाषा के माध्यम से जन-जन में फैलता चला गया । स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों में विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच हिन्दी संपर्क की सर्व स्वीकार्य भाषा बन गई थी । तब देश छह सौ से अधिक रियासतों में बंटा था, उत्तर से दक्षिण तक फैली रियासतों की अपनी बोली और भाषा थी । उन दिनों इनके बीच संपर्क की भाषा बनकर हिन्दी अपनी सार्वदेशिक स्वीकार्यता सिद्ध करके सचमुच अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा बन गई थी ।

हिन्दी में जोड़ने की अकूत क्षमता है । इतिहास का एक कम चर्चित प्रसंग है, 1946-47 में भारत विभाजन के समय अंडमान-निकोबार द्वीपों में रहने वाले मुसलमानों ने इन द्वीपों को पूर्वी पकिस्तान के साथ जोड़ने की माँग रखी थी । किन्तु स्वतंत्रता से पूर्व वहाँ 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' की एक शाखा हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम कर रही थी । इससे वहाँ हिन्दी जानने-बोलने वालों की संख्या काफी हो गई थी । इन हिन्दी भाषियों ने भारत के साथ रहना पसंद किया और उन्होंने इस आशय का ज्ञापन तत्कालीन सरकार को भेजा, जो स्वीकार कर लिया गया । यानी हिन्दी की वजह से आज अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के सैकड़ों द्वीपों की श्रृंखला भारत का अविभाज्य अंग है ।

संविधान के जानकार कहते हैं कि संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द ही नहीं है । भले ही ऐसा हो, लेकिन लोकमानस की दृष्टि में

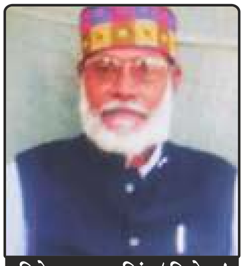

दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा आजादी के पहले ही बन चुकी है । यह भारत की साझा संस्कृति की वाहक है । देश की समस्त भाषाओं में हिन्दी ही वह भाषा है, जो सारे देश में कमोवेश समझी और बोली जाती है । हिन्दी हमारे लिए सम्प्रेषण का माध्यम भर नहीं है । यह देश और समाज की आशा है । इसमें समाज के सपने पलते हैं । यह करोड़ों देशवासियों की संस्कृति और जीवन शैली की संरक्षिका भी है । हिन्दी कमजोर होगी तो उसमें रची-बसी संस्कृति और संस्कार भी कमजोर हो जाएगा ।

इतिहास में जाने पर हम पाते हैं कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को छल-प्रपंच के साथ समाप्त करके भावी पीढ़ी को भारतीयता और अपनी जड़ों से काटने का उपक्रम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है । सन् 1192 के बाद इतिहास के राजपूत काल का अंत होता है । मुस्लिम शासकों ने हिन्दी यानी अपभ्रंस और डिंगल पर फारसी लाद दी । हिन्दी राजकाज की भाषा नहीं रही और पिछड़ती गई । बाद में फारसी का स्थान उर्दू ने ले लिया । हिन्दी अपनी बोलियों- अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली, मालवी, मगही के जरिए संघर्ष करती रही । लॉर्ड मैकाले के चार्टर एक्ट-1835 की भाषा नीति तो इतनी कपटपूर्ण सिद्ध हुई कि संस्कृत और फारसी के विद्वान भी बौद्धिक विमर्श की परिधि से निष्कासित हो गए थे । किन्तु हिन्दी अपने विविध रूपों में जन सामान्य की भाषा सदैव बनी रही ।

ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में जब अंग्रेज भारत में व्यापारी के साथ-साथ शासक की भूमिका में आ गए तो उनको सामान्य जन से व्यापक स्तर पर जुड़ने की आवश्यकता महसूस हुई । ऐसी स्थिति में तत्कालीन कलकत्ता में 'फोर्ट विलियम कॉलेज' की स्थापना की गई । वहाँ लल्लूलाल और सदल मिश्र हिन्दी सिखाने के लिए नियुक्त हुए थे । इनसे कम्पनी के अधिकारी हिन्दी सीखे और जनता से सम्पर्क साधने एवं संवाद कायम करने में सफल हुए । इससे अधिक न उन्हें हिन्दी की जरूरत थी, न आगे पनपने दिया । बल्कि हिन्दू और मुसलमान के बीच वैचारिक मतभेद को गहरा बनाए रखने के लिए हिन्दी और उर्दू का झगड़ा अलग से खड़ा कर दिया । जैसा कि होता आया है, हर अँधेरी रात की एक उजली सुबह होती है । स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में यही हिन्दी के साथ हुआ । यद्यपि हिन्दी और उर्दू अलग-अलग लिपियों में लिखी जाने वाली कमोबेश एक जैसी भाषा थीं, किन्तु विभिन्न भाषा-भाषी स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के बीच सम्पर्क साधने में हिन्दी अधिक उपयोगी

सिद्ध हुई । इसका मूल कारण था, हिन्दी की दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करते रहने की विशिष्टता ! इस वजह से प्रत्येक भाषा-भाषियों को हिन्दी में कुछ अपनी भाषा जैसी ध्वनि मिल ही जाती थी और इसलिए यह सबकी प्रिय बनती चली गई थी ।

14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी भारतीय गणराज्य के कामकाज की राजभाषा बनी । मजे की बात यह है कि संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा बनने का प्रस्ताव, अनुमोदन और समर्थन अहिंदी भाषियों ने किया था । इनका समेकित मत था कि राष्ट्रीय एकता और विकास का आधार हिन्दी में ही सन्निहित है । इस समय यह कहा गया था कि हिन्दी अभी विकासमान अवस्था में है । इसके पास तकनीक, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, विधि, वाणिज्य, पुरातत्व जैसे विषयों की तकनीकी शब्दावली का अभाव है । साथ ही अहिंदी भाषी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच यह अनजान है । इसलिए हिन्दी के तत्काल व्यवहार में लाने की बात टाल दी गई। वर्ष 1954 में 'राजभाषा आयोग' का गठन हुआ । इसकी सिफारिशों के आधार पर 1963 में संसद के दोनों सदनों द्वारा 'राजभाषा अधिनियम-1963' पारित हुआ । पुनः 1965 में इसमें संशोधन किए गए और हिन्दी को कार्यालयीन भाषा बना दिया गया । किन्तु अंग्रेजी का वर्चस्व सड़क से संसद तक बना रहा ।

वर्ष 1975 में पुनः राजभाषा के नियम बनाए गए, जिसमें हिन्दी को लागू करने के लिए देश को 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में बाँट दिया गया । 'क' यानी हिन्दी प्रदेश, 'ख' यानी अर्द्ध हिन्दी प्रदेश और 'ग' यानी अहिंदी भाषी प्रदेश । इसके अंतर्गत 'ग' श्रेणी के प्रदेश फिलहाल हिन्दी प्रयोग में सक्षम नहीं हैं, इसलिए एक समय सीमा के अंतर्गत हिन्दी प्रयोग के लिए अपने को तैयार करेंगे । इसके बाद राजकीय कामकाज में हिन्दी के व्यवहार का मामला कई बार से टलता चला आ रहा है । संसद, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, शोध, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबंधन शैक्षिक संस्थान, उच्चस्तरीय संगोष्ठी सब जगह अंग्रेजी का दबदबा है ।

आज की तारीख में हिन्दी सारे देश में भले ही बोली नहीं जाती है, लेकिन समझी सब जगह जाती है । विज्ञान, चिकित्सा, विधि, तकनीक, शोध की तकनीकी शब्दावली का हिन्दी में पर्याप्त विकास हो चुका है । पड़ोसी देश नेपाल में हिन्दी बोलने वालों की संख्या नेपाली बोलने वालों से अधिक है । पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में हिन्दी समझने वाले बहुत लोग हैं । फिजी, गुआना, मॉरिसस और दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों ने हिन्दी की अवधी और भोजपुरी बोली को कमोबेश बचा रखा है । अब हिन्दी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे नम्बर पर है- यह दावा राजभाषा विभाग की पत्रिका 'राजभाषा भारती' में गृह राज्यमंत्री ने एक साक्षात्कार में किया है । मंत्री महोदय के अनुसार, पिछले तीन दशकों में हिन्दी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से विकास हुआ है । वेब, संगीत, विज्ञापन, सिनेमा, बाजार के क्षेत्र में हिन्दी जिस तेजी से बढ़ी है, वैसी तेजी और किसी भाषा के लिए देखने में नहीं आयी । विश्व के डेढ़ सौ विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शोध स्तर तक हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है । वायस ऑफ अमेरिका, बी.बी.सी. लंदन, एन.एच.के. वर्ल्ड जापान, डायचेवेले जर्मनी, हम एफ.एम., यूएई सहित कई देश हिन्दी में नियमित कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं । विदेशी धरती से दो दर्जन से अधिक पत्रिकाएँ भी नियमित प्रकाशित हो रही हैं । हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ की कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की जा चुकी है, संयुक्त अरब अमीरात ने हिन्दी को अपने यहाँ की तीसरी अदालती भाषा की मान्यता भी दी है ।

भाषाविद डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल ने अपने "भाषा अध्ययन शोध 2005" में दावा किया है कि विश्व में हिन्दी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, जोकि एक अरब से अधिक है । जबकि चीन की मंडारिन भाषियों की संख्या नब्बे करोड़ से अधिक नहीं है । क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थवश हिन्दी को देश में उसका वांछित गौरव भले ही नहीं मिल पाया, किन्तु सरकारों ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर यथेष्ट ध्यान दिया है । विश्व पटल पर हिन्दी को व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से कई विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्राथमिक शिक्षा के लिए हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की विशेष संस्तुति, चिकित्सा की पढ़ाई, भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा तथा कुछेक नए क्षेत्रों में हिन्दी की मान्यता से हिन्दी सशक्त बनेगी । आज की तारीख में चुनौतियों से जूझती हिन्दी जिस गति से आगे बढ़ रही है, वह आश्वस्त करती है कि आने वाले वर्षों में हिन्दी को 'विश्व-भाषा' बनने से कोई नहीं रोक सकता है ।

-दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'
ग्राम-पोस्ट : जासापारा, वाया : गोसाईंगंज-228119,
जिला : सुलतानपुर (उ.प्र.)

चाहे कुछ भी हो, एक दिन हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा बनकर रहेगी । जो हिन्दी अपनायेगा वही आगे चलकर अखिल भारतीय सेवा में जा सकेगा और देश का नेतृत्व भी वही कर सकेगा, जो हिन्दी जानता होगा ।

-नीलम संजीवा रेड्डी

हिन्दी : उपनिवेशी सोच और निकृष्ट राजनीति के पंजों में

14 सितंबर । हिंदी दिवस । इसी दिन 1948 में भारतीय संविधान में हिंदी को (सशर्त!) श्भारत संघ की राजभाषाश स्वीकार किया गया था । इसी दिन राज्यों को भी अपनी-अपनी राजभाषाएँ चुनने का अधिकार मिला था । यही वह दिन है जब यह तय किया गया था कि भारत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । यह दिन इसलिए भी अविस्मरणीय है कि इसी दिन भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची को स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमें 'राष्ट्र की भाषाओं' को सूचीबद्ध किया गया है और जिसमें आज 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं । इस तरह हिंदी के साथ-साथ विभिन्न प्रांतीय भाषाओं को सम्मानित करने वाला यह दिन 'हिंदी दिवस' मात्र नहीं है; सही अर्थों में 'भारतीय भाषा दिवस' है । प्रकारांतर से यह दिन संप्रभु भारत की भाषाई आजादी के शंखनाद का दिन है ।

भारतीय संविधान के निर्माता चाहते थे कि भारत किसी विदेशी सभ्यता का भाषिक उपनिवेश न बने, क्योंकि वे जानते थे कि भाषा केवल वैचारिक आदान-प्रदान या राजकाज तक सीमित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक और वाहक होती है । भारत की सारी भाषाएँ इसकी संस्कृति का संरक्षण, पोषण और अंतरण करने में समर्थ भाषाएँ हैं, इसलिए उन सबके सम्मान की रक्षा करते हुए अखिल भारतीय संवाद के लिए हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया । अपने इस सामर्थ्य को वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सार्वदेशिक संपर्क की भाषा अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में पहले ही प्रमाणित कर चुकी थी । लेकिन कार्यालयों में उपनिवेशकालीन राजभाषा अर्थात अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी और भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए आरंभ में 15 वर्ष की छूट दी गई । याद रहे कि उपनिवेश काल में ब्रिटिश-भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी और उसका पोषण करने के लिए सुनियोजित ढंग से हिंदी सहित तमाम भारतीय भाषाओं को अपोषित तथा उपेक्षित रखा गया था, ताकि इनसे पुष्ट हो सकने वाली भारतीयता और भारतीय संस्कृति को क्षीण किया जा सके । इस कारण लंबी गुलामी ने इन भाषाओं का विकास अवरुद्ध कर दिया था । इसलिए आजादी मिलने के समय यह महसूस किया गया कि केंद्र में हिंदी और राज्यों में विविध भारतीय भाषाओं को राजकाज में अंग्रेजी का स्थान लेने में कुछ समय लग सकता है । 15 वर्ष का समय इसीलिए देना पड़ा था । विडंबना यह कि 15 वर्ष बाद देश की राजनैतिक परिस्थितियाँ इतनी बदल गईं कि यह छूट रबर के शामियाने की तरह आज तक कायम ही नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है! राजनैतिक कारणों से संघ की सह-राजभाषा के रूप में तब तक के लिए अंग्रेजी को छूट दे दी गई, जब तक 'कोई एक भी राज्य' संघ का सारा कामकाज हिंदी में किए जाने के लिए असहमत रहे! इस प्रकार, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत संघ की राजभाषा होते हुए भी व्यावहारिक रूप से सह-राजभाषा अर्थात् अंग्रेजी की मोहताज है ।

प्रो. ऋषभदेव शर्मा

प्राय: सयाने गुणीजन यह सुझाव देते देखे जाते हैं कि एक बुलडोजरी आदेश से पलक झपकते हिंदी को सह-राजभाषा अंग्रेजी की बैसाखी से मुक्त किया जा सकता है । लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक होने के कारण भाषा के साथ अनेक भावनात्मक मुद्दे जुड़े हुए हैं । संविधान निर्माताओं ने इसीलिए इस बात पर सर्वाधिक जोर दिया कि भाषा के मुद्दे को विग्रह और विघटन का बहाना न बनाया जा सके । महात्मा गाँधी चाहते थे कि राष्ट्रभाषा (राजभाषा) का निर्धारण करते समय क्षुद्र स्वार्थों से मुक्त रहा जाए ।

भारतीय लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य है कि वोट बैंक की चुनावी राजनीति के क्षुद्र स्वार्थों ने हमारे उस उदात्त भाषाबोध को बुरी तरह दूषित कर दिया है । फिर भी यह सोचकर खुश हुआ जा सकता है कि इस प्रदूषण के बावजूद 77 वर्षों में हिंदी का रथ मंद-मंथर ही सही, लेकिन निरंतर गतिमान तो है! आज हिंदी बाजार से लेकर प्रौद्योगिकी तक, चुनाव से लेकर कूटनीति तक और साहित्य से लेकर सोशल मीडिया तक जिस तरह फल-फूल और फैल रही है, उससे यह आस बँधी है कि वह जल्दी ही शिक्षा, न्याय और रोजगार की वास्तविक भाषा बन सकेगी । यदि ऐसा हो सके, तो शायद हम 2047 तक देश का सारा कामकाज भारतीय भाषाओं में होते देख पाएँ ! लेकिन इधर के वर्षों में जिस तरह राजनीति-प्रेरित हिंदी-द्वेष कई राज्यों में पनपाया जा रहा है, उसे देखते हुए तो यह दिवास्वप्न सा प्रतीत होता है ! भाषा के नाम पर भारत-जननी के हृदय को टुकड़े-टुकड़े करने पर आमादा इस क्षुद्र राजनीति को विफल करने का एक ही रास्ता है । और वह है मन-वचन-कर्म से सब भारतीय भाषाओं के सखा भाव की रक्षा । देशवासियों को समझना चाहिए कि हिंदी का किसी भी प्रांतीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं है । हिंदीभाषियों को चाहिए कि वे दूर-पास की अन्य भारतीय भाषाओं को उसी खुले मन से अपनाएँ, जिस खुले मन से कभी दयानंद सरस्वती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी अनेक मूलत: हिंदीतरभाषी विभूतियों ने हिंदी को अपनाया था ।

अच्छी बात यह है कि स्वार्थी राजनेता भले ही न समझें, भारत का जन-सामान्य सदियों से यह जानता और मानता है कि हमारे जैसे विशाल देश का बहुभाषिक होना स्वाभाविक है । यही कारण है कि स्थान बदलने के साथ 'बानी' (भाषा) का बदलना यहाँ लोक में उतना ही सहज माना जाता है, जितना कि 'पानी' का बदलना । युगों से यह विविधता और बहुलता भारत की पहचान रही है । यहाँ अनेक भाषाएँ हैं, लेकिन उनमें कोई नैसर्गिक विरोध नहीं है। वे परस्पर अविरोधी तो हैं ही, सहयोगी भी हैं । एकता का एक सर्वनिष्ठ सूत्र उन्हें परस्पर जोड़ता है और भारतीय संस्कृति का संयुक्त वाहक बनाता है । जैसे क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद यह देश एक सामासिक संस्कृति को व्यंजित करता है, वैसे ही बहुभाषी होते हुए भी अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक सार्वदेशिक भाषा के माध्यम से भी प्रकट करता है । लंबी सांस्कृतिक परंपरा के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन की आग में तप कर इस सार्वदेशिक भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी पात्रता सिद्ध की है । यही कारण है कि हिंदी आज उसी प्रकार इस महादेश की संपर्क भाषा है, जिस प्रकार कभी अतीत में संस्कृत थी । यही वह समझ थी कि आधुनिक भारत के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को श्भारत संघ की राजभाषाश घोषित किया था । यहाँ यह भी कहना जरूरी है कि संविधान का जो खंड हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाता है, वही राज्यों को अपना-अपना राजकाज अपनी-अपनी भाषाओं में चलाने की आजादी भी देता है । इसी कारण हर राज्य की अपनी-अपनी राजभाषाएँ हैं । इस तरह हिंदी दिवस भारतीय भाषाओं के सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है । स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंग के रूप में चले स्वभाषा आंदोलन का उद्देश्य भी यही तो था न कि ख्र 'एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी!' कहना ही होगा कि जब तक हम संसद से लेकर सड़क तक, यानी न्याय, शिक्षा, रोजगार, ज्ञान-विज्ञान, तकनीक, वाणिज्य-व्यवसाय, अर्थ-व्यवस्था, सृजन, अनुवाद, विचार-विमर्श, संचार, मनोरंजन, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक तमान व्यवहार क्षेत्रों में अपनी भाषाओं का सशक्तीकरण सिद्ध नहीं करते, तब तक यह महादेश उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता । भारत-जननी के हृदय में चुभे इस उपनिवेशकालीन 'शूल' को तो 'निज भाषा' से ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि "बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय कौ शूल!" (भारतेंदु) । वैसे, राजनेताओं के फैलाए मिथ्या भ्रमों के बावजूद सच यही है कि भारतीय संविधान में प्रस्तुत भारत की भाषानीति बहुत स्पष्ट और उदार है । इसमें भारत की बहुभाषिकता और सामासिक संस्कृति का पूर्ण सम्मान ध्वनित होता है । विशेषत: हिंदी भाषा के प्रचार और विकास पर केंद्रित अनुच्छेद 351 भारत के भाषाई और सांस्कृतिक परिदृश्य में बेहद महत्त्वपूर्ण है । यह अनुच्छेद पूरे भारत में हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए एक समावेशी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ।

अनुच्छेद 351 के महत्त्व को समझने के लिए भारत की भाषाई विविधता पर विचार करना आवश्यक है । भारत 19,000 से अधिक मातृभाषाओं/बोलियों वाला एक बहुभाषी राष्ट्र है । संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 'राष्ट्र की भाषाओं' में से एक होने के साथ ही सदियों से इस महादेश की 'संपर्क भाषा' है । स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसे देशभर की जनता और जननेताओं में 'राष्ट्रभाषा' का स्थान दिया । भले ही संविधान में 'राष्ट्रभाषा' का अलग से उल्लेख न हो, लेकिन अनुच्छेद 351 में उसके जिस स्वरूप के विकास का निर्देश निहित है, उसका आधार राष्ट्रभाषा की सार्वदेशिक संकल्पना ही है । यह हिंदी को 'अक्षेत्रीय भाषा' के रूप में विकसित करने पर जोर देता है । इसलिए अब हिंदी किसी खास पट्टी की नहीं, बल्कि सारे भारत की भाषा है । अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना और इसे विकसित करना संघ का कर्तव्य होगा, ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके । यह प्रावधान एक ऐसी एकीकृत भाषा के रूप में हिंदी के महत्त्व को रेखांकित करता है, जो देशव्यापी संचार की सुविधा प्रदान करे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे ।

यहाँ यह कहना भी जरूरी है कि भारतीय सामासिक संस्कृति का आईना बनने के लिए हिंदी में सभी भारतीय भाषाओं के उन बहुप्रचलित शब्दों को उदारता से स्वीकार करना जरूरी है, जो इसमें सहजता से पच सकते हों । साथ ही, ऐसे तमाम शब्द भी हिंदी की शब्द-संपदा का हिस्सा बनने चाहिए, जो इस राष्ट्र के विभिन्न भाषा-समाजों की क्षेत्रीय संस्कृति और निजता की पहचान हैं । यदि कुछ समान-स्रोतीय शब्दों के अर्थ हिंदी और अन्य भाषाओं में अलग-अलग हैं, तो उन भिन्न-भिन्न अर्थों को भी हिंदी में स्वीकार किया जाना चाहिए । एक भाषा में एक शब्द के एकाधिक अर्थ भी तो होते हैं न ? तो फिर 'उपन्यास' को 'साहित्य की एक विशेष विधा' और 'भाषण' दोनों अर्थों में क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता? वैसे भी अर्थ की समझ शब्दकोश पर नहीं, व्यवहार/प्रयोग पर निर्भर करती है । हिंदी को बढ़ावा देते समय, इसके महत्त्व को स्वीकार करने और भाषाई विविधता का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है । भारत की भाषाई विविधता एक अद्वितीय सांस्कृतिक संपत्ति है और यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि हिंदी अन्य भाषाओं और उनमें निहित संस्कृति को साथ लेकर चले । तभी हम कह सकेंगे कि हिंदी केवल उन लोगों की नहीं, जो उसे मातृभाषा के रूप में प्राप्त करते हैं, बल्कि सारे भारत और

भारतवासियों की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान की भाषा है ।

हिंदी के प्रचार-प्रसार का सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा प्रणाली है । भारत भर के स्कूलों में हिंदी को क्षेत्रीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने से इसे व्यापक रूप से अपनाने में मदद मिल सकती है । बशर्ते कि वोट-प्रार्थी, विग्रहवादी राजनीति ऐसा होने दे! हिंदी शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र बोली जाने वाली और लिखित हिंदी दोनों में पारंगत हों । इसके साथ-साथ, क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन भी उतना ही आवश्यक है । छात्रों को अपनी क्षेत्रीय भाषा और हिंदी दोनों सीखने के लिए प्रेरित किया जाए । हिंदी मातृभाषी छात्र भी अनिवार्य रूप से कम-से-कम एक हिंदीतर भाषा अवश्य सीखें । इससे हिंदी के प्रसार में सुविधा होगी और भाषाई विविधता का सम्मान सुनिश्चित किया जा सकेगा । हिंदी को बढ़ावा देना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ चलना चाहिए । हिंदी साहित्य, कला और मीडिया भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । हिंदी में क्षेत्रीय विविधता को दर्शाने वाली सांस्कृतिक सामग्री के उत्पादन और प्रसार को प्रोत्साहित करने से इसकी अपील बढ़ सकती है । और हाँ, बेहद जरूरी है कि समस्त आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी साहित्य से हिंदी को समृद्ध किया जाए । डिजिटल युग में, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं । हिंदी भाषा की वेबसाइटें, एप्लिकेशन और डिजिटल सामग्री विकसित करने से हिंदी को युवा पीढ़ी के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सकता है । इससे वह कंप्यूटर-दोस्त और बाजार-दोस्त भाषा के साथ ही रोजगार दिलाने वाली भाषा भी बन सकेगी ।

-ऋषभदेव शर्मा
हिंदी परामर्शी, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद

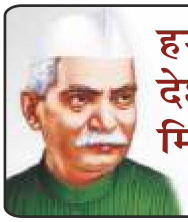

हमारी राष्ट्रभाषा की गंगा में देशी और विदेशी सभी शब्द मिलकर एक हो जायेंगे ।
-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

हिन्दी ही एक भाषा है, जो भारत में बोली और समझी जाती है ।
-डॉ. ग्रियर्सन

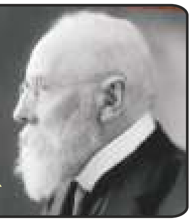

विशेष सूचना

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका के आगामी अंक हेतु लेख आमंत्रित हैं ।

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' पत्रिका के आगामी अंक हेतु हिन्दी भाषा से सम्बंधित विविध विषयों पर लेख/आलेख, निबंध एवं शोध सामग्री भेजें। पत्रिका के स्थायी स्तम्भ 'साक्षात्कार' में वरिष्ठ साहित्यकारों, पत्रकारों, भाषाविदों, शिक्षाविदों, सरकारी कार्यालयों के उच्चाधिकारियों, प्रशासनिक सेवा अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिकों आदि के भाषा पर केंद्रित साक्षात्कारों को सम्मिलित किया जाता है । इसी तरह 'लोक भाषाओं का चमत्कार' स्तम्भ में किसी एक भारतीय भाषा/उपभाषा एवं बोलियों पर केंद्रित लेखों को सम्मिलित किया जाता है जिसे विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है । अब तक बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कुमाऊंनी, भोजपुरी, पंजाबी, अवधि, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संस्कृत, संथाली, तमिल, कश्मीरी, मालवी, बघेली, हरियाणवी, बंगाली, कोंकड़ी, पवारी, गुजराती, तेलुगु, उड़िया एवं पूर्वोत्तर भारत के भाषाओं के विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं । 'युवा मत' स्तम्भ में देश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों एवं युवा लेखकों के भाषा पर केंद्रित शोधपरक लेखों को सम्मिलित किया जाता है । पत्रिका के 'हिन्दी दिवस विशेषांक' हेतु हिन्दी भाषा पर केन्द्रित लेख/निबंध आमंत्रित हैं।

1. 'समाचार पत्रों एवं संचार माध्यमों में हिन्दी की स्थिति
2. हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता: समस्या एवं संभावनाएँ
3. संयुक्त राष्ट्र महासभा तक हिन्दी का विकासक्रम
4. साहित्य और सिनेमा से इतर भी हो हिन्दी का उत्थान
5. शिक्षा और शोध के रूप में हिन्दी की दशा और दिशा आदि से सम्बंधित सारगर्भित लेख नीचे दिए गए ई-मेल पर भेजें।

E-mail : hindustanibhashabharati@gmail.com

संविधान में 'हिन्दी' को 'राष्ट्रभाषा' स्वीकार कर लिए जाने के बाद किसी को उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं है ।
-कृष्ण मेनन

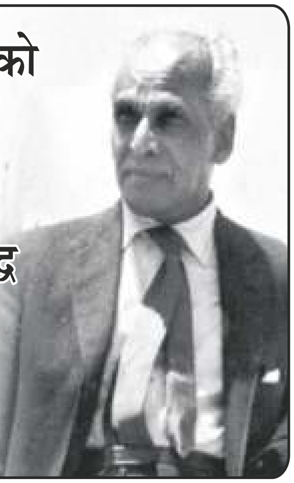

हिन्दी अकादमी, दिल्ली
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)
के संयुक्त तत्त्वावधान में दिल्ली प्रदेश के विद्यालय स्तर के छात्रों के लिए
दो दिवसीय
बाल नाट्य उत्सव
कलरव 2.0
पुरस्कार
प्रथम - 11000/-
द्वितीय - 7500/-
तृतीय - 5100/-
प्रोत्साहन (2) - 2500/-
मंचन हेतु चयनित सभी 30 टीमों को परिवहन व्यय के रूप में प्रति टीम 3000/- दिये जाएँगे।
आयोजन तिथि एवं स्थान:-
17-18 नवम्बर, 2025
लिटल थिएटर ग्रुप(एलटीजी) सभागार, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाऊस नई दिल्ली-110001
विद्यालयों से प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं।
अंतिम तिथि : 25 अक्टूबर, 2025
सम्पर्क सूत्र:
9873556781
प्रविष्टियां भेजने के लिए ई-मेल
hindustanibhashaakadami@gmail.com

‘भारतीय भाषा उत्सव’ : झलकियाँ

RNI No. : DELHIN/2017/73904

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

पंजीकृत कार्यालय : म.नं. 3675, राजा पार्क, शकूरबस्ती, दिल्ली-110034
दूरभाष : 09873556781, 09968097816
E-mail : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
Website : www.hindustanibhashaakadami.com